खण्ड-106, अंक-5
गुरूवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1874
(21 अगस्त, 1952 ई0)

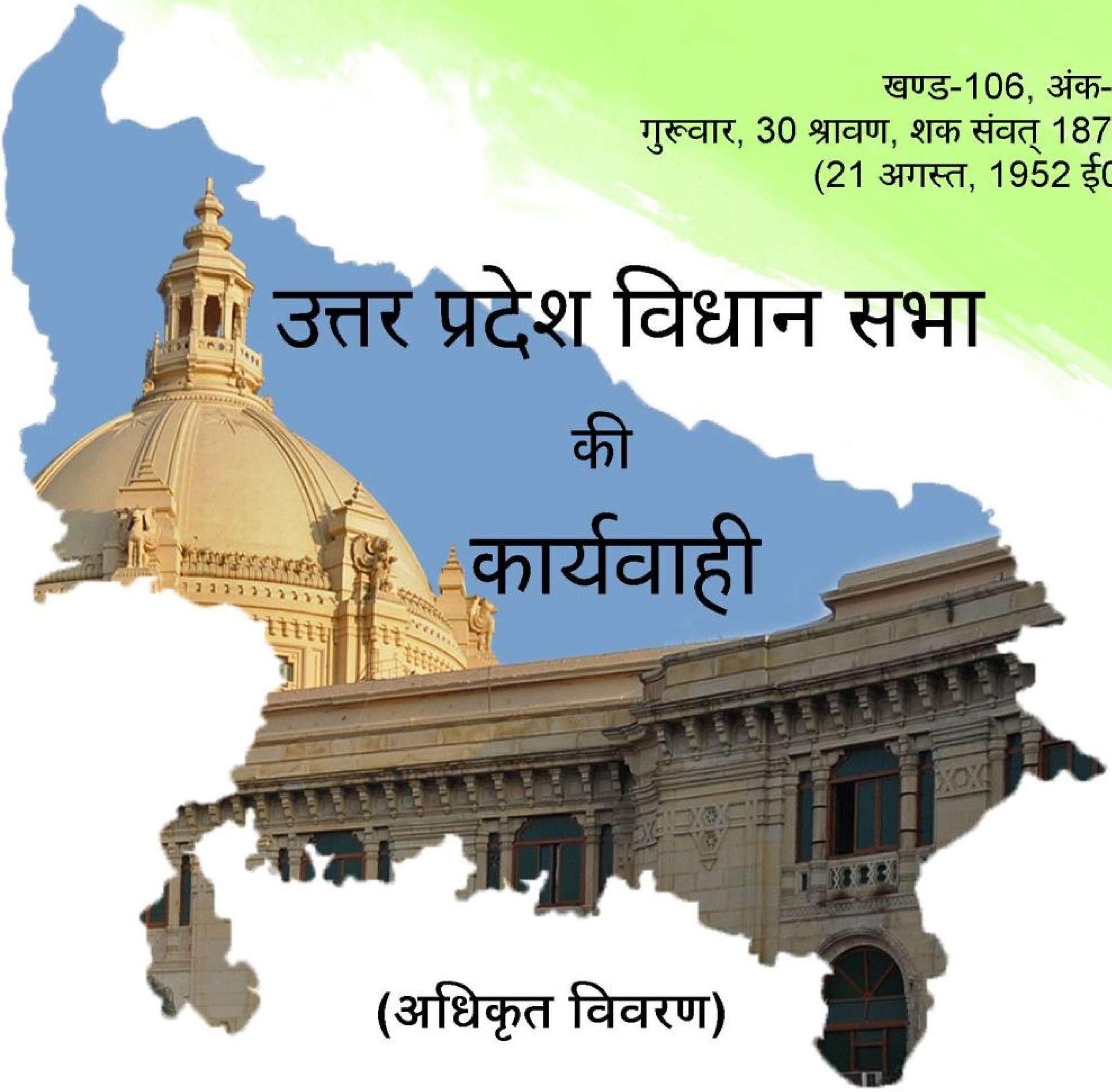

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 106 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २१ अगस्त, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में, ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
धनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खाँ, श्री (रामपुर)
महमूद अली खाँ, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० वी०
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवानसिंह, श्री
मुज़फ़्फ़रहसन, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खाँ, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुलनबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खाँ, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विशवम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री

अनुवाद प्रदेश सभा

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खाँ, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

श्री सी० वी० महाजन ने शपथ ग्रहण की ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कोआपरेटिव इंस्पेक्टर्स की नियुक्तियां

*१—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर्स की भर्ती हो रही है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—जी हां ।

*२—श्री नागेश्वर द्विवेदी—यदि हां, तो यह भर्ती किस के द्वारा होगी और कब तक ?

श्री मंगला प्रसाद—पब्लिक सरविस कमीशन के द्वारा । कमीशन ने चुनाव के लिये अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की है ।

*३—श्री नागेश्वर द्विवेदी—कुल कितने इन्स्पेक्टर्स लिये जायेंगे और उनकी योग्यता क्या होगी ?

श्री मंगला प्रसाद—प्रथम श्रेणी के ३ व द्वितीय श्रेणी के २० इन्स्पेक्टर्स लिये जायेंगे ।

प्रथम श्रेणी के इन्स्पक्टरों की योग्यता निम्नलिखित होगी:—

इंडियन डेरी डिप्लोमा के साथ साइंस में बैचलर की डिगरी अथवा डेयरी तथा पशु-पालन विषयों के साथ कृषि में बैचलर की डिग्री ।

द्वितीय श्रेणी के इन्स्पैक्टरों की योग्यता निम्नलिखित होगी :—

आर्टस्, साइन्स, कार्मस या कृषि में बैचलर की डिग्री । जिन्होंने प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में अथवा आनर्स के साथ पास किया होगा उनको प्राथमिकता दी जायेगी ।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—[२७ अगस्त, १९५२ के लिये संख्या ४८-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

हरिजनों की जिला प्लानिंग आफिसर्स के पद पर नियुक्ति

*४—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों में से कितने व्यक्ति जिला प्लानिंग आफीसर्स का कार्य कर रहे हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—कोई नहीं ।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि हरिजनों में से कोई भी प्लानिंग आफिसर क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री फूलसिंह—प्लानिंग आफिसर्स डिप्टी कलेक्टर्स में से छांट कर बनाये गये और जो लोग इस काम के योग्य थे उनको रख लिया गया है ।

श्री पुत्तूलाल—प्लानिंग आफिसर्स को चुनने के लिये कम से कम क्या योग्यता रखी गयी है ?

श्री फूलसिंह—मैंने अर्ज किया कि प्लानिंग आफिसर्स डिप्टी कलक्टर्स में से छांटकर बनाये गये हैं । जो लोग देहात के काम के काबिल समझे गये उनको रख लिया गया है और उस वक्त यह ख्याल नहीं किया गया कि हरिजन कितने होने चाहिये ।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या प्लानिंग आफिसर्स को हरिजन उत्थान का कार्य भी सौंपा गया है ?

श्री फूलसिंह—जी हां ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्लानिंग आफसर्स के लिये कितने हरिजनों ने एप्लाई किया ?

श्री फूलसिंह—किसी ने नहीं ।

*५-६—श्री पुत्तूलाल—[२२ अगस्त, १९५२ के लिये संख्या २२-२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

वारण्ट आफ प्रेसीडेंस में संशोधन

*७—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—२२ मार्च, १९५१ ई० को बजट सेशन के अवसर पर सरकार की तरफ से जो आश्वासन भवन को दिया गया था कि उत्तर प्रदेशीय-सरकार प्रदेश में होने वाले औपचारिक उत्सवों में सरकारी और गैरसरकरी व्यक्तियों के संबंध में अपना सप्लीमेण्टरी वारण्ट आफ प्रेसीडेन्स जारी करने की सोच रही है और इस सम्बन्ध में उसने भारत सरकार को लिखा है । क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर क्या कोई सप्लीमेण्टरी वारण्ट आफ प्रेसीडेंस जारी किया गया है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—जी नहीं । इस विषय में अभी केन्द्रीय-सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार भवन को यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जो अब तक वारण्ट आफ प्रिसिडेंस प्रचलित रहा है उसका क्या स्वरूप है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अब तक का जो है वह छपा हुआ है । आइन्दा के लिये हमने चाहा था कि हम बनावें लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा कि हम इसको देख रहे हैं और जब तक हमारी हिदायत न हो तब तक मत बनाओ । इसी सबब से यहां अब तक नहीं बनाया गया है ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस प्रकार का वारण्ट आफ प्रेसीडेंस अपने राज्य के लिये स्वयं तैयार करने में वैधानिक दृष्टि से स्वतंत्रता है अथवा नहीं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—बिना गवर्नमेंट आफ इंडिया की सम्मति के और उनकी रजामंदी के चाहे उसे वैधानिक समर्थता हो यह सरकार नहीं बनाना चाहती । प्रेसीडेंस वारण्ट सेंटर और प्राविंस का मिलाजुला होना चाहिये । इस तरह से नहीं बन सकता कि वहां कोई चीज हो और यहां कोई हो और वह मेल न खाये या गवर्नमेंट आफ इंडिया उसे ठीक न समझे ।

*८-१०--श्री होतीलाल दास (जिला एटा) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ ३०७ पर]

गुड़ उन्नति योजना के अन्तर्गत कार्य तथा कर्मचारी

*११--श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गुड़ उन्नति योजना कितने ग्रामों में चल रही है और इस योजना के अन्तर्गत क्या क्या कार्य हो रहा है?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--जी हां, गुड़ उन्नति योजना प्रान्त के ४,००० गांवों में चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत होने वाले कामों का ब्योरा इस प्रकार है:

१--अच्छे किस्म के कोल्हुओं का प्रचार करना, उनकी मरम्मत का इन्तजाम करना और किसानों को इनके टूटने पर मामूली मरम्मत कर लेने की ट्रेनिंग देना।

२--अच्छे प्रकार की भट्टियों को बनवाना और उनका इस्तेमाल बताना जिसमें समय और ईंधन की बचत के साथ-साथ अच्छा माल तैयार करने में मदद मिले।

३--गुड़ बनाने वाले किसानों को हर साल अच्छा गुड़ बनाने की शिक्षा देना और रस साफ करने वाली चीजों के प्रयोग की विधि बतलाना।

४--अच्छे किस्म के कढ़ावों का इस्तेमाल करवाना और उनका प्रचार करना।

५--गांवों में नुमाइश या और ऐसे मौकों पर अच्छे कोल्हू, कढाव तथा भट्टियों के लाभ बताना।

६--मंडियों से गुड़ भाव मंगाकर उन्हें गुड़ बनाने वाले किसानों तक पहुंचाना।

७--सहकारी समितियां (co-operative societies) बनाकर गुड़ की पैदावार को तिजारती मदद पहुंचाना।

८--रस की सफाई के लिये कार्बन बनाना तथा उसका गुड़ बनाने वालों में प्रचार करना।

श्री महाराज सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ४ हजार ग्रामों में १९५१-५२ में इस योजना से कितना गुड़ तैयार किया गया और प्रदेश से बाहर भेजा गया?

श्री हुकुम सिंह--इसकी तादाद तो इस वक्त मेरे पास नहीं है कि यह शुद्ध गुड़ बनाया हुआ कितना भेजा गया लेकिन लगभग एक करोड़ मन के करीब कुल भेजा गया था।

श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इम्प्रूवड क्वालिटी के कोल्हू कितने देहात में चल रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह--३०२।

*१२--श्री महाराज सिंह--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के कर्मचारी जो लगभग १२ वर्ष से सेवा करते हुये अस्थायी हैं क्या उन्हें स्थायी करने की सरकारी योजना है?

श्री हुकुम सिंह--जी नहीं।

गुड़ स्कीम के अन्तर्गत किसानों को किस्तों पर कोल्हू

*१३--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार गुड़ स्कीम में ग्रांट बढ़ाने का इरादा रखती है और साथ ही साथ किसानों को किस्तों पर कोल्हू देने का भी इरादा रखती है?

श्री हुकुम सिंह---सरकार गुड़ स्कीम में ग्रांट बढ़ाने का इरादा नहीं रखती परन्तु किसानों को तकावी पर कोल्हू दिये जायेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गुड़ स्कीम की ग्रान्ट को कम करने का असर गुड विभाग के कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा ?

श्री हुकुम सिंह---बुरा असर पड़ेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह---उन कर्मचारियों के लिये सरकार ने क्या सोचा है और वह किस काम में लगाये जायंगे।

श्री हुकुम सिंह---उन में जो उपयुक्त होंगे उनको कहीं न कहीं खपाने की कोशिश की जायगी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी कोल्हू को किराये पर उठाने की दर बतलायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह---मैं दर का उत्तर दूसरे सवाल में बताऊंगा जो इसके ही नीचे है ।

*१४---श्री रामहेत सिंह---क्या सरकार यह महसूस करती है कि पुराने (प्राइवेट) कारखानेदारों के बेकार कोल्हुओं पर जिनसे किसानों को नुकसान होता है कोई रोक लगा दे तथा ऐसा प्रबंध करे कि मनमानी क़ीमत पर वे उन्हें न उठा सकें ताकि उन्नतिशील विभागीय कोल्हू अधिक से अधिक किसान लिया करें ?

श्री हुकुम सिंह---अच्छे व उन्नतिशील कोल्हुओं के विषय में सभी काश्तकारों को मालूम है । इनका प्रचार कार्य भी उद्योग विभाग द्वारा हुआ है । अतः प्राइवेट कोल्हुओं पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । हां सरकार ने कोल्हुओं को किराये पर उठाने की दरों को निश्चित किया है जिनसे अधिक दर पर कोई भी उनको किराये पर नहीं उठा सकता।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि इन प्राइवेट उठाये गये कोल्हुओं से किसानों का बहुत नुकसान होता है ?

श्री हुकुम सिंह---रस कम निकलता है ।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन प्राइवेट कोल्हुओं की देखभाल के लिये कोई विभागीय जांच कराना निश्चित करेगी ?

श्री हुकुम सिंह---कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गन्ने से ६० प्रतिशत गुड़ कोल्हू से बनता है ?

श्री हुकुम सिंह---माननीय सदस्य का खयाल ठीक मालूम होता है ।

घरेलू उद्योग-धंधों की उन्नति

*१५---श्री सियाराम गंगवार (जिला फ़र्रुखाबाद)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह प्रान्त के घरेलू उद्योग-धंधों के विषय में अपनी क्या नीति रखती है ? क्या वह इनके प्रोत्साहन के लिये कोई नया क़दम उठाना चाहती है ? यदि उठाना चाहती है तो किन-किन उद्योगों के विषय में ? क्या गुड़ निर्माण उद्योग इसके अन्तर्गत है ?

श्री हुकुम सिंह—सरकार की नीति यथाशक्ति घरेलू उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने की है तथा हर सम्भव रीति से इन धंधों की सहायता कर रही है । इस वर्ष चमड़े की रंगाई, चमड़े के सामान की तैयारी, ऊन का धंधा, कपड़े की हाथ से बुनाई, फल संरक्षण उद्योग तथा अन्य व्यवसाय के शिक्षा शिविर की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । गुड़ को भी कुछ अंशों में इनमें सम्मिलित रखने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री सुल्तान आलम खां (ज़िला फ़र्रुखाबाद)—क्या सरकार की यह नीति है कि वह फ़ैक्टरियों के मुक़ाबले में काटेज इंडस्ट्रीज़ के बने हुये प्रोडक्शन को ज्यादा प्रिफरेन्स दे ?

श्री हुकुम सिंह—गवर्नमेंट चाहती है कि इन उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन दे और जिस तरीक़े से भी हो सके दे ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार की नीति है कि खंडसारी शकर की जो सूबे की सबसे बड़ी काटेज इंडस्ट्री है उस को मिल की शकर के ऊपर प्रिफरेन्स दे ?

श्री हुकुम सिंह—इस में सरकार कोई रुकावट नहीं डालना चाहती ।

श्री देवकी नन्दन विभव (ज़िला आगारा)—क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि चमड़े के उद्योग को प्रान्त के किन-किन शहरों में सरकार फैलाने का विचार रखती है ?

श्री हुकुम सिंह—इस वक्त इसकी तफ़सील नहीं बतलायी जा सकती। अगर नोटिस दिया जायगा या जब वह पूछेंगे तो मैं बतला दूंगा ।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतला वें कि पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्होंने घरेलू उद्योग-धंधों के लिये कोई योजना बनायी है

श्री हुकुम सिंह—पंच-वर्षीय योजना बनी ही इसी लिये है और उसमें इसका संकेत है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलावेंगे कि चमड़े के काम के लिये सरकार के पास विशेषज्ञ हैं ?

श्री हुकुम सिंह—हम हर वक्त इसकी तलाश किया करते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि अच्छे चमड़े के विशेषज्ञ क्यों नहीं मिलते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—यह मैंने नहीं कहा कि नहीं मिलते हैं ।

गुड़ उन्नति योजना का स्थायी करना

*१६—**श्री सियाराम गंगवार**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गुड़-उन्नति योजना को इस प्रान्त में कार्य करते हुये कितने वर्ष हुये ? क्या सरकार अब इसे स्थायी रूप देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुम सिंह—(अ) गुड़ उन्नति योजना को चले हुए अब पन्द्रह वर्ष हो गये हैं।

(ब) नहीं।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

*१७-१८—**श्री चिरंजीलाल** (ज़िला एटा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ३०८ पर]

गुड़ तथा शक्कर बनाने में गन्ने की प्रतिशत खपत

*१९—**श्री प्रतिपाल सिंह** (ज़िला शाहजहांपुर)—क्या उद्योग मंत्री कृपा करके यह बतलायेंगे कि गन्ने की उपज का कितना प्रतिशत गुड़ बनाने में खपत होता है और कितना प्रतिशत शक्कर इत्यादि के उत्पादन में ?

श्री हुकुम सिंह—गन्ने की उपज का ५० या ६० प्रतिशत कोल्हू में गुड़ बनाने के लिये पेरा जाता है और २३ प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों में शकर बनाने के लिये पेरा जाता है ।

*२०—**श्री प्रतिपाल सिंह**—इतने बड़े ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साह देने के लिये सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयत्न किये हैं तथा भविष्य में वह क्या करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह—सरकार ने इस उद्योग को बढ़ाने के लिये गुड़ योजना चलाई जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

१—बिना गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाये, पुराने और बेकार कोल्हुओं को अच्छे और अधिक प्रतिशत रस देने वाले कोल्हुओं से बदल कर उत्पादन बढ़ाना ।

२—ऐसी भट्टियां बनाना जिनसे उत्पादन की क़ीमत में कमी हो और गुड़ अच्छी किस्म का बने ।

३—रस साफ़ करने वाली वस्तुओं को वितरित करना तथा उनकी विधियां किसानों को बतलाना ।

४—ऐसे सुगम और वैज्ञानिक तरीकों को जो कि ग्रामीण वातावरण के अनुकूल हों, व्यवहार में लाना ।

५—भिन्न-भिन्न तरीक़ों से निर्यात बढ़ाना ।

६—आधुनिक तरीकों से गुड़ की मिठाई आदि की विधियां बताना ।

गत ५ वर्षों में जो कार्य हुआ है उसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

नए तरह के कोल्हू व भट्टियों का अब प्रचार हो चुका है अतः सरकार इस योजना का विस्तार कम करने का विचार कर रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७३ पर)

श्री सुल्तान आलम खां—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतावेगी कि इस योजना के चलाने से गुड़ की किस तरीके से तरक्क़ी हुई, उसकी पैदावार बढ़ी या क्वालिटी बढ़ी ?

श्री हुकुम सिंह—कुछ क्वालिटी बढ़ी और तादाद भी बढ़ी क्योंकि नये कोल्हू रस ज्यादा निकला ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार कृपा करके यह बतलावेगी कि इस ग्रामीण-उद्योग को सफल बनाने के लिये सरकार ने गुड़ की खपत का विदेशों में कोई बाज़ार रखा है ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये उद्योग किया जा रहा है ।

*२१—**श्री प्रतिपाल सिंह**—इस योजना में १४ साल से लगे हुये कर्मचारियों को इस समय तक स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुम सिंह—योजना अस्थायी रूप से चलाई गई इसीसे कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया ।

गुड़ उद्योग योजना का संचालन

*२२—**श्री उमाशंकर मिश्र** (ज़िला बाराबंकी)—क्या गवर्नमेंट बतलाने की कृपा करेगी कि गुड़ उन्नति योजना का कार्य कृषि विभाग से संबंधित है या उद्योग विभाग से और कब-कब किन-किन विभागों द्वारा संचालित हुआ ?

श्री हुकुम सिंह---गुड़ उन्नति योजना का कार्य कृषि विभाग और उद्योग विभाग दोनों से संबंधित रहा है । यह योजना नवम्बर १९३७ में उद्योग विभाग के अन्तर्गत चलाई गई । १९४२ में मितव्यता (economy) और राजनीतिक कारणों से बन्द कर दी गयी । १९४४ में इसको कृषि विभाग के अन्तर्गत फिर से चलाया गया पर तीन वर्ष बाद १९४७ में इसे पुनः उद्योग विभाग से संबंधित कर दिया गया । तब से अब तक यह इसी विभाग की देख-रेख में चलती रही है ।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ उन्नति योजना पूर्वी जिलों में विशेष तौर पर चलाई जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह---अगर हमारे मित्र को बुरा न लगे तो जरूर ऐसा करना चाहते हैं ।

*२३---**श्री उमाशंकर मिश्र**---क्या गवर्नमेंट गुड़ उन्नति योजना को स्थायी करने और उसे विस्तार देने का इरादा रखती है ?

श्री हुकुम सिंह--जी नहीं ।

मुज़फ़्फ़रनगर जिले के परगना पोकरहेडी के बाढ़-ग्रस्त ग्रामीणों को पथरी जंगल जिला सहारनपुर में बसाना

*२४---**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुज़फ्फरनगर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुज़फ़्फ़रनगर के परगना पोकरहेड़ी के कई ग्राम मीरपुरकवां, मीरपुरखुर्द, टिकौला, जोगापुरी बिहारगढ़ आदि की गंगा नदी के पास आ जाने और उसके किनारा टूट जाने से बह जाने का हर समय खतरा बना रहता है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--जी हां ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बाढ़ का असर कितने गांवों और कितने मनुष्यों पर पड़ेगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---गांवों के नाम तो स्वयं आपने दे ही दिये हैं । आपने जो नाम दिये हैं वही जिला मैजिस्ट्रेट ने भी दिये हैं ।

*२५---**श्री बलवन्त सिंह**---क्या सरकार इन गांवों के लोगों को पथरी जंगल, जिला सहारनपुर में बस जाने के लिये स्थान दे रही है ? यदि हां, तो इन लोगों को उस जंगल में कब तक बसाया जा सकेगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, आगामी ग्रीष्म ऋतु तक ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई जमीन पथरी जंगल में बाढ़-ग्रस्त लोगों को बांटी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---पथरी जंगल में बाढ़ ग्रस्त ग्रामीणों को ६०० एकड़ जमीन दी जा रही है जो कलेक्टर की सिफारिश पर वितरण की जायगी ।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पथरी जंगल में जमीन देने का क्या आधार है यानी भूमिहीनों को कितनी, हरिजनों को कितनी , राजनैतिक पीड़ितों को कितनी और शरणार्थियों को कितनी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---१ हजार के लगभग शरणार्थियों को और १५ सौ के लगभग बाढ़-पीड़ितों और हरिजनों को दी जाने वाली है ।

श्री जयपाल सिंह—इस भूमि में से हरिजनों को कितनी जमीन दी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैंने बताया कि १५ सौ बाढ़ पीड़ित और हरिजनों को दी जा रही है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों में क्या उसी जगह के हरिजन होने चाहिये या प्रान्त के किसी भी भाग के हरिजन ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी इस पर विचार नहीं किया गया है । जब वितरण का प्रश्न उठेगा इस पर विचार किया जायगा, अभी तो वहां जंगल साफ होने हैं ।

श्री जयपाल सिंह—क्या यह सच है कि ग्राम रंजीतपुर, सोनपुर, वगैरह जिला सहारनपुर के लोगों ने अधिकारियों को झूंठे तार दे कर जमीन हासिल करने की कोशिश की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बाढ़ पीड़ितों को जो जमीन दी जा रही है वह केवल ६०० एकड़ है, अभी तो उसमें से ९०० एकड़ जमीन बाकी बची है ।

खादी विकास तथा तेल घानी योजनायें

*२६—**श्री धर्म सिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी के उद्योग तथा कच्ची घानी के तेल को बढ़ाने में अब तक क्या प्रबंध किया गया और उस का क्या परिणाम निकला ?

श्री हुकुम सिंह—खादी विकास योजना १९४७-४८ में चलायी गयी थी । योजना के दो भाग हैं, १—विकास और २—ग्रान्ट । विकास से अन्तर्गत कताई तथा सहायक कताई शिक्षा गांव में कातने वालों व स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा तथा चर्खा रुई-वितरण और सूत उत्पत्ति का निरीक्षण किया जाता है । ग्रान्ट के अन्तर्गत खादी संस्थाओं को खादी उत्पत्ति के लिये सहायता तथा स्वावलम्बन और अनुसंधान के कार्य में सहायता दी जाती है ।

इस योजना में १९५१-५२ तक २९३ कताई शिक्षक, ९३ स्पिनिंग गाइड, ९३० स्थानीय कार्यकर्त्ता, ३५,१११ ग्रामकत्तिने, २६ बुनाई शिक्षक, २५२ बुनकर और चर्खा बनाने में २२ बढ़ई ट्रेन्ड हुये । सूत उत्पत्ति २७३२ मन तथा खादी उत्पत्ति सरकारी केन्द्रों द्वारा ४५, २९३ गज हुई । खादी संस्थाओं द्वारा खादी उत्पत्ति को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने १ आना प्रति गज सबसिडी १९५०—५१ तक निम्न प्रकार दी :

खादी उत्पत्ति	..	५१,२४,७०० वर्ग गज ।
सबसिडी	..	४,११,९७० रुपया १३ आना ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी निश्चय किया कि जहां तक संभव हो सरकार अपनी कपड़े की आवश्यकताओं को खादी से ही पूरा करे ।

तेल घानी योजना द्वारा किये गये कार्य का वार्षिक विवरण इस प्रकार है :

कार्य विवरण	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
१—योजना के अन्तर्गत जिले	३०	३०	३०	३०
२—बढ़इयों की संख्या जो शिक्षित किये गये	८२	१७८	४७	१९

कार्य विवरण	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
३—घानियों की संख्या जो चालू की गई	३७०	३०४	१८२	६४
४—सहकारी समितियां जो संगठित की गयीं	...	...	२	४

इस योजना से खादी व घानी के तेल के उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हिन्दुस्तान के पूंजीपति और ब्लैकमार्केटियर्स की खादी की तरफ ज्यादा रुचि होने की जो परिस्थिति पैदा हो गयी है उसको मद्देनज़र रखते हुये क्या सरकार यह सोचेगी कि खादी के लिये कुछ ज्यादा रुपया दिया जाय ?

श्री हुकुम सिंह—खादी की सहायता के लिये सरकार हमेशा तैयार है ।

श्री धर्म सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि खादी का बहुत सा स्टाक गांधी आश्रमों में पड़ा हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह—मुमकिन है कि ऐसा हो लेकिन ठीक पता नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि विदेशों की आयी हुई रुई का खादी बनाने में उपयोग होता है ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री धर्म सिंह—क्या सरकार खादी के स्टाक की खपत का विशेष प्रबंध करने का सरकारी दफ्तरों में इरादा रखती है ?

श्री हुकुम सिंह—इसका जवाब तो दिया जा चुका है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस समय जो अकाल-ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर चर्खे के प्रयोग से नहीं लाभ उठाया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, खयाल तो यही है । निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता ।

श्री गजेन्द्र सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वार्धा घानी से जो तेल निकलता है वह मिल के मुकाबले में तेज बिकता है ?

श्री हुकुम सिंह—मैंने कभी दुकान की नहीं । मैं बता नहीं सकता ।

*२७—**श्री धर्म सिंह**—क्या अब तक इस उद्योग को बढ़ाने के लिये कोई सहायता की है ?

श्री हुकुम सिंह—खादी योजना के अन्तर्गत खादी उद्योग को बढ़ाने के लिये विभिन्न संस्थाओं को सन् १९५१-५२ तक १५,६६,१४५ रुपया की सहायता दी गयी ।

तेल घानी के उद्योग को बढ़ाने के लिये कम समय में अधिक तिलहन पेरने वाली घानियों को चालू कराया गया । इसके अतिरिक्त नये तरह की वार्धा घानी बनाने की व उनके मरम्मत की शिक्षा बढ़इयों को दी गयी है ताकि सस्ते दामों में घानी मिल सके ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खादी योजना पर अब तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

श्री हुकुम सिंह—मैंने जवाब में पढ़ दिया ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी अब तेल की दुकान खोलने की सोच रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--अगर आप मदद करें तो मैं खोल दूंगा ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार इस आपत्तिकाल में, जब कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भादों के महीने में टेस्ट वर्क्स में काम नहीं मिल रहा है, अगर खादी उद्योग के लिये पैसे देने की जरूरत हो तो देने को तैयार है ?

श्री हुकुम सिंह--मैं इससे सहमत नहीं हूं कि टेस्ट वर्क्स में काम नहीं मिल रहा है ।

श्री शिवनारायण--टेस्ट वर्क्स में जो खर्च हो रहा है उसको प्लस करके सरकार खादी विभाग में खर्च करके गरीबों की मदद करने को तैयार है ?

श्री हुकुम सिंह--जरूर। यह तो बड़ा शुभ काम है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खादी को जो सहायता दी जाती है वह यूस वैल्यू की दृष्टि से दी जाती है या एक्सचेंज वैल्यू की दृष्टि से दी जाती है ?

श्री हुकुम सिंह--खादी प्रजा हित की चीज है और इसके जरिये से हमको स्वराज्य हासिल करने में बड़ी सहूलियत हासिल हुई थी, इसलिये हम खादी की मदद करते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि खादी की उत्पत्ति अधिक होती है और खादी की खपत दिन प्रति दिन कम होती जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह--मुमकिन है कि ऐसा हो । लेकिन हम लोग अगर खूब खादी पहनना शुरू कर दें तो काफी खपत हो जाय ।

*२८--**श्री धर्म सिंह**--भविष्य में इस उद्योग को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

श्री हुकुम सिंह--खादी के विकास के लिये शिक्षण कार्य अब काफी मात्रा में हो चुका है । अतः सरकार विकास योजना के विस्तार को आवश्यकतानुसार काम करने का विचार कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी विचार कर रही है कि सरकार द्वारा और भी अधिक खादी प्रयोग की जाय ताकि इस घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिले। हां, खादी का कार्य करने वाली संस्थाओं को पूर्ववत ग्रान्ट मिलते रहेंगे ।

घानी तेल की योजना सरकार बन्द करने का विचार कर रही है ।

*२९--**श्री फ़तेह सिंह राणा** (जिला मेरठ)--(अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ ३०८ पर]

सहयोग समिति बनारस द्वारा ईख की मशीनों की बिक्री

*३०--**श्री बेचनराम गुप्त** (जिला बनारस)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि सहयोग समिति बनारस द्वारा कितनी ईख की मशीन किसानों के हाथ बेची गयीं और कितनी मशीन अभी वैसे ही पड़ी हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--बनारस जिले में सहयोग समिति बनारस नामक कोई सहकारी संस्था नहीं है अतः उस संस्था द्वारा ईख की मशीनों के विक्रय का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार को पता है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी, बनारस, के बंगले पर बहुत से कोल्हू पड़े हुये हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--नहीं मालूम।

गंगापुर बनारस में अस्पताल की इमारत बनाने के लिये सामूहिक जुर्माने का उपयोग

*३१--**श्री गजेन्द्र सिंह**--क्या सरकार को पता है कि सन् १९४२ के सामूहिक जुर्माने का २१,००० रुपये के ऊपर गंगापुर, बनारस में एक अस्पताल बनाने के लिये, स्वीकार किया गया था ?

श्री मंगला प्रसाद--जी नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बनारस में सामूहिक जुर्माना और लड़ाई का सामूहिक चन्दा, जिसे हम सामूहिक जुर्माना ही मानते हैं, कुल कितना वसूल हुआ ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या यह रकम केवल सामूहिक लड़ाई के चन्दे से ही संबंधित है ?

श्री मंगला प्रसाद--यह जवाब दिया जा चुका है। जिस तरफ आप का इशारा है वह सामूहिक चन्दे से है। जैसा आप का सवाल सामूहिक जुर्माने का है वह गलत है २१ हजार रुपया दिया गया है, लेकिन वह इस विभाग से ताल्लुक नहीं रखता।

*३२--**श्री गजेन्द्र सिंह**--वह अस्पताल की बिल्डिंग अभी तक नहीं बनायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगला प्रसाद--प्रश्न नहीं उठता।

श्री विष्णु नारायण असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज जीवनी मण्डी आगरा के विरुद्ध शिकायत

*३३--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जीवनी मंडी, आगरा के असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के विरुद्ध कोई शिकायत आयी है ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है ?

श्री मंगला प्रसाद--सरकार के पास श्री विष्णु नारायण, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (कन्ज्यूमर्स स्टोर्स) के विरुद्ध जो कि जीवनी मंडी आगरा में रहते हैं कोई शिकायत नहीं आयी है परन्तु श्री प्रताप सिंह सरपंच, ग्राम बैंक लिमिटेड, जरौली कलां, आगरा ने सन् १९५१ में रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास श्री विष्णु नारायण द्वारा उनके प्रति किये गये दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। रजिस्ट्रार ने इसकी जांच की और इस शिकायत को मिथ्या पाया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलानेकी कृपा करेंगे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, विष्णु नारायण की नियुक्ति जीवनी मंडी आगरा, में कब हुई ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

* * * * *

घरेलू उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये कार्यान्वित योजनायें

*८—श्री होतीलाल दास (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के घरेलू उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये कौन कौन सी योजनायें कार्यान्वित की गयीं और प्रत्येक पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री हुकुम सिंह—उत्तर प्रदेश में जो घरेलू योजनायें चालू की गईं और उन पर १९४५-४६ से लेकर १९५१-५२ तक जो रुपया खर्च किया गया वह संलग्न नक्शे में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७४ पर)

*९—श्री होतीलाल दास (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में देशी किस्म के पुराने गन्ने पेरने के कोल्हुओं की संख्या कितनी है, उनसे औसतन कितनी क्षति किसानों को उठानी पड़ती है, इन पुराने कोल्हुओं के स्थान पर सरकार ने कितने नये कोल्हू जिनमें रस का परता अधिक बैठता है किसानों को दिये और जो शेष हैं उनके स्थान पर उन्नतिशील कोल्हुओं को दिलाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री हुकुम सिंह—पुराने कोल्हुओं की ठीक-ठीक संख्या प्राप्त नहीं है। पुराने ढंग के कोल्हुओं से ५० से ५५ प्रतिशत तथा उन्नतिशील कोल्हुओं से ६० से ७० प्रतिशत रस निकलता है। गुड़ उन्नति योजना द्वारा ४,३०३ नये कोल्हू गत पांच वर्षों में नक़द या तकावी दे कर किसानों को दिये गये थे। भविष्य में भी आवश्यकतानुसार तकावी देने की व्यवस्था करने का विचार है।

*१०—श्री होतीलाल दास (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में खादी के विकास के लिये सरकार ने क्या निश्चय किया और इसको सफल बनाने के लिये कितनी धनराशि व्यय की गयी और उससे खादी के विकास में कितने प्रतिशत उन्नति हो सकी ?

श्री हुकुम सिंह—१—सरकार की यह नीति रही है कि खादी को प्रोत्साहन दिया जाय। इसी उद्देश्य से सन् १९४७ में एक विशेष खादी योजना चलाई गई। योजना का उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक खादी की उत्पत्ति हो व उसका प्रयोग बढ़े। इस योजना को चलाने के लिये एक खादी विकास बोर्ड भी बनाया गया जिसकी राय व सिफारिशों पर बजट में रक्खे गये रुपये का व्यय किया गया।

२—योजना का उद्देश्य लोगों को कातने व बुनने की शिक्षा देना था। इस योजना में १९५१-५२ तक २९३ कताई शिक्षक, ६३ स्पिनिंग गाइड, ६३० स्थानीय कार्यकर्त्ता, ३५,१११ कातने वाले, २६ बुनाई शिक्षक, २५२ बुनकर, २२ बढ़ई चर्खे बनाने में ट्रेन किये गये। इसके अतिरिक्त खादी उत्पत्ति पर ४,११,९७० रुपये १३ आना की सबसिडी दी गयी।

३—योजना में १९४७-४८ से, जब से योजना चालू हुई ३१ मार्च, १९५२ तक कुल २८,०९,२५१ रुपया बतौर ग्रान्ट के दिया गया और १२,४३,१०६ रुपया विकास में खर्च हुआ।

४—साथ ही साथ यह भी आदेश था कि सरकार की जरूरत के कपड़े यथासम्भव खादी के ही हों।

५—अब खादी योजना में विकास का कार्य काफी मात्रा में हो चुका है। अतः सरकार इस योजना के विस्तार में जहां तक ऐसा करना अनिवार्य प्रतीत होगा कमी करना चाहती है। लेकिन खादी को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा खादी खरीदने का निश्चय व उसके संबंधी आदेश पहले की तरह रहेंगे व लागू होंगे, साथ ही साथ खादी आश्रमों की सहायता के लिये भी अनुदान देने की व्यवस्था होगी।

६—सरकारी प्रयत्नों से खादी विकास में कितनी प्रतिशत उन्नति हुई है इसके लिये कोई भी आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

* * * * *

गुड़ योजना का चालू किया जाना तथा तोड़ा जाना

*१७—श्री चिरंजी लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गुड़ उन्नति योजना कब किन उद्देश्यों से प्रथम बार गृह-उद्योग विभाग में चली ?

श्री हुकुम सिंह—गुड़ उन्नति योजना सन् १९३७ ई० में प्रथम बार निम्नलिखित उद्देश्यों से चलाई गई :—

१—बिना गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाये, पुराने और बेकार कोल्हुओं को अच्छे और अधिक प्रतिशत रस देने वाले कोल्हुओं से बदल कर उत्पादन बढ़ाना ।

२—ऐसी भट्टियां बनाना जिन से उत्पादन की क़ीमत में कमी हो और गुड़ अच्छी क़िस्म का बने ।

३—रस साफ करने वाली वस्तुओं को वितरित करना तथा उनकी विधियां किसानों को बतलाना ।

४—ऐसे सुगम और वैज्ञानिक तरीकों को जो कि ग्रामीण वातावरण के अनुकूल हों, व्यवहार में लाना ।

५—भिन्न तरीक़ों से निर्यात बढ़ाना ।

६—आधुनिक तरीकों से गुड़ की मिठाई आदि की विधियां बताना ।

*१८—श्री चिरंजी लाल (अनुपस्थित)—क्या इस योजना को स्थायी रूप दिया गया था ? यदि नहीं, तो वह कब और किन कारणों से तोड़ दी गई ?

श्री हुकुम सिंह—इस योजना को स्थायी रूप नहीं दिया गया था । यह योजना सन् १९४२ में राजनैतिक कारणों तथा रुपया बचाने के हेतु तोड़ दी गयी थी लेकिन सन् १९४७ में फिर अस्थायी रूप से चला दी गई ।

* * * *

*२९—श्री फ़तेह सिंह राणा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गुड़ उद्योग की उन्नति के लिये सरकार द्वारा पिछले वर्षों में कितना-कितना रुपया व्यय किया गया और उससे इस उद्योग की उन्नति में कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

श्री हुकुम सिंह—गत ५ वर्षों में गुड़ योजना पर सरकार द्वारा किये गये व्यय और उद्योग की उन्नति का ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७६ पर)

अतारांकित प्रश्न

गुड़ उन्नति योजना चालू करने के लिये सहायता

१—श्री मिजाजी लाल (ज़िला मैनपुरी)—क्या यह सच है कि गुड़ उन्नति योजना एक ग्रामीण उद्योग है ? उसको प्रोत्साहन देने के लिये ईख पेरने वाले कोल्हुओं को तकावी देने का सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह---जी हां, गुड़ उन्नति योजना ग्रामीण उद्योग है। सरकार ईख पेरने वाले कोल्हुओं के लिये तकावी देती है। चालू आर्थिक वर्ष के बजट में कोल्हुओं को तकावी देने के लिये एक रकम रक्खी गई है।

गुड़ योजना को प्रोत्साहन

२---श्रीमती आशालता व्यास (ज़िला अलीगढ़)---सरकार गुड़ योजना को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कर रही है तथा भविष्य में क्या करना चाहती है?

श्री हुकुम सिंह---गुड़ उन्नति योजना लगभग १५ वर्ष से इस प्रदेश में चल रही है। इस योजना का ध्येय उन्नतिशील प्रकार के कोल्हुओं तथा भट्टियों द्वारा उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की कीमत में कमी करना तथा रस साफ करने वाले पदार्थों द्वारा अच्छे प्रकार के गुड़ का बनाना था।

इस योजना में काफी काम हो चुका है। अच्छे कोल्हू व भट्टी की जानकारी सभी गुड़ बनाने वालों में हो चुकी है। गुड़ अच्छे तरह का अब काफी बड़ी मात्रा में बन रहा है। लोग नये तरीकों व होने वाले प्राप्त लाभ को समझ चुके ह। इसलिये अब अधिक प्रचार कार्य की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इसीलिये सरकार इस योजना के विस्तार को आवश्यकतानुसार कम करने का विचार कर रही है। फिर भी नए तरह के कोल्हू के लिये तकावी देने की सुविधा रहेगी और इस मद में पिछले साल की तरह इस साल भी धनराशि का प्रबन्ध किया गया है।

सन् १९४८-४९ के ईख के दाम से अमानती रक़म का ज़मींदारी उन्मूलन कोष में जमा किया जाना तथा रोकी हुई रक़म की देवरिया ज़िला सहयोग समिति को वापसी

३---श्री गेंदा सिंह (ज़िला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि सन् १९४८-४९ के ईख के दाम से अमानत के तौर पर जमा की गयी रक़म में से कितनी रक़म ज़मींदारी उन्मूलन कोष में जमा हुई और कितनी रक़म इसके अतिरिक्त वापस की गयी और कितनी रक़म अब तक अदा करने को बाक़ी है?

श्री मंगला प्रसाद---सन् १९४८-४९ के ईख के दाम से अमानत के तौर पर जमा हुई रक़म में से ८९,९१,५७९ रु० के बाँड जमींदारी उन्मूलन कोष में दिये गये जिनके विरुद्ध कोआपरेटिव बैंक ने ८२,००,००० रु० जमींदारी उन्मूलन कोषमें जमा किया है। इसके अतिरिक्त ७४,७०,८०६ रु० वापस किया गया और १७,७२,३०४ रु० अदा करना बाकी है।

४---श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि देवरिया ज़िले के कोआपरेटिव सम्मेलन में पिछली मई में एक मत से यह मांग की गयी थी कि रोकी हुई रक़म को फ़ौरन वापस कर दिया जाय और अब तक रोक रखने या ग़लत ढंग पर ज़मींदारी उन्मूलन में जमा कर लेने पर नाराज़गी ज़ाहिर की गयी थी?

श्री मंगला प्रसाद---रोकी हुई रक़म को फौरन वापस करने की मांग की गई थी परन्तु रक़म को रोक रखने या ज़मींदारी उन्मूलन कोष में जमा करने पर कोई नाराज़गी नहीं जाहिर की गई थी।

बस्ती ज़िले में कुटीर उद्योग

५---श्री राजाराम शर्मा (ज़िला बस्ती)---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कुटीर उद्योग कहां-कहां चल रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह--बस्ती जिले में कुटीर उद्योग निम्नलिखित स्थानों में चलते हैं :

हाथ से कपड़ा बुनाई--मगहर, खलीलाबाद, काजीपुर, महदावल, सिकन्दरपुर, बहादुरपुर तथा पुरनिया।

मिट्टी के बर्तन बनाना--चिल्हिया।

कांच की चूड़ियां बनाना--शोहरतगढ़।

धान कूटने का काम--शोहरतगढ़।

पीतल के बर्तन बनाना--बखीरा, भार, भार पुरवा, विस कोहर।

रंगाई और छपाई का काम--बहादुरपुर, बांसी।

टाट पट्टी बनाना--गंगरगर, बुन्दा बाजार, किरपालपुर तथा जनहा।

६--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क़स्बा बखिरा, मिर्जापुर को छोड़ कर हमारे प्रान्त में पीतल और फूल के बर्तन बनाने के कुटीर उद्योग का केन्द्र नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह--कस्बा वखिरा, मिर्जापुर के अतिरिक्त पीतल और फूल के बर्तन बनाने के कुटीर उद्योग के केन्द्र निम्नलिखित हैं :--

हाथरस, मुरादाबाद, शामली तथा मीरांपुर (मुजफ्फरनगर), ओयल (खीरी), मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, बनारस, बहराइच, जैदपुर (बाराबंकी) लखनऊ, कानपुर, शामशाबाद तथा सराय आकिल (इलाहाबाद), बिन्दकी (फतेहपुर) तथा बड़ौत (मेरठ)।

७--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस क़स्बा के कुटीर उद्योगों, जैसे पीतल, फूल के बर्तन बनाने, गोन और नर्कट की चटाइयां बनाने को कुछ प्रोत्साहन दिया है ?

श्री हुकुम सिंह--नहीं। बखिरा में पीतल तथा फूल के बर्तन पुराने पीतल और फूल की कतरन से बनाये जाते हैं। यहां के कारीगरों ने कभी कोई सरकारी सहायता नहीं मांगी, उन्हें किसी प्रकार की सहायता भी नहीं दी गई। गोन तथा नर्कट की चटाई बखिरा तथा उन सभी नदी तटीय स्थानों पर जहां नर्कट यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होता है, बनाई जाती हैं। इस उद्योग को इस विभाग से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई।

श्री झारखंडे राय के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अध्यक्ष की व्यवस्था

अध्यक्ष--कल श्री झारखंडे राय ने इस सदन के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया था कि उनके पीछे सी० आई० डी० के गुप्तचर लगाये जाते हैं। मैं उसको पढ़कर सुना देता हूं।

"यों तो मेरे पीछे विधान सभा में निर्वाचित होने के बाद भी रात दिन सी० आई० डी० के गुप्तचर लगाये जाते ह, वे मेरा पीछा लखनऊ में भी जब मैं विधान सभा के काम से आता हूं नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं वे मेरा पीछा करने के लिये विधान सभा की गैलरी में भी आकर रोज बैठते हैं। यह मेरा अपमान है और अधिकार हनन मैं समझता हूं। इसको स्पष्ट करने के लिये मुझे सदन के सम्मुख एक वक्तव्य देने की आज्ञा प्रदान की जाय।"

इसके अनुसार उन्होंने कल सदन के सामने इसका जिक्र किया। मैंने उनसे यह कहा था कि जहां तक यहां पर सदन में लाबीज़ वग़ैरा में गुप्तचर लगाने का प्रश्न है, तहकीकात करने के बाद ऐसा मालूम हुआ है कि ऐसे गुप्तचरों के अन्दर घुसने की इजाजत नहीं है। तो भी मने पूरी जांच करने के लिये और जानकारी हासिल करने के लिये माननीय गृह मंत्री के पास वह शिकायत भेजी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे इस बारे में ताज्जुब है कि इस तरह की शिकायत हो, क्योंकि कोई भी प्लेन क्लोदस (सादे कपड़े) वाले को यानी सी० आई० डी० वाले को यहां पर इमारत के अन्दर, चाहे लाबीज़ में हो चाहे गैलरीज़ में हो, कहीं भी न इजाजत दी जाती है और न वे बैठते हैं। इसलिये यह शिकायत ग़लत सी है। हां, यह बात जरूर है कि इस सेक्रेटेरियेट की बिल्डिंग में हिफाजत के नाते जैसे पुलिस का इन्तजाम है, माननीय सदस्यों की हिफाजत करना है, माननीय मंत्रिगण की हिफाजत करना है, हर एक आदमी की हिफाजत की आवश्यकता है, उसी के आवश्यकता के अनुसार वैसे ही सी० आई० डी० के लोग रहते हैं। अगर उनमें से कुछ आदमियों को माननीय झारखंडे राय पहचान लेते हों और उन्हें यह भ्रम हो जाता हो--यह मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, माननीय गृह मंत्री के शब्दों में नहीं--कि वे उनके पीछे ही लगे हुये हों, तो ऐसा भ्रम हो सकता है।

इस स्पष्टीकरण के बाद मैं माननीय झारखंडे राय जी से यह कह देना चाहता हूं कि वह विश्वास रखें कि सदन के हर एक माननीय सदस्य के मान और अपमान की जिम्मेदारी इस सदन की है और मेरे ऊपर भी है, अध्यक्ष के नाते। तो उनके पीछे इस किस्म की कोई सी० आई० डी० यहां नहीं रखी जाती है। लेकिन सी० आई० डी० का प्रबन्ध सेक्रेटेरियट में कहीं-कहीं अवश्य होता है और उसमें से यदि कोई पहचान लिया जाय तो माननीय सदस्य उससे यह न समझें कि उन्हीं के ऊपर वह किसी तरह से तैनात किया गया है। ऐसी अवस्था में यहां पर विशेष अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५२

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर) अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५२ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७७ पर)

राज्य की खाद्य-स्थिति पर विचार

अध्यक्ष--अब मैं माननीय अन्न मंत्री जी से प्रार्थना करने से पहले सदन को यह सूचना दे देना चाहता हूं कि इसके ऊपर वादविवाद करने के सम्बन्ध में अन्न मंत्री जी इस प्रस्ताव को पेश करेंगे और मैं तत्काल ही उसके ऊपर राय ले लूंगा कि विचार किया जाय। मैं समझता हूं अन्न मंत्री जी को उसके ऊपर तत्काल भाषण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यही यहां की प्रथा इस तरह का आम विचार विनिमय करने के बारे में हो चुकी है। एक दफा तो यह हुआ कि जब ऐसी समस्या आयी तो माननीय खाद्य मंत्री खड़े हुये, उन्होंने यह प्रस्ताव विचारार्थ रखा और अपना भाषण भी दे दिया। उसके बाद सदन का मत लिया गया। यह बात पुरानी है, सन् १९४६ की। लेकिन १९५१ में फिर से इसके ऊपर जब बहस हुई तो उसे तत्काल ले लिया गया था जिसमें हर एक माननीय सदस्य को आज़ादी रहे कि उस बहस में भाग ले सके। यह उचित होगा कि पहले यह निश्चय सदन कर ले कि विचार किया जाय। इसके बाद विचार जारी हो। इसलिये माननीय अन्न मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को पेश कर दें। मेरे उसके ऊपर राय लेने के बाद वह फिर अपना भाषण देंगे।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्य की खाद्य-स्थिति पर विचार करे।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--मैं माननीय अन्न मंत्री के प्रस्ताव पर एक संशोधन पेश करन चाहता हूं ।

अध्यक्ष--अन्न मंत्री जी तो प्रस्ताव कर चुके और वह पास भी हो चुका है। यह सूचना आपकी पहले आनी चाहिये थी, मने शुरू में यह कह दिय था। अब आप अपने भाषण में जो कुछ कहने वाले हों कह सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं अपना भाषण प्रारम्भ करूं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने वक्तव्य का जो लिखित भाषण मैंने इस सदन के सदस्यों की सुविधा के लिये तैयार कर लिया है वह कृपया सदस्यों की मेजों पर रखने की आप आज्ञा प्रदान करें। इससे सदस्यों को जो आंकड़े इत्यादि में प्रस्तुत करूंगा उनके समझने में सुभीता होगा।

अध्यक्ष--मैं समझता हूं सदन की इसमें अनुमति है। दो, तीन मिनट इसमें भले ही लग जायं लेकिन यह लिखित भाषण सब के पास पहुंच जाने से सुविधा होगी।

(इसके पश्चात् अन्न मंत्री के लिखित भाषण की प्रतियां सदस्यों की मेजों पर रखी गयीं।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इधर कुछ समय से प्रदेश और विशेषत : पूर्वी जिलों की खाद्य-स्थिति की काफी चर्चा समाचार पत्रों और विधान मंडल में हुई है। गत जुलाई के प्रारम्भ में खाद्य नियंत्रण ढीला करते समय तक की स्थिति का रिव्यू (सिंहावलोकन) मैंने ३० जून को रेडियो पर और फिर १७ जुलाई को खाद्य तथा रसद विभाग का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय विधान सभा में किया था। अतः आज मैं उसके बाद उत्पन्न हुये हालात से सदन को अवगत कराने के लिये कुछ तथ्य आपके सम्मुख रख रहा हूं। आशा है, यह माननीय सदस्यों को प्रदेश की खाद्य समस्या पर विचार करते समय सहायक होंगे।

पहिली जुलाई को नयी खाद्य नीति अपनाने के उपरान्त प्रमुख कार्य अन्न के बाजार भावों को स्थित करके उन्हें समुचित स्तर पर लाना था। सरकार ने इस ओर कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। नगरों के ७२ लाख निवासियों को नियंत्रित भावों पर अन्न देना पूर्ववत् जारी है। इससे उनकी अधिकांश आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं और खुले बाजार में अन्न की मांग नहीं बढ़ने पाती। साथ ही, राशन की दूकानों से मिलने वाले अनाज की कीमतें सरकार करोड़ों रुपयों का भारी घाटा उठाकर भी कम रख रही है। वास्तव में इस समय उत्तर प्रदेश में राशन के गल्ले के भाव समान्यतः देश के अन्य कई प्रमुख राज्यों की तुलना में काफी कम हैं। नगर निवासियों के अतिरिक्त इस समय पहाड़ी क्षेत्रों की लगभग ढाई लाख और पूर्वी जिलों की साढे अठत्तर लाख जनसंख्या को सस्ते दामों पर मोटा अनाज दिया जा रहा है। इससे उनकी वर्तमान कठिनाई दूर होने के साथ ही वहां के स्थानीय बाजारों में अन्न का भाव अधिक नहीं बढ़ने पाता। इन व्यवस्थाओं के रहते हुये भी मंडियों में गल्ले की कीमत गत डेढ़ मास में धीरे-धीरे चढ़ती ही गयी है। प्रदेश के प्रमुख मंडियों के पिछले कुछ सप्ताहों के अन्न के भावों का नक्शा माननीय सदस्यों की मेज पर रख दिया गया है। कीमतों को इस प्रकार बढ़ने से रोकने के लिये कई अन्य कार्यवाहियां की गई हैं।

जुलाई के मध्य में ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अन्न के भावों के चढ़ने का एक प्रमुख कारण प्रदेश की आटे की मिलों की भारी खरीद भी है। अतः तुरन्त ही इन मिलों को देशी गेहूं खरीदने से वर्जित कर दिया गया। अब उन्हें विदेशों से आयात किया हुआ गेहूं 'न घाटा

और न लाभ' के आधार पर मैदा आदि बनाने के लिये दिया जा रहा है। साथ ही कुछ दिनों से एक और योजना चालू की गई है। इसके अन्तर्गत उन बिना राशन वाले कस्बों और छोटे नगरों में, जहां गेहूं का भाव २२ रु० प्रति मन से अधिक है, सरकार विदेशी गेहूं 'न घाटा और न लाभ' के आधार पर मूल्य निश्चित कर के बिकवाने का प्रबंध कर रही है। गोंडा, नवाब गंज और बलरामपुर के बाजारों में गेहूं इस प्रकार सप्लाई किया जा रहा है। इन सभी स्थानों में गेहूं का भाव कम करने में काफी सफलता प्राप्त हुई है।

अन्न के भाव समुचित स्तर पर लाने के लिये प्रदेश के व्यापारी वर्ग का सक्रिय सहयोग भी आमंत्रित किया गया है। इस सम्बध में २ अगस्त को प्रदेश के गल्ले के व्यापारियों के विभिन्न प्रमुख संघों और आटा मिलों की प्रादेशिक संस्था के प्रतिनिधियों तथा इस व्यवसाय के प्रभावशाली व्यक्तियों का एक सम्मेलन लखनऊ में बुलाया गया था। इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने राज्य की विभिन्न मंडियों में अन्न के भाव नियमित करके उचित स्तर पर लाने के लिये "उत्तर प्रदेश खाद्य संघ" नामक संस्था बना ली है। उन्होंने प्रदेश के बहुतायत वाले क्षेत्रों में अपने प्रयत्नों द्वारा गेहूं का भाव तत्काल १७ रु० ८ आ० मन और कमी के क्षेत्रों में १९ रु० ८ आ० मन कराने का निश्चय भी किया था। किन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक इसका कोई विशेष फल दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। फिर भी, मुझे विश्वास है कि यदि व्यवसायी वर्ग अपनी स्वयं और समस्त समाज की भलाई से प्रेरित होकर सच्चे प्रयत्न करें, तो कोई कारण नहीं कि इस विषय में उसे पूर्ण सफलता न प्राप्त हो। सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने राज्य में रेल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान अन्न भेजने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की थीं। प्रदेश सरकार ने केन्द्र से इस विषय में बात कर के यातायात की और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार अन्न के बाजार भाव स्थिर करने और उन्हें समुचित स्तर पर लाने के सभी सम्भव उपाय अपना रही है। इस समय हमारा ध्येय गत २५ जून की कीमतों के स्तर को प्राप्त करना है। हम खाद्य नियंत्रण को ढीला करने के इस नवीन प्रयोग को सफल होने का पूरा मौका दे रहे हैं। किन्तु साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि किसान अथवा व्यापारी वर्ग अन्न रोक कर बनावटी ढंग से भाव बढ़ाने की निरंतर चेष्टा करेगा, तो सरकार नियंत्रण को फिर कड़ा करने में तनिक न हिचकिचायेगी।

मैं दो शब्द प्रदेश में गल्ले के स्टाक के विषय में भी कहे देना चाहता हूं। पहली जुलाई को नयी खाद्य नीति लागू करते समय प्रदेश के सरकारी गोदामों में लगभग ५ लाख टन अन्न मौजूद था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से ५०,००० टन अन्न और मिलने वाला था। राशन की दूकानों की बिक्री के उस समय के आंकड़ों और कमी वाले पूर्वी तथा पहाड़ी क्षेत्रों की तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सामान्यतः यह अन्न आगामी ८ मास के लिये काफी था जुलाई के आरम्भ में बरसात भी ठीक हुई थी और खरीफ के आसार अच्छे थे। अतः अगले वर्ष रबी की फसल तक आसानी से काम चल जाने की आशा थी। किन्तु मंडियों में माल कम आने के कारण अन्न के भाव चढ़ गये, जिसके फलस्वरूप एक ही मास में राशन की दूकानों पर खपत लगभग २ लाख मन बढ़ गई इसके अतिरिक्त पूर्वी जिलों के काफी भागों में फिर अपर्याप्त वर्षा के होने के कारण आस्टेरिटी-प्राविजनिंग योजना के अन्तर्गत गल्ले की मांग आशा के विपरीत एकाएक बहुत बढ़ गयी। अतः इस योजना द्वारा २० लाख और अधिक लोगों को सस्ते दामों पर अन्न देने के लिये गल्ले की मासिक सप्लाई ७ लाख मन बढ़ानी पड़ी। ए० पी० योजना की इस बढ़ती हुई खपत के लिये समुचित अन्न जुटाने के हेतु राज्य सरकार ने अपने निजी स्टाक से दिये १६ लाख मन अन्न के अतिरिक्त केन्द्र से ४०,०००ट न माइलो की मांग की है। भारत सरकार ने इसे मंजूर कर लिया है और पूर्वी जिलों को माइली (तेजी) से भेजा जा रहा है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इसके अतिरिक्त आटा मिलों को सप्लाई करने के लिये केन्द्र ने हमें २०,००० टन विदेशी गेहूं एलाट किया है तथा जरूरत पड़ने पर और भी अन्न देने का वचन दिया है। अतः आशा है कि राज्य सरकार राशन वाले नगरों और कमी के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को आगामी वर्ष रबी की नयी फसल आने तक भली-भांति पूरा कर सकेगी।

अब मैं राज्य के पूर्वी जिलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों की खाद्य स्थिति पर आता हूं। पीड़ित पूर्वी क्षेत्रों में गोरखपुर, फैजाबाद और बनारस कमिश्नरियों के जिले सम्मिलित हैं। दीर्घकाल से यह खाद्यान्न की कमी वाला क्षेत्र रहा है। यहां के लोगों का मुख्य धंधा खेती है। किन्तु सिंचाई की उपयुक्त सुविधा प्राप्त न होने के कारण लोगों को अधिकतर प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस क्षेत्र के अधिकांश जिलों में भूमि बहुत ही छोटे-छोटे खातों में बंट गयी है। वास्तव में यहां की जन-संख्या का एक बड़ा भाग छोटे काश्तकारों का है।

प्रकृति के कोप के कारण पूर्वी जिलों में लगातार कई वर्षों से फसल खराब हो रही है। १९५० में इनके अनेक भागों को बाढ़ से भारी हानि हुई थी। बाढ़ के बाद सूखा पड़ा, जिसके कारण फसल को फिर बड़ी क्षति पहुंची। पिछले दो वर्षों में यहां वर्षा असमान रूप से और कम हुई अतः इस काल में यहां अन्न की कमी और बढ़ गयी। अभाव ग्रस्त जनता को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर १ मई, १९५१ से ए० पी० योजना चालू की इसके पूर्व सरकार कठिनाई के समय आवश्यकता होने पर ही इस योजना के अधीन अन्न वितरण करती थी और लोग अपनी शेष आवश्यकता स्थानीय उपज से पूरी कर लिया करते थे। मई, १९५१ से इस योजना के अन्तर्गत अनाज २० से लेकर ५० लाख ग्रामीणों को दिया गया है। मई, १९५१ से मई, १९५२ तक अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में २७ लाख मन अनाज सस्ते गल्ले की १,३०९ दूकानों द्वारा बांटा गया। इस वर्ष पहली जून को इस योजना के अन्तर्गत अनाज की मासिक खपत ३।। लाख मन तक पहुंच गयी थी। उस समय वहां ९ लाख मन अनाज का स्टाक था जो अगस्त तक के लिये काफी था। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अन्न का स्टाक जमा था, जो आवश्यकता पड़ने पर वहां भेजा जा सकता था।

इस वर्ष वर्षा जून के अन्त में प्रारम्भ हुई। आशा थी कि वर्षा समान रूप से होगी और खरीफ की अच्छी फसल होने पर दशा सुधर जायगी स्थानीय बाजारों तथा सरकारी बीज-गोदामों से बीज प्राप्त कर भदई धान और जड़हन की फसल बोयी गयी। किसानों को सरकारी बीज गोदामों से लगभग २ लाख मन बीज दिया गया। किन्तु पहली वर्षा के बाद लम्बे समय तक वर्षा ही न हुई। भदई धान और जड़हन के पौदे सूखने लगे। लगातार कई वर्षों तक मौसम खराब रहने के कारण इस क्षेत्र के निवासी बड़ी कठिनाई में फंस गये, जिसके फलस्वरूप ए० पी० योजना के अधीन अनाज की खपत एकाएक बढ़ गयी। सरकारी दूकानों से ५० लाख से बढ़ कर ७८ लाख व्यक्ति अनाज लेने लगे। स्थिति का सामना करने के लिये इन क्षेत्रों को १६ लाख मन अनाज राज्य के सरकारी गोदामों से कई किस्तों में भेजा गया इसके अतिरिक्त ४० हजार टन माइलों भारत सरकार से प्राप्त कर वहां भेजा जा रहा है। आशा है यह स्टाक अगली फसल तैयार होने तक के लिये काफी होगा। हाल की वर्षा से खरीफ की अच्छी फसल की आशा हो चली है, जिसके तैयार होते ही दशा में सुधार होने की सम्भावना है।

कई वर्षों से निरन्तर फसल खराब होने के फलस्वरूप यहां लोगों की क्रय शक्ति गिर गयी है। अतः ११ पूर्वी जिलों की पीड़ित जनता को सहायता प्रदान करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाहीयां की हैं:—

(१) १३५९ फसली के लगान और मालगुजारी में क्रमशः ५० लाख और १५ लाख रुपये की छूट दी है।

(२) मार्च, १९५२ तक ७३ लाख रुपये की तकावी बांटी गई थी तथा उसके बाद अब तक ६४ लाख रुपये तकावी की स्वीकृति और प्रदान की है। इसके अतिरिक्त ३४ लाख रुपये की पिछली बाकी तकावी की वसूली स्थगित कर दी है। कृषि तथा सहकारी विभाग के बीज गोदामों को इस समय २० लाख रुपये की वसूली करनी थी, किन्तु अब वह भी स्थगित कर दी गई है।

(३) गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये जिला अधिकारियों को लगभग ६ लाख रुपये दिये हैं।

(४) मार्च, १९५२ तक टेस्ट वर्क्स तथा सहायतार्थ निर्माण कार्यों पर १० लाख रुपये व्यय किये गये ।

इसके उपरान्त इन कार्यों के लिये ५० लाख रुपये की और स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(५) गरीब और जरूरतमन्द व्यक्तियों को ५२ हजार रुपये का कपड़ा मुफ्त बांटा गया है।

(६) अनेक गन्ना समितियों ने सड़कें, पुलियां और सिंचाई के छोटे-मोटे साधनों के निर्माण में ७ लाख रुपया व्यय किया है।

जनता को सस्ते दामों पर गल्ला बांटने और बेकार लोगों को काम देने के अतिरिक्त सरकार ने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार और अन्न के अभाव से उत्पन्न पोषण संबंधी खराबियों को दूर करने के लिये भी कार्यवाही की है। आवश्यक सहायक कर्मचारीगण और साज सामान के साथ कई चिकित्सा अधिकारियों को अभावग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मलेरिया की रोकथाम और जनता को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिये भेजा गया है। विटामिन टिकियां, 'स्किम्ड मिल्क' और सब्जी का शोरबा बनाने वाला चूर्ण भी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में बांटा जा रहा है।

इन जिलों की कृषि व्यवस्था में स्थायी सुधार करने के लिये सरकार ने कई दीर्घकालीन योजनाओं को लागू किया है। विभिन्न सुधार योनजनाओं के अधीन निम्नलिखित कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं:—

(१) इस क्षेत्र में कई जिलों में ४०० नलकूपों का निर्माण।
(२) मिर्जापुर जिले में शाहगंज रजबहे का निर्माण ।
(३) बनारस जिले में चन्द्रप्रभा बांध का निर्माण ।
(४) मिर्जापुर तथा बनारस जिले में अहरवारा बांध का निर्माण ।
(५) वस्ती जिले में बानगंगा नहर का निर्माण ।
(६) गोरखपुर जिले में रोहिन तथा डांडा नहर का निर्माण ।
(७) गोरखपुर जिले में रामगढ़ पम्प केनाल का निर्माण ।
(८) राजकीय सहायता द्वारा ६००० पक्के कुओं का निर्माण ।
(९) जल रुकने वाले स्थानों में पानी के विकास की व्यवस्था ।

ये निर्माण-कार्य ४ करोड़ १२ लाख रुपये की अनुमानित लागत से आरम्भ किये गये हैं। मिर्जापुर जिले में कैमूर श्रेणी के दक्षिण में दुद्धी क्षेत्र में पक्के कुवें बनाने के लिये १ लाख रुपये की धनराशि और मंजूर की गई है। ये सब कार्य पूरे होने पर पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई के लिये अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अमेरिकी टेक्निकल सहकारी योजना के अधीन

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

६०० नलकूपों और चन्दौली-सरजू नहर का निर्माण भी विचाराधीन है। अन्य बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजना आरम्भ करने के लिये अभावग्रस्त क्षेत्रों की जाँच-पड़ताल हो रही है।

अन्न की कमी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी हिल प्राविजनिंग योजना के अन्तर्गत ढाई लाख जनता को अन्न वितरित किया जा रहा है। १ मई, १९५१ से अब तक डेढ़ लाख मन अन्न इस योजना के अन्तर्गत बांटा गया है। इन क्षेत्रों के भीतरी भागों में स्थित स्थानों को अन्न भेजने के खर्च के कुछ अंश को भी सरकार ने स्वयं वहन किया है।

यह तो सभी मानेंगे कि ७२ लाख नगरवासियों को राशन देने के अतिरिक्त लगभग ८० लाख ग्रामीण जनता में अन्न वितरण और पूर्वी जिलों में थोड़े ही समय में बृहत सहायता निर्माण-कार्यों का आयोजन एक विशाल कार्य है। इसमें जहां-तहां कमियां रह जाना स्वाभाविक ही है। परन्तु मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि इन कमियों को दूर करने में कोई कसर नहीं रखी जा रही है। इन क्षेत्रों में मुख्य मंत्री, माल मंत्री, उद्योग मंत्री तथा मैं स्वयं लगातर दौरा करते रहे हैं। स्थिति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये तथा यह पता लगाने के लिये कि सरकारी सहायता को प्राप्त करने में लोगों को कठिनाई तो नहीं होती हम बहुत से लोगों के घरों में गये और जनता के निकट सम्पर्क में आने की चेष्टा की। जहां कहीं भी हमने दुर्व्यवस्था या गड़बड़ी देखी उसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की तुरन्त आज्ञा दी। इस संबंध में बहुत से दूकानदारों को हटाया और कर्मचारियों को मुअत्तल और बरखास्त किया गया है। विभिन्न सहायता कार्यों को परस्पर संगठित करने के लिये सरकारी प्रधान कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही खाद्यान्न वितरण तथा अन्य सहायता कार्यों पर कड़ी नजर रखने के लिये सरकार ने कुछ विशेष विपद्ग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त जिला सप्लाई अफसरों को भी नियुक्त किया है। ये अधिकारी सहायता कार्यों की कड़ी निगरानी के लिये इन क्षेत्रों का निरन्तर दौरा कर रहे हैं। संबंधित कमिश्नरों को आदेश दिया गया है कि वे भी इनकी देख-भाल करें तथा दुर्व्यवस्था और भ्रष्टाचार को दूर करें।

समाचार पत्रों में गत कुछ महीनों में कई वक्तव्य प्रकाशित हुये हैं, जिनमें पूर्वी जिलों में भुखमरी की चर्चा की गयी है। सरकार ने पूरी जांच करके इनका बारम्बार खंडन किया है। जिन वक्तव्यों में भूख से मरने वालों के नाम और पते दिये हुये थे, उनमें से अधिकांश की विस्तृत जांच हो चुकी है। इस जांच से प्रकट हुआ कि जो मौतें भूख से बताई गई थीं, वे वास्तव में लम्बी बीमारी अथवा किन्हीं अन्य प्राकृतिक कारणों के फलस्वरूप हुई थीं। कुछ मामलों में तो जिन व्यक्तियों को भूख से मरा बताया गया, वे वास्तव में मरे ही न थे और कुछ प्राकृतिक कारणों से साल भर या छः महीने से भी पूर्व मर चुके थे। निःस्संदेह इन क्षेत्रों में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण अन्न का काफी अभाव है और स्थानीय जनता को काफी कष्ट है। परन्तु जैसा कि प्रस्तुत तथ्यों से प्रकट है, सरकार इस स्थिति का सामना करने और विपदग्रस्त जनता को यथासंभव सहायता प्रदान करने के लिये भरसक प्रयत्न करती रही है। वास्तव में सरकार के सीमित साधनों को देखते हुये काफी कार्य किया जा चुका है, परन्तु फिर भी हम अनुभव करते हैं कि अभी बहुत कुछ करना शेष है, जिसे यदि समुचित साधन होते तो अवश्य पूरा करते। इन कार्यों में अब तक जन सहयोग प्राप्त होता रहा है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी अभाव का सामना करने और पीड़ित मानवता का कष्ट निवारण करने में इस प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य थोड़े शब्दों में खाद्य-स्थिति के संबंध में मुझे इस आदरणीय सदन के सामने करना था वह मैंने उपस्थित कर दिया। मैं इस वस्तुस्थिति के उपस्थित करने में अधिक ब्योरे में नहीं गया हूं क्योंकि मैंने यह मुनासिब समझा कि जो कुछ मुझे कहना है वह थोड़े में कह दूं और उसके बाद जो बातें उठायी जावेंगी उनका उत्तर दे दूं और जो सुझाव

होंगे उनसे फायदा उठाऊं। एक निवेदन मैं माननीय सदस्यों से सुझाव देने के सिलसिले में करना चाहत हूं और वह यह है कि यदि हम सब उस पीड़ित जनता की सेवा करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य यह है कि ऐसे सुझावों को इस सदन के सामने रखा जाय जिनसे स्थिति सुधरे और जिनसे भयावह वातावरण अपने प्रदेश में न फैले। मैं इस बात के लिये इस सदन के सदस्यों से बराबर विनती करता रहा हूं और उसे आज फिर दोहराना चाहता हूं।

एक बात की सूचना मैं इस सदन के सदस्यों को आपके द्वारा देना चाहता हूं। आज ही सरकार ने यह भी तय किया है कि चूंकि अभी कुछ महीने ऐसे रहेंगे जब कि वहां के लोगों की स्थिति शोचनीय रहेगी इसलिये ऐसी स्थिति को दूर करने के लिये और उन कर्मचारियों के खिलाफ जो काम ठीक नहीं करते हैं कड़ाई का बरताव करने के लिये यह मुनासिब समझा गया कि हमारे प्रदेश की सरकार की ओर से हमारे उपमंत्रिगण और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीगण उन स्थानों पर जाकर रहें ताकि वे स्थिति का ठीक अध्ययन करके उचित कार्यवाही तुरन्त करें। हमें विश्वास है कि उनके वहां पहुंचने पर स्थिति में सुधार होगा और जहां सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं वे वहीं रफा हो सकेंगी। अक्सर शिकायतें यहां भी आती हैं तो उनके निराकरण करने में समय लग जाता है। इस लिये सरकार ने तय किया है कि माननीय फूलसिंह जी, माननीय रावत जी, माननीय राममूर्ति जी, माननीय शर्मा जी, माननीय बनारसी दास जी और माननीय मुजफ्फर हुसेन जी उन ६/७ जिलों में जावें जहां की स्थिति काफी कठिन है। और जहां लोग अधिक परेशानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे वहां जाकर तमाम चीजों का निरीक्षण करेंगे और समय समय पर उचित आदेश देते रहेंगे। मुझे आशा है कि उनके वहां रहने से स्थिति सुधरेगी और हम अधिक मात्रा में उस दुखित और पीड़ित जनता की सेवा कर सकेंगे जो आज हम से मदद की आशा रखती है और जिसे सहायता देना हमारा सबका कर्तव्य है। इन शब्दों के साथ मैं खाद्य-स्थिति पर विचार करने के लिये सदन से प्रार्थना करता हूं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अन्न मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं वह कोई नई बात नहीं है। जब कभी हम चर्चा करते हैं पूर्वी जिलों की, अन्न की कठिनाई की, अकाल की अवस्था की, उस समय इसी तरह का उत्तर हमको मिला करता है। हम चाहते तो यह थे कि अन्न मंत्री जी कोई नई रोशनी देते। सिवाय इस बात के कि कुछ माननीय उपमंत्री उस क्षेत्र में जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात उन्होंने ऐसी कही नहीं जिससे कोई आशा की झलक दिखायी देती। हालत तो इतनी बिगड़ चुकी है कि अब उसको केवल उपमंत्रियों के दौरे से सुधारा जा सकता हो या उनकी कोई मदद हो सकती हो, जो आज भूख से मर रहे हैं, या मरने की तयारी कर रहे हैं ऐसा दिखायी नहीं देता। जिस वक्त किसी मकान में एक बूंद टपकती है तो बहुत थोड़ी सीमेंट की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाय और उस तरह से ही टपकने दिया जाय तो एक दिन हालत ऐसी हो जायगी जब कि उसको उजाड़ना ही पड़ेगा और उजाड़ने के बाद दुबारा उसको छाना ही पड़ेगा। मैं माननीय अन्न मंत्री जी के सामने यही कहना चाहता हूं कि यह भी वैसी ही बात है। आज से नहीं सन् १९४७ से, जब से माननीय अन्न मंत्री जी पिछली मर्तबा आये, जब से कांग्रेस की सरकार बनी, उसके पहले से ही पूर्वी जिलों में मुसीबत थी। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, कौंसिल के एक माननीय सदस्य को, यू० पी० कांग्रेस कौंसिल को एक स्मरण-पत्र हम लोगों ने देवरिया से दिया था और उसमें यह अर्ज किया था कि वहां क्या क्या कारण हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं और उनको बचाने के लिये क्या उपाय हो सकते हैं। अब भी यू० पी० कांग्रेस कौंसिल की प्रोसीडिंग्स को देखा जाय तो उसमें शायद उस स्मरण-पत्र का जिक्र होगा। उस जमाने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था और मैं यह मानता हूं कि उसके बाद कुछ कदम भी उठाये गये थे। लैंड यूटीलाईजेशन ऐक्ट उस जमाने के बाद ही पास किया गया और उससे यह आशा की गई कि उससे वह जमींन जिसका उपयोग नहीं होता, वह अन्न उपजाने के काममें लायी

[श्री गेंदा सिंह]

जायगी। लेकिन अब भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि लैंड यूटीलाईजेशन ऐक्ट का उपयोग अन्न उपजाने के काम में नहीं हुआ और आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि देवरिया में कुछ हजार एकड़ जमींन सीर और खुदकाश्त के नाम में परती पड़ी हुई है। हो सकता है कि पटवारी के कागजात में धान और गेहूं लिख रखा गया हो लेकिन वह एक बरस से नहीं १० और १२ बरस से परती पड़ी हुई है और उसके किनारे के लोग भूखे मर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो सरकार की जानकारी में न हो। आज सरकार इस मामले में कुछ करने में दिक्कत समझती है। लगातार दो तीन वर्षों से बजट पेश करते हुये जो भाषण माननीय अर्थमंत्री जी ने दिये हैं मैं उनके कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं जिनमें उन्होंने इस बात को कबूल किया है। कि पूर्वी जिलों में आनाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है, फसलें मारी गयी है। उसमें आपकी इजाजत से पेश करना चाहूंगा।

अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य देखेंगे कि जो वक्तव्य उन्होंने आज दिया है उसमें इसको भी स्पष्ट किया है।

श्री गेंदा सिंह---बहुत अच्छा। मैं तो यह कहना चाहता था कि माननीय अन्न मंत्री जी ने जो कहा है, वह काफी नहीं है। इस तरह से तो माननीय अर्थ मंत्री जी का जो बजट का भाषण है उसका बड़ा महत्व है और वह सारे प्रदेश की आर्थिक नीति पर रोशनी डालता है। उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है और खास तौर से पिछले वर्ष ५१,५२ का बजट पेश करते हुये माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने तो यहां तक कहा था कि पूर्वी-जिलों में अगहनी फसल पूरी तरह से चौपट हो गयी है। चौपट शब्द है। अर्ली पेडी और लेट पेडी दोनों के बारे में ऐसा ख्याल था। उसके बाद रबी की फसल भी बरबाद हो गयी। अगर आप क्राप ऐंड सीजन (फस्ल व मौसम) रिपोर्ट तथा रेविन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट देखें तो मालूम होगा कि उसमें इस बात को बार-बार दोहराया गया है कि मौसम की खराबी की वजह से लगातार फसली सन् १३५७, ५८ और ५९ की फसलें चौपट हो गयीं। फैमिन ऐंड मिनिस्ट्रेशन मैनुअल (दुर्भिक्ष प्रशासन पुस्तिका) हमारे सामने मौजूद है। उसका यह कहना है कि अगर एक फसल पूरी तरह से मारी जाय तो वैसी हालत में उस क्षेत्र को स्केअरसिटी (अभावग्रस्त) क्षेत्र कहेंगे लेकिन अगर दो फसलें मारी जायं तो वैसी हालत में फैमिन की हालत पैदा हो जाती है। और उसी तरह से कार्य करना चाहिये। लेकिन जब फसली सन् १३५७ - ५८ और ५९ की फसलें मारी गयीं जैसा कि माननीय अन्न मंत्री जी उसको बार-बार कहते हैं तो फिर सरकार ने इस संबंध में क्या किया ?

सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े भी हमारे माननीय अन्न मंत्री जी ने पेश किये हैं कि काफी रुपये खर्च किये गये हैं, लगान भी काफी माफी दी गयी है। मैं माननीय अन्न मंत्री जी और माननीय माल मंत्री जी की खिदमत में अबकी वर्ष बिहार के अर्थ मंत्री द्वारा, जो भाषण बजट के ऊपर दिया गया था उसको पेश करना चाहता हूं। उसमें वे पायेंगे कि छोटे से क्षेत्र में, बिहार के उत्तरी क्षेत्र के तीन जिलों में जब अकाल की अवस्था पैदा हो गयी तो १४ करोड़ रुपया सहायता कार्य पर खर्च किया गया। आज हमारे प्रदेश के जिन ११ जिलों का जिक्र माननीय अन्न मंत्री जी कर रहे हैं उन ११ जिलों की आबादी एक करोड़ ८९ लाख है। एक करोड़ ८९ लाख की आबादी पर हम हिसाब जोड़ें तो पाते हैं कि उनकी सहायता के ऊपर कुल २ करोड़ रुपया व्यय किया गया है। माननीय अन्न मंत्री जी का कहना है कि ए० पी० योजना के अनुसार ६० लाख आदमियों को अन्न पहुंचाया गया है। ६० लाख आदमियों को पिछली जनवरी से ३१ मार्च तक जो अनाज पहुंचाया गया है वह उस

प्रकार हैं। १६,२४,११० मन अनाज बांटा गया। यह ७ महीना होता है। इन आंकड़ों के अनुसार ७ महीने में ६० लाख आदमियों में अगर इसे बांटा जाय तो प्रति व्यक्ति प्रति मास डेढ़ सेर यानी एक व्यक्ति पर एक दिन का पौन छटांक बैठता है।

यदि यह पौन छटांक लोगों के पास पहुंच गया होता तो भी कुछ गनीमत होती परन्तु मैं यह दावे के साथ कहना हूं चाहता कि पौन छटांक भी नहीं पहुंच पाया। जैसा कि मैंने अन्न-मंत्री जी को उनके साथ जब मुझे देवरिया के दौरे में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था दिखलाया था और पडरौना की मंडी में उन्होंने खुद देखा था कि उनके राशन की जो बजरी है वह खुले बाजार में बिक रही है। और बड़े मजे में बिक रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक-तिहाई अन्न भी जिनको अन्न मंत्री जी देना चाहते हैं और जिनका कि उन्होंने जिक्र किया है उनके पास पहुंच गया होता तो शायद यह हालत न होती। लेकिन मैं चाहूंगा और इसकी चर्चा काफी पहले से भी है, इसकी जानकारी सरकार को करनी चाहिये कि जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लाखों रुपया सब्सिडी के रूप में यह अन्न बाहर से खरीदने में खर्च किया गया वह सरकारी पैसे से खरीदा गया उन लोगों के पास जो आज मर रहे हैं या जिनकी सहायता सरकार करना चाहती थी उनके पास पहुंच पाया या नहीं। एक-तिहाई पहुंचने की बात मैं मानता हूं। दो तिहाई अन्न चोरबाजारी में गया। मैं केवल देवरिया की बात नहीं कहता। चाहे बस्ती की बात आप ले लें, गोरखपुर की आप बात ले लें, हर जगह यही हालत है। उस चोरबाजारी को रोकने के लिये बार बार सरकार पर जोर दिया गया लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा विचार है कि देवरिया में भी राशन विभाग के छः-सात कर्मचारी बरखास्त किये गये हैं। इस वक्त यह बात जरूर सूझी। और मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि आज भी सूझने के बाद उन छः सात आदमियों को निकाला गया। लेकिन क्या बस्ती में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, बहराइच में, राशन-विभाग में इस तरह के कर्मचारी चोरबाजारी को प्रोत्साहित करने वाले, चोरबाजारी खुद करने वाले राशन विभाग में नहीं हैं? उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई मैं आज भी जानना चाहूंगा। जिस वक्त माननीय अन्न मंत्री देवरिया में दौरा कर रहे थे उस वक्त जिस घर में वह जाते थे उस घर में फाकाकशी का नकशा उन्होंने देखा। लेकिन इसी के साथ-साथ जब पूछा गया कि तुम को राशन कार्ड मिला तो उन्होंने राशन कार्ड दिखलाया। उसीके साथ उन्होंने यह भी बाताया कि इस राशन कार्ड को लेने के लिये उन को कुछ दाम भी देना पड़ा। किसी ने दो रुपया बताया किसी ने एक रुपया बताया। वह तो पटवारी लोगों की भेंट थी। उसके बाद वह राशन कार्ड प्राप्त हो सका। राशन कार्ड प्राप्त करने के बाद क्या उनको गल्ला मिला? जब यह पूछा तो कुछ ने कहा कि कतई नहीं मिला और कुछ ने कहा कि मिला है, एक मर्तबा या दो मर्तबा मिला है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जिन दूकानदारों ने उनको गल्ला नहीं दिया उन्होंने सरकारी गोदामों से गल्ला लिया नहीं। सरकारी गोदाम से गल्ला लिया और सीधा-सीधा चोरबाजारी में गया। साढ़े तीन सेर की बजरी जो सरकारी दूकानों पर बिकती थी, उसको रुपया की दो सेर, पौने दो सेर उन्हीं राशनकार्ड होल्डर्स को खरीदनी पड़ी। अगर यह कोई एक्सेप्शन (अपवाद) हो, अगर कोई ऐसी बात हो कि रुपये में कहीं एक आना हो दो आने हो तब तो इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता न होती। लेकिन जहां मैं कहता हूं कि एक तिहाई सिर्फ राशन कार्ड होल्डर के पास जाता है और बाकी सारा का सारा चोरबाजार में जाता है तो फिर सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहे, यह जान कर भी वह खामोश बैठी रहे तो हम क्या कहें। मुझे तो यह मालूम होता है कि सरकार को इसमें कुछ आनन्द आता है कि लोग भूख से मरें, कुछ शोर हो कुछ गुल हो, उसे वह कुछ आनन्द उठाना चाहती है।

यह तो अन्न बटवारे की बात है जो मैंने आपके सामने निवेदन किया। सरकार की जिम्मेदारी जो अकाल आने के समय होती है, जैसी जिम्मेदारी निबाहना चाहिये उसको उत्तर-प्रदेश की सरकार ने नहीं निभाया।

[श्री गेंदा सिंह]

बंगाल के अकाल का सबसे ताजा नमूना हमारे सामने है। बंगाल फेमिन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट यह बात बतलाती है कि वहां पर रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन जो था वह बड़ा भ्रष्ट था। उसने स्थिति के देखने में बड़ी उपेक्षा की, छिपाया और उसने बड़ी ज्यादती की जिसकी वजह से बंगाल में इतने बड़े अकाल का सामना करना पड़ा। तो उस वक्त तो एक विदेशी हुकूमत थी। उस वक्त रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कहा जा सकता था बंगाल में इस विभाग में बहुत थोड़े कर्मचारी थे लेकिन आज जिस रेवेन्यु ऐडमिनिस्ट्रेशन का हेड माननीय चरण सिंह जैसा आदमी हो जिसका दावा हो कि वह किसानों की बात सबसे अधिक जानता है, उस आदमी के हाथ में रहते हुए हुकूमत इस तरह का का काम करे मुझे अफसोस होता है। मेरा कुछ व्यक्तिगत परिचय है माननीय चरण सिंह जी से। मैं इससे बहुत गर्वान्वित हूं कि मेरा उनसे परिचय है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि वह असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं तो मुझे अफसोस होता है। अभी जब वह पूर्वी जिलों में दौरा करने गये थे तो जिस वक्त उन्होंने वहां की हालत को देखा, जो असेम्बली में वह कहते हैं उससे वहां भिन्न स्थिति उन्होंने पाई और उसी कारण उनकी आंखों में आंसू मैंने देखे। कोई मैं ही दयालु नहीं था। खैर, मेरी आंखों में तो आंसू नहीं आये क्योंकि मेरी तो आदत हो गयी है इस तरह से लोगों को देखने की। लेकिन एक मेरठ का रहने वाला आदमी, बुलन्दशहर और मुजफ्फरनगर का कोई शख्स, वह अगर माननीय चरण सिंह के स्वभाव का हो तो जिस वक्त वह वहां जायगा तो रोने के सिवाय और कर क्या सकता है। वह इन्कार करें कि वह नहीं रोये। रोये वह। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से कि माननीय चरण सिंह जी के मन में यह बात आई और उनका हृदय पिघल उठा, रेवेन्यू अफसरान जो हैं अगर उनके मन में भी कभी ऐसी बात आई होती और उन्होंने यह कबूल किया होता कि जिस तरह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ३–३, ४–४ सौ मील और ७–७ सौ मील एक लैंड रोवर पर चढ़ कर दौरा कर सकते हैं, ऐसा कलेक्टर साहब भी सोचे हों तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती।

११ जिलों में लगान माफी की बात आप लेते हैं। ११ जिलों में यह कहा जाता है कि फसल बरबाद हुई, लगान माफी हुई। लेकिन मैं माननीय माल मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जब वह यह कहते हैं कि इतनी मालगुजारी और इतना लगान हमने माफ किया तो मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी करेंगे कि मुझे यह तक़लीफ नहीं देंगे कि मैं खोज करके यह बतलाऊं कि वहां की मालगुजारी और लगान क्या है। आसानी से उनको आंकड़े मिल जायंगे और जानकारी वह सदन को करायें कि कितनी मालगुजारी कुल लगनी थी जिसमें से इतनी मालगुजारी माफ कर दी गयी। अगर वह भी आंकड़े सामने आयें तो सदन को विचार करने का मौका मिले। फेमिन ऐडमिनिस्ट्रेशन मैनुएल कहता है कि रेमिशन लिबरली करना चाहिये। तो उसीसे फैसला हो जायगा कि वह लिबरली हुआ या बहुत कंजूसी के साथ फैसला हुआ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मालगुजारी की छूट देने में जो सब से पहली सीढ़ी थी, अकाल पीड़ितों को सहायता करने की, उसमें बहुत ही ज्यादती की गयी और रेवेन्यू अफसरान ने की। मालूम नहीं सरकार का इशारा था या नहीं इसको तो स्वयं माल मंत्री जी बतलायेंगे कि उनके इशारे से लोगों ने ऐसा किया या अपने मन से किया; लेकिन उन्होंने हमेशा वस्तु-स्थिति को छिपाने की कोशिश की और इसलिये कि बेचारों को बड़ी मुसीबत हो जाती है कि नक़शा छूट का बनाना पड़ता है। चूंकि नक़शे बनाने पड़ते हैं, छूट के पर्चे बनाने पड़ते हैं फिर उन्हें बांटना पड़ता है, लगान और मालगुजारी की वसूली में कुछ उनको दिक्कत पड़ती है। इन सब चीजों को उन्होंने समझा कि इन सब दिक्कतों को खड़ा करने के बजाय बेहतर यह है कि इससे बिल्कुल इन्कार कर दिया जाय और और यह कह दिया जाय कि फसल मारी ही नहीं गयी। उन्होंने यह समझा कि अगर इससे इनकार कर दिया जायगा तो सारी मुसीबत से छुटकारा हो जायगा। सरकार की जानकारी में

यह बात नहीं थी, ऐसा मैं नहीं समझता। सरकार की जानकारी में तो इतनी बात है कि सन् १९४८–४९ में देवरिया जिले में एक सत्याग्रह करना पड़ा और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी सत्याग्रह के ज़माने में दो बार देवरिया गये। जब माननीय मुख्य मंत्री जी को इसका पता है तो मैं समझता हूं कि सारी कैबिनेट को पता है। उन्होंने उस पर रायज़नी भी की थी और यह कहा था कि सत्याग्रह करने का हक़ स्वतंत्र देश में किसी को नहीं है। हम लोगों को उन्होंने सलाह भी दी थी और डांटा भी था। उसके बाद जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री चतुर्विहारी दुबे थे उनकी भी हिम्मत माननीय मुख्य मंत्री जी की बात सुन करके बढ़ी और हिम्मत बढ़ने के बाद उन्होंने सात सौ आदमियों को जेलखाने भेजा, जुर्माने किये। उसी मुकदमे के सिलसिले में मैं भी २ वर्ष ९ महीने की सजा पा चुका हूं। इस वक्त मैं आपके सामने ज़मानत पर हूं और मेरा मुकदमा अपील में है। इसी प्रकार देवरिया सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से आदमियों को सज़ा हुई और उन सात सौ आदमियों में से साढ़े चार सौ आदमियों को सजा हुई और उन पर जुर्माने सौ से चार पांच सौ तक किये गये। यह ऐसी बात है जो गवर्नमेंट की जानकारी में है। सत्याग्रहियों का कहना यह था कि हमारी फसल मारी गयी है, हम भूखों मर रहे हैं, इसलिये हमें लगान में कुछ छूट दी जाय। उनका यह भी कहना था कि जो ज़मीन परती पड़ी है उसको आबाद कराया जाय। इस तरह से वे ग्रो मोर फूड कैम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ प्रयास) का भी काम कर रहे थे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर, (श्रीमान् जी, विधान का प्रश्न है।) मैं श्रीमान् का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रिज़ोल्यूशन पर १५ मिनट बोलने का समय ही नियम के अन्दर दिया हुआ है। यह एक रेज़ोल्यूशन है, इस लिये आशा है कि श्रीमान समय का ध्यान रक्खेंगे।

अध्यक्ष—यह कोई प्रस्ताव नहीं है। यह आम बहस है। यदि सदन कोई समय नियत करना चाहे, और मुझे अधिकार इस बारे में दे, तो मैं खुशी से इस बात को स्वीकार करूंगा और कोई समय मुक़र्रर कर दूंगा। उसके लिये सदन में किसी सदस्य की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिये कि समय मुक़र्रर कर दिया जाय लेकिन इनके भाषण के बाद ही यह बात हो सकेगी।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह वादविवाद इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें इस तरह की पाबन्दी लगाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात का ध्यान जरूर रखूंगा कि आपकी आज्ञा से जितना भी कम से कम समय हो सके उतना लूं।

मैं ज़मीन की बात कह रहा था और माननीय मौर्य जी को खासतौर से याद रखना चाहिये क्योंकि वे रेवेन्यू के डिप्टी मिनिस्टर हैं। आज भी मैं कहता हूं कि उनकी हुकूमत में भी खेत परती पड़े हैं और उनमें अन्न का इन्दराज किया जाता है। अगर वे चाहेंगे तो मैं कुछ स्पेसिफिक इंस्टांसेज़ (निश्चित उदाहरण) भी दे सकता हूं, जहां पर वे खेतों की जांच करना चाहें तो जांच कराके अपने को वे सन्तुष्ट कर सकते हैं। तो ग्रो मोर फूड के लिये भी हम सत्याग्रह कर रहे थे। मैं यह बता रहा था कि सरकार की जानकारी के लिये हमने क्या-क्या किया। हमने सन् १९४७ में गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया। सन् १९४८–४९ में मेमोरेंडम देने के बाद भी जब हालत बहुत बिगड़ती गयी तो हमने सत्याग्रह तक किया और हमने बरदाश्त किया जेलखाने जाना, हमने बरदाश्त किया जुर्माना देना महज़ इसलिये कि सरकार जागे और सरकार पूर्वी जिलों की हालत को देखे और देखने के बाद वह कदम उठावे, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार इस बात को कुबूल भी करती है कि पूर्वी जिलों की हालत ज़रूरत से ज्यादा ख़राब है परन्तु कुछ करने के लिये तैयार भी नहीं है। और फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा कहता है तो कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ कहते हो, ग़लत कहते हो। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर दोषारोपण करना मुनासिब

[श्री गेंदा सिंह]

होगा कि सरकार ने जान बूझ कर वस्तुस्थिति को छिपाने की चेष्टा की और वस्तुस्थिति को छिपा कर उसने ऐसी हालत पैदा की है। अब सरकार यह कहे कि वैसी हालत पैदा करने में उसको क्या आनन्द है, तो यह सरकार बता सकती है। लेकिन आज बहुत शोरगुल के बाद पिछले कुछ दिनों से, सब लोगों को जाने दीजिये, हम जो कुछ कहते हैं झूठ कहते हैं, शिब्बनलाल जी जो कहते हैं वह ग़लत कहते हैं। २६ अप्रैल को एक मीटिंग हुई देवरिया में। सब पार्लियामेंट के सदस्य और एसेम्बली के सदस्यों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मीटिंग करके यह फ़ैसला किया कि देवरिया जिले में अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है और कुछ उन्होंने फ़ैसले किये कि ये फ़ैसले हम कर रहे हैं ये और इस तरह से कार्रवाई की जाय। २६ अप्रैल के बाद ९ जून तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके पहले पहली मई को एक डिमान्स्ट्रेशन हम लोगों ने किया और एक मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया और मेमोरेंडम देकर हम लोगों ने सोचा कि उसका कुछ उत्तर मिलेगा, कुछ इलाज होगा, लेकिन ९ जून तक सरकार चुपचाप बैठी रही और स्थिति बिगड़ती रही। इसमें कोई शक नहीं कि ९ जून को जब फिर हमने नोटिस दिया कि अब तो हम सत्याग्रह करने के लिये मजबूर हो गये हैं, तो सरकार या जिला के अधिकारियों की आंख खुलती हुई मालूम हुआ। हम सत्याग्रह करना नहीं चाहते थे यह बात सही है, हम चाहते थे कि इस मामले में सत्याग्रह की नौबत न आये, सरकार को हम किसी तरह से समझा-बुझा लें, लेकिन यह भी हमारा निश्चय था कि अगर किसी प्रकार सरकार इस बात को न समझेगी तो वैसी हालत में हम क्या देखते रहें कि हमारे पड़ोसी लोग भूख से मरें और हम बैठ कर तमाशा देखें और एसेम्बली का सेशन करें। हम सोचते थे कि हमारा हक़ है कि वैसी हालत में हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये, सरकार का हृदय परिवर्तित करने के लिये सत्याग्रह करें। सत्याग्रह में तो वह सिद्धान्त निहित है। और फिर सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार करने के बाद सरकार ने कुछ क़दम उठाये, इसको हम मानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि आज जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से उस हालत में कोई सुधार होना असम्भव है। तक़ाबी की रकम दी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो तकाबी की रक़म दी गयी वह कितनी दी गई। १ करोड़ ८९ लाख आदमी संकट में हैं। इतने आदमियों में तकाबी की जो कुछ रक़म दी गयी वह आपके सामने है। १०० में पांच आदमी तकाबी की रक़म पाते हैं और ग़ल्ला खरीद पाते हैं। लेकिन ९५ आदमियों के लिये क्या उपाय है? तक़ाबी के सिलसिले में एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। सरकार बार-बार इस बात को कहती है कि पूर्वी जिलों के लोगों की क्रय शक्ति क्षीण नहीं हुई है बल्कि वह तो बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि करोड़ों रुपये तो उनको गन्ने से पैदा हुये हैं। इसमें शक नहीं कि इस वर्ष करोड़ों रुपये गन्ने से पैदा हुये। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या ये करोड़ों रुपये पहले वर्षों में नहीं पैदा हुआ करते थे? ये करोड़ों रुपये पहले वर्षों में भी पैदा हुआ करते थे।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य जो वक्तव्य सामने है उसके विपरीत न कहें क्योंकि इसमें खुद लिखा हुआ है कि "कई वर्षों से निरंतर फ़स्ल ख़राब होने के फलस्वरूप यहां के लोगों की क्रय शक्ति गिर गयी।" इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर काल्पनिक आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—इसी सदन में अधिक बार यह बात कही गयी है और माननीय मंत्री जी ने भी कहा। इसलिये यह काल्पनिक तो नहीं है। मगर जो आपकी आज्ञा हो। मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा और मुझे खुशी है कि अन्न मंत्री जी ने इस बात को क़बूल किया कि लोगों की क्रय शक्ति क्षीण हो गयी है। अब इसके बाद तकावी के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि तकाबी सन् १९४८-४९ की बांटी गई। इसके बारे में मेरा

यह बिल्कुल निश्चित आरोप है कि पूर्वी जिलों में जो तकावी दी गई थी उसकी अधिकांश रकम जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा करा ली गयी। यह कानूनी जुर्म है सरकार जब दूसरों के ऊपर तो आरोप लगा कर सजा देना चाहती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार सजा दे या न दे, लेकिन जांच करा कर तो देखे कि जो तकावी की रकम दी गयी थी उसकी अधिकांश रकम जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा करा ली गई। इसके लिये हम लोगों ने विरोध भी किया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

यह कोई थोड़ी रक़म नहीं है बहुत बड़ी रक़म है और आज इस वक्त जब कि लोग भूखों मर रहे हैं उस वक्त उसकी वसूली के लिये कुर्की हो रही थी। अब तो थोड़े दिनों से जिस वक्त से माननीय माल मंत्री जी ने दौरा किया है उसकी वसूली मुल्तवी हो गई है। लेकिन अब तक वहां कुर्की हुई है उनके गाय बछड़े वग़ैरा नीलाम हुये हैं और वसूली हुई है। ऐसी मेरे पास कई दरख्वास्तें आई हैं।

इसके बाद यह है कि अगर क्रय शक्ति लोगों की गिर गई तो इसमें सरकार का ही दोष है कि तकावी लेकर कर्जा बढ़ाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बस्ती में अकाल है, गोरखपुर, आजमगढ़ और देवरिया में है। लेकिन सब से अधिक मुसीबत उस हिस्से में है जहां पर किसानों का अधिक रुपया जिमींदारी उन्मूलन कोष में जमा कराया गया था। अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बस्ती और गोरखपुर तो अच्छे जिलों में से हैं क्योंकि वहां से अच्छी रक़म जमा की गयी थी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर उनकी क्रय शक्ति गिरी है तो उसमें सरकार का ही प्रत्यक्ष दोष है। जो रुपया लेकर वह खेती की तरक्की कर सकता था और अपने महाजन को देकर आगे के लिये उससे रुपया ले सकता था, उसको सरकार ने उससे छीन लिया और उसको भूखों मरने के लिये मजबूर किया क्योंकि अब उसको महाजन भी रुपया नहीं देता है। वह रक़म थोड़ी नहीं है, एक करोड़ साठ लाख रुपया बस्ती का है, गोरखपुर में भी करीब करीब ऐसा ही है और देवरिया का ८० लाख रुपया है। ऐसा ही मेरठ में किया गया और मुजफ्फरनगर में भी किया गया। लेकिन वहां के किसान संभल गये। उनकी आर्थिक अवस्था कुछ ऐसी थी कि वह इस चोट को बरदाश्त कर गये। लेकिन गोरखपुर और पूर्वी जिलों के किसानों को यह चोट लगी तो वह संभल नहीं सके।

इसके बाद एक चीज और हुई कि अमानत की रकम १९४८-४९ के सीजन में ईख की कीमत से अमानत के तौर पर जमा कराई गई। ईख की कीमत में से दो आना फी रुपया लिया गया और लेते वक्त सरकार ने यह कहा था कि जिस वक्त मुसीबत आयगी किसानों को इससे सहायता की जायगी जब हमने यह बात सुनी तो हमने भी कहा कि बहुत अच्छी चीज है। पहले तो हमें कुछ एतराज हुआ और हमें कुछ सन्देह भी था लेकिन जब सरकार ने स्पष्ट किया कि बुरे दिनों में इससे किसानों की सहायता की जायेगी तो हम लोगों ने भी रुपया इकट्ठा करके दिया। हम भी खेती करने वाले हैं और हम लोगों का भी इसमें पैसा है। परन्तु वह रुपये आज तक सरकार देने को तैयार नहीं है। जब सवाल किया जाता है तो अजीब जवाब मिलता है। अभी एक सवाल के जवाब में गोरखपुर का तो जिक्र ही नहीं किया गया था। मैंने याद दिलाई कि गोरखपुर का नाम नहीं है वहां भी तो कटौती हुई थी। लेकिन माननीय उद्योग मंत्री जी ने उस दिन कहा कि जो कुछ लिखा हुआ है वही सही समझो। मैंने मान लिया कि गोरखपुर में कटौती नहीं हुई लेकिन मैं अर्ज करूं कि गोरखपुर में भी कटौती हुई है और आज उद्योग मंत्री जी उसको कबूल करें कि वह कटौती की रकम जमींदारी उन्मूलन फंड में जमा करा ली गई। इस तरह से जमा कराई गई कि हमारा पैसा है हम नहीं जमा करना चाहते तो हमारा दस्तखत या निशान अंगूठा बना लिया गया और जमींदारी उन्मूलन फंड में उसे जमा करा दिया गया। इस तरह की एक तो नहीं हजारों शिकायतें हैं। करीब २४ लाख रुपया अकेले देवरिया जिले में जमा हुआ, कुछ ठीक फीगर्स नहीं बतला सकता १०, १२ लाख रुपये से कम न होगा जो गोरखपुर

[श्री गेंदा सिंह]

में जमा किया गया, आजमगढ़ और बस्ती का जमा है। इस रुपये से हमारी क्रय शक्ति बढ़ सकती थी लेकिन उसको नहीं बढ़ने दिया गया और उस अमानत में खयानत की गयी जिससे हमारी क्रय शक्ति को क्षीण किया गया । तो इस तरह से मैं क्रय शक्ति के क्षीण होने का दोष सरकार पर लगाता हूं।

अब जहां तक छोटे छोटे खातों का सवाल है जिनको अन्न की सहायता दी गई इस सम्बन्ध में मैं एक मिनट आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ६० लाख आदमियों को जैसा शुरू में कहा था पौन छटांक पड़ता है यदि हिसाब जोड़ लिया जाय। लेकिन केवल ६० लाख आदमियों को ही सहायता देने की जरूरत नहीं थी बल्कि १ करोड़ ८९ लाख में से जो खाते २ एकड़ से कम के हैं उनको मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। माननीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि वह किन लोगों को देना चाहते हैं? इन ११ जिलों में बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर इनमें ४१ लाख ५ हजार ४३२ कुल खाते हैं इनमें से तीन एकड़ से कम के खाते करीब ३३ लाख ७८ हजार ४३७ हैं और दो ही एकड़ को हम लें तो २९ लाख ३२ हजार ५३३ के करीब होते हैं। १ करोड़ ८९ लाख को इससे हम तकसीम कर दें तो साढ़े चार आदमी से कुछ ज्यादा फी खाता पड़ता है। कभी कभी एक ही आदमी के दो खोते भी हो सकते हैं। इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। उसके हिसाब से अगर ४ आदमी फी खाता मान लें तो सरकार को अन्न १ करोड़ ३५ लाख ५२ हजार आदमियों को देना चाहिये था जैसा कि सरकार की घोषित नीति है। वह ५ बीघे या ५ बीघे वालों से कम को अन्न पहुंचा रही है तो १ करोड़ ३५ लाख आदमियों को उसे अन्न देना चाहिये। इनके अलावा बिना खाते के लोग भी हैं। और उसके बजाय उसने ६० लाख आदमियों को अन्न पहुंचाया और वह भी पौन छटांक के हिसाब से। अब अकाल की इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये जो रक़म रक्खी गई है माननीय अन्न मंत्री उस पर स्वयं विचार कर लें, कि क्या वह पर्याप्त है? क्योंकि वह स्वास्थ्य मंत्री भी हैं कि कितने में एक बैलेन्स्ड डाइट हो सकती है इसका अनुमान उन्हें होगा। खैर मैं बैलेन्स्ड डाइट की बात भी इस समय नहीं करता क्योंकि बैलेन्स्ड डाइट कुछ महंगी पड़ेगी, वह हो नहीं सकता इसलिये सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि जिन्दा रखने की दृष्टि से स्वास्थ्य मंत्री जी सोच लें कि कितना अन्न चाहिये, उसके बाद कहीं बैलेन्स्ड डाइट की बात आती है। अगर इस पौन छटांक को हम १ करोड़ ३५ लाख आदमियों में, जिसको कि उन्होंने ६० लाख आदमियों में बांटा है, बांट दें तो शायद वह एक चौथाई छटांक के करीब आ जाय। इस प्रकार की अन्न की सहायता से हम कैसे जीवित रह सकते हैं, इसे वह स्वयं सोचेंगे और यह सदन सोचेगा।

दूसरी तरफ अन्न उत्पादन करने की, और किसानों की मदद करने की बात हुई। वह किस तरह से हुई उसको सदन अच्छी तरह से जानता है मैं उस पर कुछ ज्यादा जोर देना नहीं चाहता हूं सिर्फ इतना कहता हूं कि वह नाकाफी है। और नाकाफी होते हुये यह है कि म उसमें यह गन्ध पाता हूं कि जो वस्तुस्थिति थी उसको छिपाने की कोशिश की गई। अगर वस्तुस्थिति को न छिपाया जाता और उसको छिपाने की कोशिश न की जाती तो आज हालत यह न होती। हम जानते हैं कि सरकार के कुछ लाडले अफसर हैं और उनके खिलाफ वह कुछ करना नहीं चाहती है। मैं दो एक अफसरों का जिक्र करना चाहता हूं। गोरखपुर में जो मौजूदा जिलाधीश हैं उनसे मैंने अपने मुकदमे के सिलसिले में यह पूछा कि आप मेहरबानी करके यह बतलाइये कि जिस वक्त देवरिया में सत्याग्रह चल रहा था उस समय आपको खबर हुई थी कि जिले के अन्दर अन्न का अभाव है। उन्होंने कहा उनको खबर हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आपने उसकी जांच की थी और अगर जांच की थी तो उसकी इस तरह के अन्न अभाव की रिपोर्ट सरकार को दी?

तो उन्होंने जवाब दिया कि यह काम हमारा नहीं है, यह काम तो आर० एफ० सी० का है। मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जो गोरखपुर में अवस्था पैदा हुई है और शिबनलाल जी जो भूख हड़ताल कर रहे हैं वह मैं समझता हूं कि चाहे सरकार का कुछ भी विचार हो, हमारे मुख्य मंत्री जी का जो कुछ भी विचार हो लेकिन मैं उनके खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर आज शिबनलाल जी भूख-हड़ताल कर रहे हैं वह एक बहुत ही मानवोचित बात है और अगर वह भूख-हड़ताल न करते तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते। मैंने खुद तीन दिन तक गोरखपुर की हालत देखी है और आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य इत्तफाक से जो २, ४ बच्चे एक गांव के यहां पर आये हुये हैं जो स्टेशन के करीब का गांव है उनको आप मेहरबानी करके देखें। उनको देख कर आप यह कह सकते हैं कि वाक़ई वह तकलीफ की अवस्था में हैं या भूख से पीड़ित होकर यहां आये हैं। मैंने कुछ गांवों को देखा है एक गांव लजार महादेव है जहां पर ५ हजार आदमी की आबादी है। मैं एक रामरतन चौधरी के यहां गया जिसके पास २२५ एकड़ की जोत है। मैं खुद उनके घर पर गया और उनसे पूछा कि क्या आपके घर पर अनाज है? तो उन्होंने बतलाने से इन्कार किया। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, बतला दो लेकिन उन्होंने शर्म की वजह से नहीं बतलाया। कुछ हमारे लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि जो घर में खाते हैं मां अपने बच्चे को खिलाती है वह बच्चा बाहर अच्छा खाना बतलाने की कोशिश करता है। उन चौधरी साहब ने मुझको बतलाना स्वीकार नहीं किया और कह दिया कि घर में जाकर देख आओ। जब अन्त में उनको बहुत मजबूर किया गया और कहा गया तो उनसे पूछा कि अच्छा यह बताओ कि दोपहर को घर में क्या खाना बना था। तब उन्होंने जवाब दिया कि बजड़ी की रोटी बनी थी। तो मैं आपसे यह अर्ज करता हूं कि जब २२५ एकड़ के जमींदार की ऐसी हालत है तो फिर दो-दो और चार-चार एकड़ के काश्तकार की हालत क्या होगी? लोगोंने अपने खेत बेंज दिये लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता है और इसकी कुछ कानूनी दिक्कत भी है लेकिन ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि कोई उसका गाहक नहीं मिल रहा है। लोग जेवर बेंज रहे हैं सस्ते दामों में। मैंने देखा कि जब हम फरेंदा तहसील में मोटर से जा रहे थे तो उस तरफ से १००, १२५ भैंसें चली आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम कहां से ला रहे हो। तो उन्होंने कहा गोरखपुर और बस्ती की सरहद पर जो बांसी तहसील पड़ती है वहां एक बाजार से खरीद कर ला रहे हैं। आज उस इलाके में मवेशी इतने सस्ते हो गये हैं कि उनका कोई खरीदार भी नहीं मिलता है और जमीन के लिये कोई किसी तरह का गाहक नहीं और जेवर को बहुत सस्ते दाम पर लोग मांगते हैं। जेवर लोगों ने बेंचे हैं और लोग यहां मरे भी हैं। माननीय अन्न मंत्री जी ने कहा कि उनमें से कुछ लोग जिन्दा भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ५ या ६ महीने पहले मर चुके हैं। हो सकता है, मैं इस विवाद में नहीं जाता, मुमकिन है कि १६० आदमियों की जो फ़ेहरिस्त दी है उनमें से एक दो ग़लती ढूंढ़ने से मिल जाय लेकिन मैं तो सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो कह सके कि १६० आदमियों की फ़ेहरिस्त जो श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने दी है वह सरासर झूठ है और उसमें असलियत ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि और आज भी कहना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि यह विवाद आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है, परन्तु मैं इसे समाप्त करके दूसरा अध्याय शुरू करने के पक्ष में हूं। इसको समाप्त करने के लिये मैं इसलिये नहीं कहता हूं कि सरकार को किसी कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं कि वह अपने दोष को स्वीकार करे। मैं समझता हूं कि सरकार जब तक असलियत को कबूल नहीं करती है सरकार का सहायता करना अधूरा होता है और उसका परिणाम होता है कि सैकड़ों आदमी मरते हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस वक्त सरकार समझेगी और मेरा आज भी विश्वास है कि इस सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के चरणों में बहुत दिनों तक शिक्षा दीक्षा के बाद आये हैं और आज भी उनसे

[श्री गेंदा सिंह]

प्रभावित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वह पर्दा डालने वाली मनोवृत्ति को न अपनावेंगे और सही बात जानने की कोशिश करेंगे और यदि ऐसा करेंगे तो आज जो मानवता की पुकार है और जो हालत बस्ती, डुमरियागंज, आज़मगढ़ गोरखपुर, बालिया, देवरिया, बनारस फैज़ाबाद और कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ की, आज वहां की है वह हालत न रहने पावेगी और वह सुधर जायेगी। हम किस तरीक़े से माननीय मंत्री का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं उसका एक ही तरीक़ा है और वह यह है कि आप ३ आदमियों की एक कमेटी मुक़र्रर कर दी जाय जिस में १ तो कोई जज हो और दूसरा कोई फ़िज़िशियन हो जो शरीर विज्ञान जानता हो ताकि वह हमेशा यह न कह दें कि यह भूख से मरने वाला नहीं है इस की तो अंतड़ियों में यह बीमारी हो गई थी वह बीमारी हो गई थी। और तीसरा आदमी ऐसा हो कि जिसको हमारा आप का दोनों का विश्वास प्राप्त हो जैसे श्री आचार्य्य विनोबा भावे हैं या श्री कुमारप्पा या श्री मशरुवाला हैं, इन में से कोई एक हो। इस तरह से ऐसे तीन आदमियों की आप एक कमेटी मुक़र्रर कर दीजिये और उस को पूर्वी जिलों में भेज दीजिये और वह देखे कि वहां क्या हो रहा है। हम भी उस के सामने सार तथ्यों को रख दें कि उन जिलों में क्या हालत है और सरकार भी अपने तथ्यों को रख दे और फिर उसके बाद अगर उन का यह निर्णय हो जाता है कि आदमी भूख से नहीं मरे हैं तो मैं सब से पहला आदमी होऊंगा जो इस असेम्बली से स्तीफ़ा दे दूंगा और सरकार को कठघरे में खड़ा न कर के खुद कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा। मैं इस्तीफ़े के बाद आप के सामने होऊंगा और सरकार मेरे खिलाफ़ मुकदमा उस वक़्त चला सकती है और मुकदमे की कार्रवाई में मैं अपने को डिफेंड (बचाव) भी न करुंगा अदालत के सामने अपने को सबमिट (अर्पण) करुंगा। इस तरह के तीन आदमियों की कमेटी आप मुक़र्रर कीजिये। अन्त में मैं सरकार से कहूंगा कि शिब्बन लाल सक्सेना की हड़ताल को और पूर्वी जिलों की जनता की भूख के विषय को आप किसी राजनीतिक दृष्टि से न देखिये। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें कतई कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। जो कुछ भी सरकार करेगी सोशलिस्ट पार्टी उसमें दिलोजान से सहयोग देने के लिये तैयार है। जिस तरह से गांधी जी ने बंगाल अकाल के समय जारी कांग्रेस को यह सलाह दी थी कि इस मामले में राजनीति को भूल जाओ और जो मानवता के सामने एक चेलेंज है उसे स्वीकार करो तो उसी तरह से आज जो मानवता से सम्बन्ध रखते हैं उनके लिये तकाजा है कि आज वे पूर्वी जिलों में जनता की सहायता करें। सरकार भी इस प्रश्न पर इसी तरह विचार करे। मैं जानता हूं कि कांग्रेस में भी इस प्रकार के सदस्य हैं जो असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि वह तीन आदमियों की कमेटी बना दी जाय और उनका निर्णय लिया जाय। इस बात पर विचार और कोशिश की जाय कि किस तरह से इन ११ जिलों की जनता को उबारा जा सकता है। आज यही हमारी सब से बड़ी और पहला कर्तव्य है और यदि हम उसे नहीं पूरा करेंगे तो हम चूकेंगे।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय अन्न मंत्री जी का इस बात के लिये स्वागत करता हूं कि उन्होंने पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में आज सदन में बहस करने का अवसर दिया। इससे पहले कि मैं अपने विचार इस समस्या पर प्रकट करूं मैं चाहता हूं कि अभी जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहूं। १८ तारीख को हमारी समाजवादी पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव आया कि उस दिन सदन में बहस की जाय लेकिन किन्हीं कारणों से माननीय अन्न मंत्री का प्रस्ताव भी आ गया था और २१ तारीख का दिन सरकार की तरफ से बहस के लिये रखा गया। हमारे अध्यक्ष महोदय के आश्वासन और निर्णय देने के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से यह चाहा गया कि आज ही बहस हो और उसके विरोध में वे लोग सदन को छोड़कर भी चले गये। मैं यह नहीं जान पाया कि १८ और २१ तारीख को बहस करने में कौन सा बड़ा अन्तर पड़ गया और कितने आदमी

इन दो दिनों में भूख से मर गये। इसके लिये उन्होंने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा एक वर्ष हुआ समाजवादी पार्टी ने देवरिया और गोरखपुर की खाद्य स्थिति के बारे में एक चुनौती दी और उनका यह कहना था कि स्थिति इतनी भयंकर व भयावह हो गई है कि अगर कोई कार्यवाही तुरन्त नहीं की जाती है तो लाखों मनुष्य भूख से मर जावेंगे। लेकिन आज १ वर्ष बाद जब खाद्य स्थिति पर यहां विचार होता है तो आज भी माननीय गेंदा सिंह जी को जांच के लिये कहना पड़ता है। सन् १९४२-४३ में बंगाल में अकाल पड़ा तो हम लोग जेलों में थे। उस समय जांच की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी और १ वर्ष में लाखों आदमी मर गये मगर हमने कभी यह नहीं सुना कि कोई कमेटी या कमीशन जांच के लिये नियत किया गया। मैं मानता हूं कि आज स्थिति जरूर खराब है। सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया गया है उससे भी यह साफ जाहिर होता है कि वहां की खाद्य-स्थिति अच्छी नहीं है। वहां के लोगों की पर्चेजिंग पावर (क्रय शक्ति) बहुत खराब हो चुकी है जिसके कारण वह अपने खाने का इन्तजाम नहीं कर सकते। म यह कहता हूं कि आज भी हमें सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के उस आग्रह को ही सुनने के लिये आना पड़ा कि वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राधामोहन सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक वर्ष हुआ जब कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से पूर्वी जिलों में और विशेष कर देवरिया और गोरखपुर में अकाल की स्थिति की घोषणा की गयी। और कहीं कहीं पर अकाल से भुखमरी की भी रिपोर्ट दी गयी। आज एक वर्ष के बाद भी स्थिति ऐसी ही दिखायी पड़ती है कि माननीय सदस्यों को इसके लिये जांच की आवश्यकता पड़ती है। मैंने यह भी निवेदन किया कि बंगाल की हालत जब बिगड़ने लगी तो एक वर्ष के अन्दर किसी को सबूत मांगने की जरूरत नहीं रही। आपका यह भी कहना है कि एक साल के अन्दर में सरकार ने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे वहां की स्थिति सुधरती।

हम लोगों को देखने से यह मालूम होता है कि इस बीच में प्रकृति ने भी हमारा साथ नहीं दिया। गत दो साल से बराबर अवर्षन होता रहा लेकिन फिर भी स्थिति जैसी पहले आपने दिखलायी थी वही आज भी दिखलायी और यह धमकी भी दी कि अगर इस तरफ ख्याल नहीं किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से इस तरफ विशेष तौर पर कार्य नहीं किया गया तो लोग भूखों मरने लगेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थिति कि है और जो आप ने बयान दिया है उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो बात आपने एक वर्ष पहले कही थी वह निराधार थी और आज भी वह निराधार है।

अभी मेरे भाई गेंदा सिंह जी ने एक और इस सम्बन्ध में कहीं। आपने बतलाया कि जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिये गये हैं उनसे केवल पोन छटांक भी आदमी पड़ता है। जो बयान माननीय अन्न मंत्री जी ने दिया है उसको मैंने बहुत उलट पुलट कर देखा लेकिन मैंने उनके भाषण में कहीं पर इस चीज को नहीं पाया। बयान में यह दिया गया है कि पहली मई से अगस्त तक कितना गल्ला दिया गया। उसमें यह भी वर्णन है। कि ए०पी० स्कीम के मातहत २० लाख से लेकर ५० लाख आदमियों तक को ये गल्ले दिये गये। माननीय अन्न मंत्री जी ने अपने बयान में यह कहा था कि किसी-किसी महीने में साढ़े तीन लाख मन तक गल्ला एक महीने में दिया गया। अगर ए० पी० स्कीम के मुताबिक ३ छटांक गल्ला दें तो एक महीने के अन्दर ५ सेर १० छटांक गल्ला होता है। अगर हर आदमी अपने राशन कार्ड के मुताबिक पूरा पूरा गल्ला महीने में ले तो ५ सेर १० छटांक होता है। और साढ़े तीन लाख मन गल्ला एक एक महीने में दिया गया है तो मेरे हिसाब के मुताबिक करीब करीब २५ लाख आदमियों के लिये यह गल्ला होता है। फिर मेरी समझमें नहीं आया कि उन्होंने

[श्री राधा मोहन सिंह]

पौन छटांक की बात कैसे कही। सोशलिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं और सरकार को भी तसलीम है कि पूर्वी जिले के लोगों की हालत इतनी खराब है, उनकी क्रय शक्ति इतनी नीचे गिर गयी है कि वे काफी गल्ला नहीं खरीद पाते हैं। हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने भी यह स्वीकार किया है और वे यह मानते हैं कि बहुत से लोग पैसे की कमी के कारण गल्ला नहीं खरीद सकते। तो २५ लाख की संख्या और आगे बढ़ सकती है। इस लिये मेरी समझ में नहीं आता कि जो आंकड़े अभी दिये गये हैं उन आंकड़ों के आधार पर ये ५ छटांक की बात कैसे लायी गई है। अगर भाई गेंदा सिंह के सामने कोई और आंकड़े होते हों तो उसे वे भवन के सामने लाते तो हम उस पर अपनी राय जाहिर करते। उन्होंने यह भी कहा कि जमींदारी उन्मूलन कोष के रूपये की वसूली के कारण पूर्वी जिलों की स्थिति खराब हो गयी यह बात मुझे कोई अच्छी नहीं लगी और मैं इसे समझ नहीं सका। जमींदारी उन्मूलन कोष में रुपया जमा करने के लिये सन् ४९ से ५० के जून तक ड्राइव था जो खत्म हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस कोष के लिये कोई जोर नहीं दिया। ऐसे तो अब भी अपनी इच्छा से जो दसगुना जमा करना चाहते हैं वे जमा करते ही हैं। इसलिये यह कहना कि गवर्नमेंट द्वारा रुपया ले लेने के कारण ही ऐसी स्थिति हुई और उसी से वे तेजी से खराबी की ओर बढ़ रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों से जबर्दस्ती रूपया लिया गया हो। मुझे याद है कि इस भवन में जमींदारों की तरफ से कई बार ऐसे आंकड़े पेश करने की कोशिश की गयी कि जबर्दस्ती रूपया लिया जा रहा है। लेकिन जब माल मंत्री महोदय ने उनके नाम मांगे उनके सबूत मांगे कि जहां पर जबर्दस्ती वसूली हुई है तो कोई नाम नहीं पेश किये गये। मैं आज भी कहने के लिये तैयार हूं कि जहां भी रूपया लिया गया कहीं भी जबर्दस्ती रूपया नहीं लिया गया है। जिस के घर में खाने को नहीं है वह दसगुना लगान कैसे दे सकता है। स्वभावतः सबसे पहले आदमी चाहता है कि वह अपने खाने का प्रबंध करे ले तब और काम करे। इसलिये यह संबंध जोड़ना कि दसगुना लगान की वसूली और खाद्य समस्या दोनों का एक दूसरे से संबंध है यह मेरी समझ में नहीं आता।

हां, आपने एक बात यह कही कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में शिकायतें आती हैं। मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। हमारी सरकार की तरफ से जो बहुत से काम किये जाते हैं उनमें अगर सफलता नहीं मिलती तो उसका बहुत कुछ कारण सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो कदम हमारी सरकार ने इस संबन्ध में उठाये है वह बहुत काफी हैं। जो घोषणा हमारे माननीय अन्न मंत्री महोदय ने की है कि हर जिले के हेडक्वार्टर या उन क्षेत्रों में जहां लोग अभाव-ग्रस्त हैं एक मंत्री, या उपमंत्री, या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत काफी है। अगर कोई बात सम्भव हो सकती है तो यही है। अगर उस जगह पर कोई उच्च अधिकारी मौजूद है तो उनके रहने से अधिकारियों में अधिक दृढ़ता आयेगी और जनता की सेवा करने में अधिक समर्थ होंगे। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। जहां तक यह है कि वहां के अधिकारी ठीक काम नहीं करते, लोगों की जरूरतों को पूरा करने की परवाह नहीं करते, हमारी शिकायतें नहीं सुनते, मुझे विश्वास है कि ये अवश्य दूर हो जायंगी। मुझे आशा है कि भवन इस घोषणा को संतोष के साथ स्वागत करेगा।

तमाम भाषण के अन्दर जहां तक मुझे मालूम हुआ एक आरोप सरकार के ऊपर बहुत गम्भीर रूप में किया गया कि सरकार की तरफ से बराबर वस्तुस्थिति पर परदा डालने की कोशिश की गयी। लेकिन जब-जब इस भवन में यह बात आयी या जो जो हमारे सामने बयान पेश हुये उनको देखने से बात कुछ दूसरी दिखलायी देती है। सरकार की तरफ से चाहे वह १९५२ का बजट हो या ५१ का बजट हो मुझे पूर्ण रूप से ख्याल है कि सरकार ने उसमें पूर्वी जिलों की हालत की ओर सरकार का ध्यान गया है। मैं आगे भवन के सामने

उन बातों को रखूंगा जो मेरी छोटी बुद्धि में इसके लिये विशेष कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह आरोप लगाना कि सरकार ने स्थिति को छिपाने की कोशिश की यह बिलकुल निराधार मालूम होती है। एक बात जिसको सरकार ने बराबर इनकार किया है। वह भुखमरी की है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बलिया जिले के संबधमें अखबारों के अन्दर पिछले दो महीने के अन्दर सात भुखमरी की रिपोर्टें आयी हैं। मैं जब घर गया तो जिन जिन गांवों के संबंध में बातें आयीं वहां के लोगों से और दो एक जगह मैं स्वयं भी गया, मैंने इस बात का पता लगाया कि वाकया क्या है। मैं आपसे निस्ससंदेह और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भूख से मरने की बात सरासर निराधार और गलत है। मैं दूसरी जगह का हाल नहीं जानता। मैं अपने यहां की जानता हूं। लेकिन जो बस्ती में हालत है वही बलिया में भी है। हमारे यहां भी मंहगाई काफी ऊंचे स्तर पर है। गरीबों को ऐसे ऊंचे दरों पर खाद्यपदार्थ खरीदना मुश्किल हो रहा है।

ऐसी हालत में भी मैं आपसे यह कहने के लिये तैयार हूं कि इसमें संदेह नहीं है कि बलिया जिले में कम से कम कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरा। और जिलों के संबंध में मेरी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसलिये जब कभी यहां पर इस भवन में या बाहर सरकार की तरफ से ऐलान होता है वह केवल इस बात का होता है कि स्थिति खराब होते हुये भी लोग भूख से नहीं मरे हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि परदा डालने वाली बात तो बिलकुल ही निराधार है। अगर सरकार यह कहती है कि वहां आवश्यकता नहीं है लोगों के पास गल्ला काफी है, तो इन महीनों के अन्दर जो लाखों मन अनाज भेजा गया है वह क्यों भेजा है और १६ तारीख को हमारे अन्न मंत्री ने बयान दिया वह क्यों दिया। वे स्वयं कई मर्तबा गये और विशेष अधिकारी भी गये थे पूर्वी जिलों में इस लिये यह कहना कि सरकार की तरफ से बराबर वस्तुस्थित को छिपाने की कोशिश की गई है, मेरी समझ में बिलकुल निराधार और गलत है। तो इन बातों का जो आपने बयान दिया और जो मैंने कहा अब यह सही है तो प्रश्न उठता है कि आखिर क्या बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी जिलों की हालत वास्तव में बहुत ही खराब है। लोगों में गरीबी है, बेकारी है और इधर दो तीन सालों से जो पानी नहीं बरसा है, अन्न की कमी भी है, इन चीजों की वजह से एक ऐसा सामूहिक रूप से लोगों पर ऐसा असर पड़ता है कि देहातों में बेचैनी है और लोगों में परेशानी है और सबसे दुखद बात यह है कि हमारा विरोधी पक्ष, चाहे समाज वादी या कम्युनिस्ट भाई हो हमारे दुःख दर्द की कहानी से लाभ उठाना चाहते हैं। मुझे यह कहने में जरा भी शंका नहीं है कि अगर उनके अन्दर वास्तविक उन गरीब और दुखी भाइयों के लिये जैसा कि वह कहते हैं, दर्द होता तो बजाय इसके कि वह भूखों मरते हुये लोगों को खाना देते, वे प्रेसों में जाते हैं और फोटों लेते हैं।

मैं आप से बिहार के संबंध में कहता हूं कि वहां जब लोग भूखों मर रहे थे और कांग्रेस के हाथ में कोई हुकूमत नहीं थी, कोई साधन नहीं था तो भी कांग्रेस मौके पर खड़ी हुई। घर-घर एक कोने से दूसरे कोने तक जा जाकर अन्न दिया गया और साथ ही साथ उन भाइयों की मदद की। अगर आज ऐसा गोरखपुर और देवरिया में कोई आदमी भूखों मरता है, अगर यह सही हो तो आपका कर्तव्य क्या होता? आपका कर्तव्य यह होता है कि अखबारों में गये और फोटो लें कि ४ आदमी चारपाई पर लेटे हुये भूख से मरने के करीब हो गये हैं। बजाय इसके कि आप उनको अन्न पहुंचायें, पैदल चलकर उनको अन्न दें और खिलावें, आप दौड़ते हैं प्रेस में और फोटो लेते हैं। इससे बिलकुल साफ हो जाता है कि आप हमारे दुःख और गरीबी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिये इतिहास भी मौजूद है। मुझे पश्चिमी देशों के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। इटली में भी ऐसी हालत हुई थी। बार बार ऐसी ही हड़तालें हुईं और मसोलिनी को मौका मिला। उसने सरकार को नोटिस दिया कि तुमसे हुकूमत नहीं हो सकती है, हम गद्दी पर बैठेंगे। इसी प्रकार से यहां भी लोग फायदा उठाना चाहते हैं कि दिल्ली की हुकूमत ले लें। यह केवल पोलिटिकल स्टंट

[श्री राधा मोहन सिंह]

के सिवा और कुछ नहीं है। लोगों में जो बेचैनी है जो गरीबी है उसका लोग फायदा उठाना चाहते हैं। कहा यह जाता है कि अगर हमको मौका मिले तो हम उसको दूर कर सकते हैं। अन्न और खाने की समस्या पोलिटिकल लेविल (राजनीतिक स्तर) से ऊपर रखने वाली चीजें होती हैं लेकिन आज जो बातें कही जाती हैं और जिस प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि यह सिवाय पोलिटिकल स्टंट और पोलिटिकल कैपिटल बनाने के मुझे इसमें कुछ नहीं दिखायी देता।

अब मैं खाद्य स्थिति पर, जो वस्तुस्थिति दिखाई पड़ती है, उस पर कुछ कहना चाहता हूं। असल में प्रश्न यह है कि हमारे यहां जो गरीबी और बेचैनी है, लोग जो खाने के बिना परेशान हैं, उसकी हालत क्या है।

इसमें तीन प्रश्न उठते हैं, पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में हमारे यहां अनाज नहीं है, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या अनाज इतना महंगा है कि हमारे गरीब लोग उस महंगे अनाज को खरीद नहीं सकते हैं, और तीसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या हम लोगों की हालत इतनी खराब हो गई है कि हम किसी भी दर पर अनाज खरीद नहीं सकते हैं, या तीनों प्रश्नों की मिली हुई कोई स्थिति पैदा हो गयी है जिससे हम तबाही में पड़ गये हैं। मुझे सदन के सामने यह निवेदन करना है कि हमको यह सोचना चाहिये कि वास्तविक बात क्या है। जब हम मालूम कर लेंगे कि वास्तविक रोग क्या है तभी सरकार उसका निदान कर पायेगी। आज सदन में सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किये गये हैं उनसे यह मालूम होता है कि आज हमारे यहां अन्न की कमी नहीं है। यह मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहां अनाज काफी पैदा होता है बल्कि इस लिये कह रहा हूं कि बाहर से जो अनाज आया है उसको देखते हुए और जो भवन के सामने आंकड़े रखे गये हैं उनको देखते हुये यह मालूम होता है कि कम से कम आठ महीने के लिये हमारे पास खाद्यपदार्थ है। अब दूसरे प्रश्न के संबंध में हमें यह देखना है कि क्या अनाज होते हुये भी लोग परेशान हो गये हैं? क्या ऐसी बात है कि हम अनाज खरीद नहीं पा रहे हैं? जो हमारे माननीय सदस्य देहातों में रहते हैं और जिन का बलिया, गोरखपुर, देवरिया या अन्य अभावग्रस्त क्षेत्रों से संबंध है वे जानते हैं कि यह बात सत्य है कि वहां लोगों के पास खरीदने के लिये पैसा नहीं है। लोगों के पास राशनकार्ड है और वे कर्ज मांगते फिरते हैं कि हमें पैसा मिले तो हम अनाज खरीदें लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है। हमें इस बात को तस्लीम करना ही पड़ेगा और हमने यह देखा है कि वहां आज स्थिति इस हद तक पहुंच गयी है कि लोगों की हालत इतनी खराब हो गयी है कि वे और सस्ते दामों पर भी अन्न नहीं खरीद पायेंगे। यह कुछ हजार या कुछ लाख लोगों की बात नहीं है। वहां पर करोड़ों आदमी बसते हैं और वहां पर जो बड़े २ लोग हैं वे भी महंगा अन्न खरीद नहीं सकते हैं। तो हमें यह देखना है कि क्या हमारी परेशानी का कारण महंगी है या गरीबी है। मैं कहता हूं कि और मुल्कों में जहां जीवनस्तर ऊंचा है वहां अगर चीजें महंगी भी होती हैं तब भी लोग परेशान नहीं होते हैं। पहले यहां के मुकाबिले में अमरीका, फ्रांस और दूसरे मुल्कों में चीजें महंगी थीं लेकिन वहां पर लोग परेशान नहीं थे क्योंकि वहां लोगों के पास पैसा है। हां, अगर हमें भी पैसा मिल जाय तो मंहगी और अधिक भी हो तब भी हम उससे परेशान नहीं होंगे। ऐसी हालत में मुझे ऐसा लगता है कि उस परेशानी की जड़ हमारी गरीबी है। आज क्या हालत पूर्वी जिलों में है। पिछले १०, १५ वर्ष से हमारे खेतों की उपज कम होती जा रही है। इसके लिये मैं कोई आंकड़े नहीं पेश करूंगा लेकिन हमारे बहुत से माननीय सदस्य जो पूर्वी जिलों के यहां पर बैठे हुये हैं वे इस बात के साक्षी हैं कि गत् १५ वर्ष से हमारे यहां के खेतों की उपज कम होती जा रही है और साथ ही हमारे यहां की आबादी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले अखबारों में निकला था कि आज एशिया के अन्दर सबसे घनी आबादी बलिया की है। एक वर्ग मील पर ११७१ आदमियों की आबादी बलिया

में बतायी गई है। और दूसरा बनारस जिले का नम्बर आता है। तो इन पूर्वी जिलों में जहां उपज इतनी कम होती जा रही है वहां पर खाने वालों का मुंह बढ़ता जा रहा है। अगर मुंह बढ़ते रहते और हमें काम मिलता रहता तो कोई चिन्ता की बात नहीं होती लेकिन यह देखकर हमें चिन्ता होती है कि हमारे यहां कोई उद्योगधंधे नहीं हैं, जो पुराने उद्योगधंधे थे वे भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। और साथ ही हमारे यहां पूर्वी जिलों में कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। हजारों कुओं की स्कीम बनती है लेकिन अगर देखा जाय तो कोयला न मिलने से सीमेंट न मिलने से और ईंट न मिलने से दो ढाई सौ ही कुयें बन पाते हैं। वहां ट्यूबवेल या हाइड्रो एलेक्ट्रिक की कोई विशेष स्कीम नहीं है। सड़कें भी इतनी नहीं हैं कि जिनसे वहां के साधन बढ़ सकें। तो यह हालत पूर्वी जिलों की कई सालों से है। वहां पर बहुत गरीबी है। बेकारी है और उद्योगधंधे भी वहां पर नहीं हैं लेकिन यह सब बातें ऐसी हैं जिनके लिये हम इस सरकार को दोषी नहीं कह सकते हैं।

आज कितने ही समय से यह बात कही जाती है कि पूर्वी जिलों की हालत खराब होती जा रही है। मैं कहता हूं अगर हमें इन बातों को हल करना है तो अखबारों में या असेम्बली में इसका हल नहीं है बल्कि इसका हल यह है कि हम कोई बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों की उन्नति करें तभी हम कामयाब होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह बात दूसरी है कि हम गरीब लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में कर लें लेकिन जनता की वास्तविक सेवा तभी हो सकती है जब हम उन क्षेत्रों को ऊपर उठाने के लिये वहां पर आबपाशी का इन्तजाम करें, नहरों का इन्तजाम करें, सड़कों का इन्तजाम करें और उद्योग धंधों का इन्तजाम करें। अगर हम यह कर पायेंगे तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या आपकी सरकार हो सही मानों में जनता की सेवा हो सकेगी। इसलिये जो हालत आज है उससे हमको सबक लेना है। यह हमारी जनता की सरकार है और जनता की सरकार से अगर हम कोई आशा करें कि वह जनता के कष्टों को दूर करेगी तो हम कोई गलती नहीं करते हैं, हमें उससे यह आशा करने का अधिकार है।

अभी दो वर्ष हुये माननीय चरण सिंह जी हमारे जिले में गये थे और इत्तफाक से वह उसी हिस्से में गये थे जो हिस्सा बलिया का बहुत अच्छा हिस्सा कहा जाता है, गंगा की तराई का हिस्सा। उस हिस्से में नहीं गये जहां पर धान पैदा होता है, जहां पर दो वर्ष से वर्षा न होने के कारण आज बहुत खराब हालत हो गयी है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—यह बात गलत है मैं तीनों तहसीलों में गया था। बांसी में गया था और रसरा में भी गया था अप्रैल, सन् १९५० में।

श्री राधा मोहन सिंह—तो मुझे एक बात याद आती है। वहां से आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैंने तो सुना था कि बलिया के लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन मुझे देख कर बहुत आश्चर्य, हुआ कि यहां इतनी गरीबी है। लेकिन आज दो वर्ष के बाद अगर माननीय मंत्री वहां के देहातों में जायं तो उनको आश्चर्य होगा कि जो स्थिति उन्होंने देखी थी उससे कहीं अधिक बुरी हालत हो गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और कैबिनेट लेविल पर ५ मंत्रियों की एक कमेटी बनाये जिसमें मुख्य मंत्री हों, माल मंत्री हों, उद्योग मंत्री, इरीगेशन (सिंचाई) मंत्री और अन्न मंत्री हो। इन पांच मंत्रियों की कमेटी उन क्षेत्रों की उन्नति के लिये एक सामूहिक विकास योजना बनाये।

दो वर्ष पहले मैंने कहा था कि ऐसा प्रबंध करना चाहिये ताकि कम्यूनिस्ट वहां अपना अड्डा न बना सकें। हमारे जिले में इतनी गरीबी है कि कम्युनिस्टों ने देखा कि उससे बढ़िया क्षेत्र उनके काम के लिये कोई हो नहीं सकता। और इस प्रदेश के अन्दर पहला कम्युनिस्टों का सेंटर हमारे जिले में कायम किया गया। इसलिये मैं फिर आज निवेदन करना चाहता हूं कि बलिया की ही नहीं बल्कि गोरखपुर, आजमगढ़ आदि जितने पूर्वी जिले हैं उन सब की हालत आज बहुत खराब है और अगर हमें वहां की जनता के स्तर को ऊंचा करना है तो

[श्री राधा मोहन सिंह]

हमको रोटीन वर्क नहीं बल्कि स्पेशल काम करना पड़ेगा। मैं प्रदेश के और जिलों के बारे में नहीं कहता, वहां तो आप जैसा चाहें करें लेकिन इन जिलों के लिये कुछ स्पेशल काम करें जैसे सड़कों के लिये, नहरों के लिये, उद्योग के लिये, सिंचाई के लिये, इन सब के लिये एक सामूहिक योजना बनायें। इन शब्दों के साथ मैं यह फिर निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य की स्थिति ऐसी गम्भीर है कि इसको राजनीतिक सवाल न बनाया जाय और एक पापुलर गवर्नमेंट के नाते ऐसे कार्य किये जायं जिससे यहां की जनता की हालत अच्छी हो और उसका स्तर ऊंचा हो।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्याक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि टाइम लिमिट (समय सीमित) कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य टाइम लिमिट का खुलासा करना चाहेंगे कि कितना रख दिया जाय ?

श्री सीताराम शुक्ल—मेरी प्रार्थना है कि १५ मिनट से ज्यादा वक्त न दिया जाय।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय सात मिनट से ज्यादा न रखा जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—उपध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं शुक्ल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि १५ मिनट का समय निश्चित कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अधिक वादविवाद की आवश्यकता नहीं होगी। मैं भवन से पूछना चाहता हूं कि क्या १५ मिनट में सब का काम चल जायगा ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रियों और उपमंत्रियों को कम से कम आध घंटे का समय रखा जाय।

उपाध्यक्ष—हां, मंत्रियों और उपमंत्रियों के लिये तो ठीक है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन ५ बजे के बजाय ७ बजे तक बैठे।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अभी तो यह प्रस्ताव रखना बहुत जल्दी होगा। बाद को देखा जायगा। १५ मिनट का समय तय हो चुका है। अब कार्यवाही शुरू होगी।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, आज इस भवन में यह जो खाद्य संबंधी विवाद प्रस्तुत है उसके लिये हम मंत्री जी को धन्यबाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम सदस्यों को अपना स्पष्टीकरण करने का और जो उनके उद्गार या वस्तु स्थिति है उसके प्रगट करने का उन्होंने अवसर दिया है। पिछली मर्तबा जब हमारे खाद्य मंत्री हमारे जिले में गये थे उस समय जब उन्होंने पहले गांव को देखा था तो उस ११ घर के छोटे से पुरवे में ९ घरों में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था और अभी जो हमारे सामने एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है उसमें यह बतलाया गया है कि दस लाख रुपया मार्च के महीने तक टेस्ट वर्क्स पर सरकार ने व्यय किया है। लेकिन हम देखते हैं कि देवरिया में वहां पहली अगस्त तक एक पैसा भी व्यय नहीं किया गया है। इसी कारण से यहां की स्थिति बड़ी जल्दी भयावह होने लगी थी क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि वहां की क्रय शक्ति क्षय हो गई है। वहां एक गन्ने यानी ईख का ही उद्योग है जिसमें लगभग उनको इस वर्ष ४ करोड़ रुपया मिला है हर वर्ष साढे तीन करोड़ मिला करता था। इस वर्ष ५० लाख रुपया ज्यादा मिला है। लेकिन आप

जानते होंगे कि इस वर्ष हमारे जिले में ४२ लाख रुपया ईख उत्पादकों को नहीं मिला था। आज यह अवस्था पैदा हो गई है कि जब वह पैसा लेने जाते हैं तब उनको पैसे की जगह शकर दी जा रही है। लगभग ९० रुपया बोरे के हिसाब से उनको मिलता है जब कि बाजार में ६०-७० रुपये की बीच में शक्कर का बोरा मिलता है। इस वजह से वह बिचारे असहाय अवस्था में घूम रहे हैं। जब मैं गांव की तरफ गया तो मैंने देखा कि लोगों ऐसी अवस्था है कि १०० में से ८० आदमी मोलेसेज जिसे अपनी भाषा में टैमा कहते हैं, उसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही एक गांव में अनाज की चोरी हुई, घरों को देखा गया तो सिवाय सरकारी बजरी के वहां कुछ नहीं मिला। इस तरह से वहां की अवस्था आज इतनी बुरी हो रही है। इस बीच में सरकार ने कुछ तत्परता से काम किया है जिसकी वजह से आज थोड़ी सी हालत सुधरी हुई है। ए० पी० स्कीम जो वहां चालू की गई है। उसके बारे में जो यह कहा गया कि चोर-बाजारी होती है। चोरबाजारी होती कैसे है? वह इस तरह से होती है कि अगर एक आदमी गल्ला ले जाता है तो दूकानदार १५ दिन का गल्ला लिख कर ७ दिन का गल्ला देता है। इस चीज की कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस तरह से वहां बजाय लाभ होने के हानि ही हो सकती है। एक जगह के बारे में मैं जानता हूं कि जहां टेस्ट वर्क आरम्भ हुआ है, वह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है वहां के लोगों को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक मर्तबा यद्यपि उसके बारे में विचार हुआ था, परामर्श हुआ था लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिले के अधिकारी मनमानी करते हैं।

आप देखेंगे कि यह जो भुखमरी की बात कही जाती है मैं नहीं जानता यह कहां तक सच है। अपने इलाके में, जो कि एक सूखा क्षेत्र है, जहां पर पानी पीने के लिये दूसरे गांव से लाना पड़ता है वहां जा कर मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि वहां कम से कम कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा। यह जरूर था कि दो तीन आदमी एक ऐसे परिवार में थे जो मुश्किल से अपने जीवन को बिता रहे थे उनकी तत्काल जो कुछ सहायता हो सकती थी की गई। वहां कुछ क्षेत्रों में तो रबी की फसल अच्छी हो गई थी, उससे वे लोग सम्पन्न थे। मुझे अपने क्षेत्र में यह चीज नहीं मिली कि लोग भूख से मर गये हों। सोशलिस्ट भाइयों ने यह बात कही कि वहां सत्याग्रह होने वाला था। उस सत्याग्रह के बारे में मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं उसमें १० आदमी भी सम्मिलित होने के लिये नहीं मिले। फसल बोने के लिये किसान लोग अपने काम में लगे हुये थे, उसे कोई सरकार की ओर से राजनीतिक महत्व प्रदान नहीं किया जा रहा था, क्रिमिनल आफेन्स (अपराधात्मक दोष) की तरह उन्हें ट्रीट (बर्ताव) किया जा रहा था, इस वजह से किसी को भी हौसला नहीं हुआ कि वह सत्याग्रह करे। इस तरह से मैं समझता हूं कि हमारे समाजवादी भाई जो हैं वे मस्तिष्क से तो जरूर समाजवादी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं लेकिन हृदय जो है वह उससे इंकार करता है और उसका नतीजा यह होता है कि वे पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने स्वयं ३० एकड़ का मापदंड रक्खा है लेकिन मैं नहीं जानता कि भारतवर्ष में किसी सोशलिस्ट ने ३० एकड़ से ज्यादा जो उसके पास भूमि रही हो वह उसने छोड़ दी हो हर चीज में पोलिटिकल मोटिव (राजनीतिक उद्देश्य) लगाना इससे हमारा कोई कार्य नहीं हो सकता। आज मैं देखता हूं जो प्रचार हो रहा है उसमें भी पोलिटिकल मोटिव के सिवा कुछ नहीं है। देवरिया की जो बात कही जाती है मैं जानता हूं कि वहां पर निरक्षरता है। उनमें इस तरह का प्रचार किया जाता है कि वह सहज उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं लेकिन उसमें सेवा या कार्य करने का कोई भाव नहीं होता।

एक बात की तरफ मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने एक छोटा सा काम किया कि तकावी की धनराशि को गांवों में जा कर बाँटने के लिये हम लोगों से कहा लेकिन कम से कम वहां के लोगों को इस बात से राहत हुई कि जो बीच के खाने वाले लोग थे और जो खाने वाला छोटे अमले थे वह इस बात को नहीं कर सके हैं। आज भी वह यह जानते हैं कि वहां जो छोटे-मोटे अधिकारी हैं, सप्लाई अफसर हैं उनसे अगर किसी के दुकान के बारे

[श्री रामजी सहाय]

में कहा जाता है तो वह उसको निकाल देते हैं लेकिन बैकडोर से उसके किसी रिश्तेदार को वह दुकान दे देते हैं। इस तरह से जो कार्य करने वाले हैं वह जितना कार्य चाहते हैं उतना काम जिले के अन्दर हो नहीं पाता है। इसी प्रकार अगर सरकार इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान दे तो जो भयंकर आज स्थिति है वह जल्द से जल्द सम्भाली जा सकती है। हमारा देवरिया जिला ऐसा है कि जहां पर जमीन कुछ इस तरह की है कि जो तराई जैसी है। वहां पर जो टैस्ट वर्क किया गया और मिट्टी कुछ निकाली गई है वहां पर अब पानी भरा हुआ है। उस इलाके में बरसात कुछ ज्यादा भी होती है लेकिन इस साल तो नहीं हुई किसी किसी हिस्से में हुई है। लेकिन जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पर मिट्टी का कार्य नहीं हो सकता है इस कार्य के स्थान पर आप और दूसरा कार्य क्या उनको देंगे। आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि उनकी क्रय शक्ति को किस तरह से विकसित करें और उन्नत करें सरकार के सामने आज यही सवाल है। मैं समझता हूं कि यह टैस्ट वर्क ऐसा है और इस कार्य को आपने हमारे जिले में चार जगह पर केवल खोल रखा है जो काफी दूरी पर हैं। किसान अपनी फसल को बड़ी परेशानी से देखता है। आमतौर पर मवेशी चारे के अभाव में लोग छोड़े हैं। तो किसान अपने खेत की रक्षा में लगे रहते हैं। वह २० मील की दूरी पर टैस्ट वर्क में शामिल नहीं हो पाता है। इस प्रकार व्यवहारिक दृष्टि से यदि इस ओर ध्यान दिया जाय तो यह समस्या सुलझ सकती है। आप उपमंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं यह अच्छा कार्य है यह उस नौकरशाही के ऊपर जिन्होंने इस अवस्था को लाने में मदद की है और जिन्होंने इस अवस्था को इस देश को पहुंचाया है उनके ऊपर नियुक्त कर रहे हैं और यह कार्य अवश्य ही उन्नति का कार्य होगा। वहां पूर्वी जिलों की जो दशा है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगले महीने तक आपके सामने रबी के बीज का सवाल आ जायगा और आपने यदि इस ओर अपनी दृष्टि सुचारुरूप से नहीं की तो और कठिनाई बढ़ जायगी। मैंने इस भवन में पिछली बार निवेदन किया था कि जो धान का बीज वहां पर दिया गया वह जमा नहीं। जहां पर ट्यूबवेल लगे हैं वहां पर मालगुजारी आज वसूल हो रही है। आपने ५० हजार रुपया लगान में छूट दी लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे किसानों का क्या लाभ हुआ। जमींदार अपना लगान वसूल कर चुके हैं इसी प्रकार अगर कोई चीज होना है और वह वहां पर तत्काल नहीं होती है, समय से नहीं होती है। तो वह फिर बेकार हो जाती है। "का वर्षा जब कृषि सुखाने" वर्षा अगर खेती के सूखने पर होती है तो फिर क्या लाभ उससे हो सकता है इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि जो भी सहायता करना हो वह तत्काल होनी चाहिये और जितनी भी अविलम्ब उस कार्य को किया जायगा तो उससे कठिनाई दूर हो सकती है। इस संबंध में माननीय सदस्य अपने विचार भी यहां पर व्यक्त करेंगे। मैं उनसे भी यही कहता हूं कि वहां पर जो दीन-हीन और कंकालयुक्त प्राणी हैं उनकी वस्तुस्थिति को समझकर इस बात को देखें कि वहां पर किस नीति को कार्यान्वित किया जाय, वहां की परिस्थिति को किस तरह से संभाला जाय। इस बात को सामने रखकर ही इस भवन में वह विचारविमर्श करेंगे। इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री जी ने जो एक बहुत लम्बा बयान सदन के सामने प्रान्त की खाद्य स्थिति के संबंध में रखा है वह बयान तो मैं कहता चला आ रहा हूं पहले से और आज भी कहता हूं कि कागजी बयान है। यह कागज पर कुछ दूसरा होता है और जमीन पर कुछ दूसरा होता है और करने में और कहने में अन्तर होता है। इसके पहले हमारे जो सरकारी कुर्सियों पर बैठने वाले और सरकार की हां में हां मिलाने वाले माननीय सदस्य श्री राधामोहन सिंह बोल चुके हैं। उन की दो एक बातों का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि १८ और २१ में फर्क ही क्या है। मैं नहीं समझ सकता कि कामरोको प्रस्ताव में और खाद्यमंत्री के प्रस्ताव में क्या फ़र्क हो सकता है। यह तो माननीय सदस्यगण स्वयं सोच सकते हैं कि सरकार की

ओर से जो प्रस्ताव होता है उस में और कामरोको प्रस्ताव में क्या अन्तर होता है, यह इसी से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने अपने भाषण में अभी यह भी बताया है कि जो हालत बलिया की है वही गोरखपुर की भी है। माननीय परिपूर्णानन्द जी जो उन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं, उनके बयान का ही मैं हवाला दूंगा। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि बलिया की स्थिति गोरखपुर की स्थिति से अच्छी है।

दूसरी बात हमारे माननीय सदस्य राधामोहन सिंह जी ने कही कि बलिया में कोई मरा नहीं और कोई मृत्यु नहीं हुई। हो सकता है न हुई हो लेकिन असल में मृत्यु तो हुई है, जिसको बहुत से लोग कहते हों, सरकार के लोग कहें या न कहें लेकिन जनता क्या कहती है, अखबार जो जनता का मुख होते हैं और जो जनता की प्रोपेगन्डे की आवाज होते हैं वह क्या कहते हैं। जो अखबार कहते हैं और देश की जनता कहती है, मैं समझता हूं सरकार को भी वही असलियत की बात कहनी चाहिये। अगर वह नहीं कहती तो यह तो हठवादिता है। अंग्रेजी राज्य के जमाने में यही मंत्रिगण और हम सब कहते थे कि अंग्रेज चले जायं लेकिन वह नहीं जाते थे। उस वक्त हम कहते थे कि सरकार हठवादिता कर रही है। वही हालत आज है जनता कहती है कि भूख से मृत्यु हो रही है लेकिन सरकार कहती है कि मुखमरी नहीं है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आदमी ४ दिन तक उपवास करते हैं और उसके बाद आठ आना मजदूरी पाते हैं और उस से वह बजरी खरीदते हैं और खाते हैं। उसको खाने के बाद वह बतलावें कि हैजा होता है या नहीं डाक्टरों का यही कहना है पूर्वी जिलों में बजड़ी बांटी जाती है इससे ऐसा होता है पूर्वी जिलों का छोटे से छोटा किसान कभी बजड़ी पसन्द नहीं करता। मेरठ की तरफ के लोग तो उसे पैदा करते हैं और वह उस को खाते हैं। पूर्वी जिलों में बजरी ४ छटांक के हिसाब से दी जाती है। दूकानदार लोग भी उस में काफ़ी गड़बड़ करते हैं। देवरिया जिले में एक साहब बिन्देश्वरी प्रसाद हैं जो सरकार और सरकारी अधिकारियों के बड़े हमदर्द आदमी हैं और उन के पास लगभग ३० दूकानें हैं और वह बजरी बांटते हैं। कई मर्तबा साबित हो चुका है और उन का गल्ला कई मर्तबा चोरी में पकड़ा गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आजमगढ़ में भी एक एक आदमी को दस दस दुकानें दी गई हैं जो चोरबाजारी करते हैं जिस से लोगों को ठीक तरह से गल्ला नहीं मिल पाता है। सप्लाई विभाग और जिलाधीश की ओर से जो गल्ला ले जाने की व्यवस्था होती है उस में दूनी मजदूरी लगती है। जो गल्ला आजमगढ़ में ४ सेर का मिलता है वह देहात में पहुंचकर ३ सेर १ छटांक का हो जाता है। इससे जनता को सही लाभ नहीं पहुंच पाता है और यह लाभ दूसरे लोगों को मिलता है जो लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके जरिये कुछ आजमगढ़ जिले की बात कहना चाहता हूं। इस जिले में ६ तहसीलें हैं। ४ तहसीलें बिलकुल ऊसर हैं और २ तहसीलें, घोसी और सगड़ी घाघरा नदी के किनारे हैं। इस जिले में १८ नदियां हैं जो बाढ़ के समय सारे जिले को पानी ही पानी कर देती है। यह जिला तबाह हो जाता है। माननीय गुप्ताजी ने ही अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सन् ५० से पूर्वी जिलों में हालत खराब होती चली गई है, ५० में बाढ़ आई, ५१ में सूखा पड़ा और फिर इस वर्ष सूखा पड़ा। इसके बाद भी अगर सरकार पूर्वी जिलों को अकाल पीड़ित घोषित नहीं करती है तो क्या कहा सकता है? मैं तो स्तम्भित हो जाता हूं। हमारे सोशलिस्टपार्टी के कार्यकर्त्ताओं की बात सरकार माने या न माने परन्तु सरकार के पक्षवालों की बात तो उसे माननी चाहिये। आजमगढ़ जिला बोर्ड की बैठक बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी सत्यानन्द जी की अध्यक्षता में जो सरकार से संबंध रखते हैं, हुई। वहां यह पास हुआ कि आजमगढ़ जिला अकाल पीड़ित घोषित कर दिया जाय आजमगढ़ जिला विकास सम्मेलन जिसके सभापति माननीय शिक्षा मंत्री जी थे उसमें भी यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन सरकार ने अनसुनीकर दिया। इसी तरह सारी पार्टियों की ओर से तहसीलों में प्रदर्शन किये गये

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

लेकिन सरकार ने अनसुनी कर दी। हमारे माननीय गेंदासिंह जी ने जो दोषारोपण सरकार के ऊपर उपेक्षा की नीति का किया है वह बिलकुल सही है।

टेस्ट वर्क्स के लिये कहा गया है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। कहा गया कि १० लाख रुपया मार्च सन् ५२ तक खर्च हुआ। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि १८ तारीख को इस सदन में मैंने माननीय माल मंत्री जी से पूछा था और उन्होंने बताया था कि आजमगढ़ जिले में १८,२४५ रू० ७ आने खर्च हुये। आजमगढ़ जिले को आप कमी वाला जिला तो कहते हैं लेकिन वहां खर्च करते हैं केवल १८ हजार रुपया। और जब मैंने पूरक प्रश्न किया तो माननीय द्वारका प्रसाद जी ने बताया कि फूलपुर तहसील में तो कोई परेशानी नहीं है, वह तो बहुत अच्छी है। यह तहसील वहां सबसे बड़ी है। यह सबसे ऊसर है। यहां केवल ८५ रू० १२ आने ६ पाई० टेस्ट वर्क्स पर खर्च किये जाते हैं। सरकार कहती है। इन टेस्ट वर्क्स में आदमियों को १० आना, औरतों को ८ आना और बच्चों को जो १८ साल से कम ६ आना रोज मिलते हैं। मैं अदब के साथ माननीय माल मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी यह १० आना मजदूरी किस काम की होती है? एक विधवा औरत है यदि उसके घर में ३ बच्चे हैं जो ६ साल के हों या ५ वर्ष के हों और वह टेस्ट वर्क्स करने के लिये जाती है और ८ आने उसे वहां मिलते हैं। ८ आने लेकर अगर वह घर पहुंचती है तो मैं नहीं समझता कि ८ आने में नमक, तेल, सुरती, कपड़ा, दवादारू और खाना कैसे तीन बच्चों के साथ कर सकती है, यह एक ताज्जुब की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, माल मंत्री चौधरी चरण सिंह साहब ७ तारीख को आजमगढ़ गये थे मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि जो विधवा औरतें हैं उनके घर में कोई काम काज करने वाले नहीं हैं उनको मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिये। माल मंत्री ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि उनको पुरुषों के बराबर मजदूरी दी जायगी लेकिन जब सवाल किया गया तो उत्तर में कहा गया कि ऐसा नहीं कहा गया। दस आना मजदूरी जो सरकार देती है वह अकाल के जमाने की है। एक तरफ तो सरकार अकाल के जमाने की मजदूरी देती है और दूसरी तरफ वह अकाल घोषित नहीं करती है। अकाल के जमाने में ऐसा नियम है और आज भी जो टेस्ट ऐक्ट है उसके अन्दर यह बतलाया गया है कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको मजदूरी दी जाय और जो लोग काम करने वाले नहीं हैं, काम नहीं कर सकते हैं उनका सरकार मुफ्त खाने पीने का इंतजाम करे। मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार ने क्या इस ओर कोई कदम उठाया है? सरकार की यह जो नीति है वह देश को खंदक में ले जाने वाली नीति है। भुखमरी के बारे में कहा गया कि एक भी आदमी भूख से मरा नहीं है। मैं आजमगढ़ की मिसाल देना चाहता हूं। सदर तहसील के विशौली ग्राम में सेंधई चमार भूख से मरा है। मधुबन थाने के बस्ती ग्राम में बैरागी धरिकार भूख से मरा है। मेरा दावा है कि ये लोग भूख से मरे हैं। सरकार के जो आफीसर्स हैं वे उनको बाद में दबाते हैं और उनसे बाद में इंकार कराते हैं और उनसे कहलाते हैं कि कोई भूख से नहीं मरा है। बाहर जो छोटे छोटे नन्हें नन्हें बच्चे बैठे हुये हैं इसी प्रकार के हजारों और लाखों की तादाद में लोग भूखों मर रहे हैं। मैंने आंखों से देखा है कि बरेली की ओर से जो सीरा आता है उस पर कुत्ते भी झपटते हैं, चील भी झपटती है और भूख से पीड़ित ये छोटे छोटे बच्चे भी झपटते हैं। अगर बच्चों के हाथ में कोई डंडा बगैरा होता है तब तो वह कुत्ते को भगा देता है लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं है और वह कमजोर है तो कुत्ता उसको चाट जाता है। मैं बड़े अदब के साथ स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी यह नीति बहुत गलत है उन्हें अपनी इस नीति को बदलना चाहिये और ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि पूर्वी जिले भी और जिलों की तरह हो जायं।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यहां अपने प्रांत की खाद्य-स्थिति पर विचार करने के लिये खड़े हुये हैं।

हमें पहिले यह विचार करना है कि आखिर इस वादविवाद का उद्देश्य क्या है। क्या खाद्य स्थिति पर वादविवाद करने से हम यह चाहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर या सरकार के ऊपर कोई दोषारोपण करें या यह चाहते हैं कि वस्तु स्थिति को सामने रख कर अपने इस प्रान्त की खाद्य समस्या को हल करें। मैं स्वागत करता हूं गेंदा सिंह जी के उस वक्तव्य का जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे प्रान्त की खाद्य समस्या दलगत राजनीति से परे है। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि क्या वस्तु स्थिति को छिपाने की कोशिश हो रही है। यह कहना ग़लत है। माननीय गुप्ता जी ने विस्तारपूर्वक वक्तव्य दिया है उसमें अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिये जो प्रयत्न किया गया है वह वस्तु स्थिति को छिपाने वाला नहीं है किन्तु उस पर रोशनी डालने वाला है। एक प्रश्न यह भी होता है कि अगर किसी, इलाके में भुखमरी होती तो सरकार जो समाज की कार्यकारिणी है उसके नाते उसकी जिम्मेदारी समाज की भी हो जाती है फिर सरकार वस्तु स्थित को छिपाने की कोशिश क्यों करेगी? वक्तव्य में सरकार की सीमा को भी बताया गया है और कहा गया है कि सरकार की ओर से जो जो प्रयत्न उसके लिये होने चाहिये वे सब किये जा रहे हैं। बहरहाल सरकार की भी एक सीमा होती है इसलिये हमें वस्तु स्थिति को सामने रख कर ही विचार करना चाहिये। मैं यह जानने के लिये उत्सुक था कि एक ओर तो प्रांत की इस गंभीर अवस्था का सामना करने के लिये सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं वे तो भवन के सामने हैं लेकिन हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, जो इन बेंचेज पर कब्जा करने का प्रयत्न कर रहे हैं या जो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, उन्होंने इस गंभीर स्थिति में क्या प्रयत्न किया है? और उन्होंने अब तक उनकी सहायता के लिये क्या किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पहले भी इस प्रकार की स्थितियां आयीं। हमारे सामने बिहार का भूचाल आया, हमारे सामने कलकत्ते की भूखमरी फैली, आसाम के अन्दर भूखमरी फैली। श्री शिब्बन लाल जी सक्सेना जो आज अनशन कर रहे हैं उनके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। श्री शिब्बनलाल जी अपने को गांधी जी का अनुयायी कहते हैं। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि बंगाल में जिस वक्त आदमी भूखों मर रहे थे उस समय क्या गांधी जी ने अनशन करने का प्रयोग किया था? क्या राजेन्द्र बाबू ने अकर्मण्य बन कर सन् ३४ के बिहार के भूचाल के समय अनशन किया था? ऐसे मौके पर हर कर्त्तव्य प्रेरित व्यक्ति जिसको अपने देश से मुहब्बत होती है जिसको अपने घर पर विश्वास होता है वह ऐसे संकट के समय स्वयं कार्य करने के लिये तैयार हो जाता है। उस समय विदेशी सरकार थी, उस से हम लोगों को बहुत सी शिकायतें थीं। उस समय कांग्रेसी और हमारे सोशलिस्ट साथी भी जब कंधे से कंधे भिड़ा कर हमारे साथ चलते थे, हमने सरकार की ओर नहीं देखा। राजेन्द्र बाबू ने झोला सम्भाला और गांव गांव के अन्दर गये और हमने भूचाल पीड़ित लोगों की मदद की, हमने बंगाल के लोगों की मदद की, हमने आसाम के लोगों की मदद की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विरोधी पार्टी अपने कर्त्तव्य से हट गयी? क्या मानवीय भावनायें उन लोगों को इस बात के लिये प्रेरित नहीं करतीं कि वे भी इसे अपनी समस्या समझें? क्या सब आदमियों का पेशा इस स्वतंत्र राष्ट्र के अन्दर यही है कि वे सिर्फ सरकार को, सरकारी आफिसरों को सलाह दें कि अब तक आपने जो किया है वह ठीक नहीं, गलत है, और इस तरह से कीजिये। क्या आप समझते हैं कि यह चीज हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने वाली है? मैं समझता हूं कि न तो यह चीज हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने वाली है और न आप इस बात से समस्या का सामना करने के लिये मदद करते हैं।

माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने हिसाब लगा कर बतलाया कि ए० पी० योजना के मातहत जो गल्ला पहुंचाया गया वह फी आदमी पौन छटांक पड़ता है। तो इस तरह से दो करोड़ व्यक्तियों को सरकार ने अनाज पहुंचाया। अगर इस तरह से सीधा भाग देकर और ६ महीने का हिसाब लगा कर मैं समझता हूं कि यह गणित का गलत प्रयोग है। आपने वक्तव्य को गौर से पढ़ा होगा। पहले संख्या २० लाख से लेकर ५० लाख तक थी लेकिन उस समय से बढ़

[श्री बनारसी दास]

कर अब ७८ लाख तक संख्या हो गयी है। इसलिये ७८ लाख व्यक्तियों को लेकर और ६ महीने को सामने रख कर पौन छटांक के हिसाब से हिसाब लगाने में मैं समझता हूं कि यह उल्टा तर्क है। इस तरह से बहुत से जमाने आये कि लोगों की स्थिति अच्छी रही और वे अनाज खरीद सके। जून के पहले प्रति व्यक्ति ३ छटांक मिलता था, फिर ४ छटांक हो गया। इसलिये आप गौर करके देखेंगे कि ७८ लाख आदमियों को जिन्हें ए० पी० स्कीम के मातहत मदद मिलती है अगर पूर्वी जिलों के अरबन एरिया के करीब ८ लाख आदमियों को भी शामिल कर लें तो वे करीब करीब साढे ८६ लाख के हो जाते हैं। आपका यह कहना है कि अगर पौन छटांक के हिसाब से भी गल्ला दिया जाता और एक तिहाई लोगों के पास भी अन्न पहुंचता और वह ब्लैक मारकेट के अन्दर नहीं पहुंचता तो आज यह स्थिति नहीं होती। साढे ३२ लाख मन अनाज में से २० लाख मन ब्लैक मारकेट में चला गया। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि लोगों की क्रयशक्ति नहीं है और दूसरी तरफ यह कहना कि २० लाख मन अनाज ब्लैक मारकेट में चला गया यह मुझे तो कुछ विरोधाभास सा मालूम होता है। इससे तो यह साबित होता है कि वहां के लोगों की क्रयशक्ति ऐसी थी कि जहां पर उनको गल्ला नहीं मिल सका वहां उन्होंने अपनी जरूरत के लिये ब्लैक मारकेट से भी गल्ला लिया। माननीय गेंदा सिंह जी में अदम्य उत्साह है, वे बड़े ही साहसी हैं। अगर वे एक साल पहले एजेक्जमेंट (बेदखली) के खिलाफ सत्याग्रह कर सकते थे, कानून मानने से इंकार कर सकते थे तो उनके जिस क्षेत्र में भूखमरी हो वहां के चोर बाजारी करने वाले दूकानदारों के खिलाफ भी सत्याग्रह करने से वे अपनी मानवीय भावनाओं को नहीं रोक सकते थे जिससे कि वे ब्लैक मारकेटिंग न करें।

मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई पार्टी का सवाल नहीं है। किसी भी जिले में यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो, कोई जिला मैजिस्ट्रेट या अधिकारी किसी अधिकारी का साहस नहीं हो सकता यदि कोई विरोधी आदमी भी इस तरह की राष्ट्र विरोधी हरकतों का विरोध करता है। मुझे तो यह कहने में लज्जा मालूम होती है कि जहां पर इतनी बड़ी पार्टी हो, वहां पर इतने बड़े पैमाने पर ब्लैक मारकेटिंग हो सकती हो।

आपने कहा कि जो तकावी दी गयी सरकार की तरफ से वह रुपया दस गुना वसूली में चला गया। पहले इस की जब जब भी चर्चा हुई है, समय समय सरकार ने कहा कि हम इस बात का सबूत चाहते हैं। तो किसी प्रकार का सबूत नहीं दिया गया। यह तो तर्क के खिलाफ है कि जहां पर समाजवादी लोग हैं, जहां पर जनता के नेता हैं उन सबके होते हुये सरकार दस गुना जबरदस्ती वसूल कर सकती है। यह कहना कि जितना जमींदारी अबालीशन फंड वसूल हुआ और उसमें जनता की क्रय शक्ति चली गयी। जैसे तीन साल पहले जो जनता के पास पैसा आया वह आजतक उनके पास एक रिजर्व में रह सकता था और आज इस अकाल के जमाने में वह करेंसी के अन्दर आ गया, यह तर्क शास्त्र के मामूली सिद्धांत के खिलाफ है। अगर उनके पास पैसा होता वह उस का प्रयोग कर सकते हैं शादी के अन्दर, उसका प्रयोग कर सकते हैं जेवर के अन्दर। यह कहना कि चूंकि दस गुना दिया इसलिये उन की क्रय शक्ति कम हो गयी है, गलत है।

आपने कहा कि सरकार ने दो करोड़ रुपया की सहायता दी है। लेकिन अगर आप माननीय मंत्री के बयान को पढ़ें तो कुल जितनी तकावी देंगे, वस्त्र मुफ्त देंगे यह तीन करोड़ ३१ लाख से ज्यादा आता है और जो अनाज गवर्नमेंट नुकसान उठा कर देती है उसकी कीमत को अगर और शामिल करें तो एक करोड़ २० लाख से अधिक वह होती है। इसके अतिरिक्त जहां भी इस प्रकार की दशा है वहां पर तरह तरह की योजनाओं द्वारा उस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सूबे में अमेरिकन एड में ६ सौ कुंयें बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह सही है कि पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गयी। लेकिन पूर्वी जिलों की उपेक्षा की जिम्मेदारी इस सरकार के कंधों पर नहीं लादी जा सकती। पूर्वी जिलों की उपेक्षा तो विदेशी शासन ने की

वास्तव में जब से यह सरकार आयी बराबर इस बात का प्रयत्न किया है कि पूर्वी जिलों की ज्यादा सहायता की जाय। और मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार से रीजनल बेसिस (प्रादेशिक आधार) पर पूर्व और पश्चिम की दृष्टि से गौर करना ज्यादा मुनासिब नहीं है हमारा ध्येय यह होना चाहिये चाहे पूर्व हो या बीच के जिले हों अगर वहां संकट है तो हम सब लोग मिल कर उसका सामना करेंगे।

अभी हमारे आजमगढ़ के एक मित्र ने कहा कि वहां पर ब्लैक मार्केटिंग है। और उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की साजिश है। मैं अभी पिछले महीने में २९, ३० तारीख को आजमगढ़ गया था। वहां मुझे पांडे जी से भी मुलाकात करने का मौका मिला था। वहां पर सब प्रतिनिधि मौजूद थे। जिलाधीश मौजूद थे। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर आजमगढ़ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता तो मैं कह सकता हूं कि सरकार का कोई कर्मचारी काम नहीं करता है। मैंने देखा उस का जो ढाई बजे रात तक काम करना। मैं कह सकता हूं कि जहां तक हम लोग गौर करते हैं वहां तक जिलाधीश का कार्य सराहनीय जंचता है। वहां मुझे कितनी ही दुकानें देखने का मौका मिला। वहां पर स्वयं पांडे जी ने जो प्रस्ताव पेश किया टेस्ट वर्क्स के लिये, उन्होंने उसको माना। तो इसके बाद भी यह कहना कि वहां का जिलाधीश ब्लैकमार्केटियर्स का समर्थन करता है, वहां अनाज ब्लैकमार्केट में बिकता है, मैं देवरिया और दूसरी जगहों के लिए नहीं कह सकता लेकिन आजमगढ़ के लिए मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि वहाँ पर जो योजना चल रही है उस से लोगों को संतोष है और लोगों को काफी सहायता पहुंची है। तो फिर जहां तक अब का सवाल है, तो अब तो हमको यह सोचना चाहिये कि यह वस्तुस्थिति है हम क्या करें? चन्द रोज हुये मैंने श्री गेंदा सिंह जी का वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि इतने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इस पोस्टमार्टम (मरणोत्तर परीक्षण) से क्या फायदा है हम आगे बढ़ें और जो भूखों मर रहे हैं उनको बचाने का प्रयत्न करें। लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि ज्यादा हमारी दृष्टि पोस्टमार्टम की तरफ होती है, ज्यादा हम इस तरफ कोशिश करते हैं कि लोग भूखों मर रहे हैं। कौन इंकार करता है कि लोग अन्न की कमी से दुखी हैं, लोगों के अन्दर शारीरिक ह्रास नहीं है, उनकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है? सरकार इस बात को मानती है और हम तो कहते हैं कि इस तरह का दुख है और उसको दूर करने का जो प्रयत्न किया जा सकता है वह किया जा रहा है। तो जिस तरीके से इस नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है, यह तो माना गया है कि जहां इतने बड़े आधार के ऊपर सहायता का कार्य शुरू किया जाय वहां गैर सरकारी प्रयत्नों की सहायता के बिना उसको सफल बनाना असम्भव मालूम पड़ता है। तो मैं तो समझता था कि सन् १९४७ में हमारे अन्दर झगड़ा हुआ। असेम्बलियां होती थीं। हमारा स्थान उन लोगों के बीच में था जहां इनसान से इनसान का सर टकराता था। तो आज पूर्वी जिलों की जैसी स्थिति है उन सब भाइयों का स्थान जिनको पीड़ित लोगों से मुहब्बत है, उनका स्थान असेम्बलियों में नहीं वहां पर है जहां पर पीड़ा का और मृत्यु का, जैसा कि वह कहते हैं, नंगा तांडव हो रहा है। मैं जानता हूं कि अगर वह उनके बीच में चन्द साहस के शब्द कहेंगे, उनको सान्त्वना देंगे और जिसको कहते हैं इंसपेक्टर, रेवेन्यू के कर्मचारी जिसके लिये माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि बंगाल फैमिन कमीशन की रिपोर्ट आई उसकी जिम्मेदारी उन आफिशियल्स पर थी तो जब आज भी आपके सामने घोषणा की गयी कि आज हमारी इस बात के लिये कोई हमदर्दी उनके साथ नहीं है क्योंकि जोकि आज जनता की मुसीबत के समय में मुनाफाखोरी करना चाहते हैं और जो मुसीबत में से धन कमाना चाहते हैं। कई ऐसे व्यक्तियों को बरखास्त किया गया है और जैसा मंत्री जी ने कहा पूर्वी जिलों में हम भी ८, १०, १५ रोज के लिये सब साथी मिल करके जाना चाहते हैं और मैं तो आप लोगों से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि आप भी चलिये और वहां चल करके हम लोग इस बात की कोशिश करें कि एक कोआपरेटिव स्पिरिट (सहयोग भावना) के अन्दर वहां काम शुरू किया जाय। तभी आप यह तय कर सकते हैं कि सरकार के खाते के अन्दर हम कितना इलजाम लगा सकते हैं। जब ऐसा

[श्री बनारसी दास]

प्रयत्न होगा तभी आप मानवीय दृष्टि से आप इस प्रश्न को हल करने में सफल होंगे। इसलिये पीड़ा और संकट के नाम पर, मानवता के नाम पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से लोगों के भविष्य को अन्धकारमय और निराशापूर्ण बनाने की कोशिश न की जाय और अगर आप इसको वार के फूटिंग पर लड़ना चाहते हैं तो इसको चुनाव के समय का दृष्टिकोण न रखकर, संकीर्ण दृष्टि न रखकर केवल मानवता के नाम पर सहयोग की भावना से सुझाव दीजिये। प्रयत्न कीजिये और आप देखेंगे कि सरकार इस प्रकार के प्रयत्न का स्वागत करेगी और अगर हम सब लोग मिल कर कोशिश करेंगे तो यह निराशा की चीजें नहीं है। बूंदें टपक रही हैं। आज वह इमारत बिल्कुल भस्मसात् हो गयी हो, धाराशायी हो गयी हो ऐसी बात नहीं अगर वह कहीं टपक रही है तो वह आज भी बन्द की जा सकती है। अगर कोई कमरा भी गिर गया हो तो हम अपने प्रयत्न से, साहस के साथ फिर उसको खड़ा कर सकते हैं और उसको संभाला जा सकता है। ऐसे अवसर पर अन्धकार की, निराशा की आवाज लगाना प्रश्न का हल नहीं है, स्थिति को बिगाड़ना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे माननीय भाई बनारसी दास जी ने मेरा नाम लेकर कहा है, कि वह जिला मैजिस्ट्रेट को कहते हैं कि वह चोरबाजारी करते हैं। मैं बनारसी दास जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह तो देवरिया जिले के विंदेश्वरी प्रसाद के लिये कहा था। आजमगढ़ के लिये तो यह कहा था कि ट्रक जो सरकार की ओर से रखे गये हैं वह ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं प्राइवेट ट्रकों के मुकाबले में।

श्री केशव पाडेय (जिला गोरखपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, तथा सदन के सभी माननीय सदस्यगण।

उपाध्यक्ष--आप को केवल 'उपाध्यक्ष' ही कहना चाहिये।

श्री केशव पाण्डेय--मैं इसलिये सम्बोधन करना चाहता था कि जिस पूर्वी जिले की खाद्य स्थिति के बारे में डिबेट हो रहा है उसमें सब लोगों की दिलचस्पी है और उस जिले के संबंध में मैं केवल दो तीन शब्दों में यदि निवेदन करूंगा कि वह कोरिया न बनाया जाय। इसी लिये मैंने सब का सम्बोधन कर दिया है। अगर वह अवैधानिक हो तो मैं उसे वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष--आप सदस्यों को सम्बोधन नहीं कर सकते।

श्री केशव पाण्डेय--मैंने जो अधिक शब्द कह दिये थे उनको मैंने वापस ले लिया। विशेष तरीके से जो आप ने मुझे आज खाद्य-स्थिति पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मुझे आप को धन्यवाद देना आवश्यक है। पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति जितनी खराब है उतने की चर्चा कर दी गयी है। अब उसके बारे में कुछ विशेष कहना नहीं है लेकिन मैं अपने लाल टोपी वाले भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वे कागजों में सारी चीजों को आगे आगे दिखलाते रहते हैं, उसी प्रकार वे जमीन पर कहीं नहीं दिखलाते हैं और उसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। जब भूचाल आता था, जब कहीं बाढ़ आती थी या जब कहीं कोई इसी प्रकार की घटना होती थी जहां मानव सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, वहां सब लोग जाते थे और सब लोग वहां पहुंच करके उनके उपचार के जितने साधन हो सकते थे उनको करते थे। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और मैंने वहां के उस उत्तरी क्षेत्र को देखा है जहां के संबंध में सक्सेना जी के स्टेटमेंट का समर्थन करते हुये यह कह दिया गया कि उधर के सारे आदमी मर गये। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आदमी वहां मरते हैं और सारी दुनिया में आदमी मरते हैं। कोई अमर होकर नहीं आया है। कुछ बीमारी से मर जाते हैं कुछ दूसरी बातों से मरते हैं लेकिन मरते सब हैं। उन सब को लिस्ट बना करके यह कह देना

कि सारे के सारे आदमी भूख से मर गये हैं यह बात अनुचित है और ग़लत है। मैं कह देना चाहता हूं कि इसके पीछे सोशलिस्ट भाइयों की राजनीतिक चाल है। मैं इस बात को भी बताना जरूरी समझता हूं कि सेक्सेना जी ऐसे आदमी हैं कि उन्होंने जब मौका देखा है तब ऐसा काम किया है। आप लोगों को मालूम होगा कि सहजनवा के जूट मिल में उन्होंने सवा सौ आदमियों का अनशन करवा दिया था गोकि बाद में उसका कोई नतीजा नहीं निकला। यह भी आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार उन्होंने वहां की चीनी मिलों में हड़ताल करवा दी थी। इस प्रकार वे हमेशा ऐसे कार्य करते रहे हैं। वहां खाद्य-स्थिति की जितनी परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों को हम लोगों ने सरकार के सामने रखा और सरकार अपना क़दम बढ़ा करके वहां के लोगों के साथ सहयोग भी करना चाहती थी लेकिन एक बावैला खड़ा करके और एक आतंक पैदा करके जो यह कह दिया जाता है कि वहां के सब लोग अकाल के गाल में पड़े हुये हैं इसका नतीजा यह निकलने वाला है कि वहां का अन्न का भाव और महंगा हो। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो काम वहां हो रहा है क्या उसे अधूरा छोड़ दिया जाय? जितना लाल टोपी के भाई हम को या सरकार को या दूसरे लोगों को उकसाते हैं या ललकारते हैं उतना यदि वे वहां जा करके वहां की स्थिति संभालने में सहयोग देते और वहां के लोगों के लिये अनाज लाते तो अधिक अच्छा होता। इसके साथ साथ वे सक्सेना जी से कहते कि आप अपना अनशन न करके पहले वहां चलिये जहां ऐसी परिस्थिति है और वहां आप सहयोग का काम कीजिये। सक्सेना जी के गण, जिन का तांता वहां से यहां तक लगा है, वे गलत तरीके से स्टेटमेंट दे करके वहां की वस्तुस्थिति को कुछ दूसरे तरीके से रखना चाहते हैं।

उनकी ओर से यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार स्थिति को छिपा रही है लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज खाद्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें परदा डालने की कोई बात नहीं कही है। वहां पर ग़रीबी है लोगों की क्रय शक्ति गिर गयी है, सरकार ने इसको छिपाया नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वहां की खाद्य-स्थिति को देख करके आवश्यकता यह थी कि सभी आदमी सहयोग करने बैठते न कि केवल काग़ज़ों में यह आलोचना करते कि सरकार ने कार्य शुरू करने में बिलम्ब किया। मैं इस संबंध में यह कह देना चाहता हूं सरकार से और सभी भाइयों से कि हमारे यहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने ज़रूर ठीक समय से सरकार को सूचना नहीं दी। इसको हम लोगों ने बहुत पहले कहा था कि हमारे यहां की खाद्य-स्थिति बिगड़ती जा रही है और फरेंदा और महराजगंज में जहां पर धान की फस्ल होती है अगर पहले से अन्न नहीं पहुंचाया गया तो वहां की हालत बहुत दयनीय हो जायगी सरकार को इसकी खबर वहां के कर्मचारियों ने बहुत देर में दी। इधर थोड़ा बहुत पानी पड़ जाने से जो वहां टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं उनमें भी असफलता हो रही है और बीज भी देर से पहुंचने के कारण कुछ बोया नहीं जा सका और रह गया।

जहां तक दूसरे प्रश्नों का सवाल है खाद्य मंत्री जी ने वहां पर डिप्टी मिनिस्टर्स को तथा और सरकारी अफ़सरों को भेज कर इन कामों का निरीक्षण करने का कार्य अपने हाथ में उठाया है। उसमें मैं चाहूंगा कि अन्य लोग जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वे वहां समय-समय पर पहुंच करके सहयोग दें। अभी दो, एक दिन के भीतर हमें यह खबर मिली है कि वहां अन्न की जितनी दुकानें थीं उससे कुछ और अधिक बढ़ा दी गयी हैं और जहां पर टेस्ट वर्क्स शुरू हुये हैं वहां उन लोगों से कहा जाता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके काम को पूरा करने की कोशिश करो। मुझे अपने विपक्षी दल के भाइयों से यह कहना है कि वहां जो संकट की स्थिति है उसको कोई छिपाता नहीं है लेकिन चाहिये यह कि हम उनको जाती सहायता दें तथा उनको ढारस दें कि ऐसे संकट आया करते हैं।

गोरखपुर के बारे में तो उनको पहले ही मालूम हुआ होगा कि दूर दूर के लोग मजदूरी के लिये जाते हैं। बांस गांव से धान की मजदूरी के लिये लोग जाते हैं। अब यह कह देना कि केवल अकाल के कारण ही चले गये हैं। तो यह वस्तुस्थिति को बढ़ाना है। इसी प्रकार से

[श्री केशव पाण्डेय]

मैं समझता हूं कि हर जगह जहां धान की फ़स्ल ही मुख्य फस्ल होती है वहां सावन के महीने में कमी आ जाती है। फिर हमारे उन जिलों में जहां तीन वर्षों से वर्षा ही नहीं हुई वहां अकाल का दृश्य न होता तो और क्या होता ? जो दो चार लड़के बाहर ला कर बैठाये गये हैं उनको देख कर अगर कोई भी भाई हंसता है तो यह बुरी बात है। यह ठीक है कि उनकी दशा बहुत खराब है परन्तु इस प्रकार के लोग तो जहां पर खाने पीने को काफी है वहां भी मिलते हैं। तो यहां पर उनको ला कर प्रदर्शन कर देना और यह कह देना कि अकाल का एक नग्न चित्र यहां ला कर रख दिया गया है और जो यहां पर आंखें बन्द कर के बैठे हैं वे देखें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार ने इस बात को छिपाया नहीं है और न वह छिपाना चाहती है। लेकिन जो केवल लम्बे स्टेटमेंट दे कर या अखबारों में फ़ोटो निकाल कर अकाल का आतंक पैदा करना चाहते हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि यह तो कोरिया के युद्ध के समान होगा। इसलिये इस चीज को आप लोग राजनीतिक दृष्टि से न देखें। आदरणीय सक्सेना जी हमारे इस जिले के एक बहुत ही सुविख्यात और बहादुर सैनिक हैं लेकिन यह लड़ाई का तरीक़ा ठीक नहीं है। हर शख्स जानता है कि सक्सेना जी ने हमेशा विपरीत दिशा की ओर गोली दागी है महाराजगंज और फरेंदा में उन्होंने किसानों से जमीन वापसी का आन्दोलन कांग्रेस मिनिस्ट्री के रहते हुये चलवाया था। जिसके फलस्वरूप तमाम किसान अदालतों में जाकर मुक़द्दमे दायर कर आये थे। नतीजा यह हुआ है कि एक भी काश्तकार ठीक तरह से सफल नहीं हो सका। इसके अलावा पिछले समय में जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तो वहां लोगों से कहा जो कांग्रेस के चवन्निया मेम्बर भी थे कि तुम लोग दरख्वास्त दो तुम सबको जमीन और तकाबी मिलेगी। एक सफ़ेद कागज पर सबके दस्तखत करा लिये और बाद में एक मजमून बना कर प्रेस को दे दिया कि २१ हजार आदमियों ने कांग्रेस से हमारे साथ इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार बढ़ा चढ़ा कर स्टेटमेंट सक्सेना जी दिया करते हैं और थोड़ी सी स्थिति को इतना बढ़ा देते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। जो कार्यकर्त्ता उनसे हमदर्दी रखते हैं या उनके सम्पर्क में रहते हैं वह जानते होंगे कि कभी भी उनके साथ कदम नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि बहुत से भाई जो इधर बठे हैं, उधर भी बठे हैं और बाहर भी बठे होंगे, जो जानते हैं कि सक्सेना जी के साथ ठीक तरह से कदम नहीं मिलता है। यह सब होते हुये भी हम तो अतिशियोक्ति का ही खंडन करते हैं। वह स्थिति को अधिक बढ़ाकर कहते हैं और सरकार के ऊपर दोषारोपण करना या सरकारी और गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं के ऊपर दोषारोपण करना गलत चीज है कि हम वस्तु स्थिति को छिपाते हैं। सरकार से आज भी कहा जा रहा है कि हमारी सहायता कीजिये, तकावी दीजिये, राशनिंग की दुकानें बढ़ाइये और जो रेल का डिब्बा जाता है उसको एक ही जगह पर अनलोड (सामान उतारना) न कीजिये बल्कि सब जगह अन्न पहुंचाइय, आज चारों तहसीलों में अकाल की हालत और एक सी ही हालत है। वहां पर सब टेस्ट वर्क्स शुरू किये जायं।

जो अधिकारी वहां पर गये थे, अभी हमारे श्री चरण सिंह जी गये थे, वहां हमारे काम में देर हुई, नुक्सान हुआ था या ब्लैक मारकेटिंग हुआ था, वह सारी चीजों को उनको बतलाया गया था। उन्होंने इन चीजों को दूर करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। और मैं समझता हूं कि वहां काम ठीक तरह से हो रहा है। मैं तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस समय वह हमारे साथ चलें और हमारे काम में जहां असुविधा होती हो वहां वह हमारा सहयोग दें, साथ दें न कि यह करें कि अखबारों में स्टेटमेंट देकर आतंक पैदा करें और परेशान करें। ठीक नहीं है।

दूसरी बात हमारे मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने कही। वह हमारे बड़े शुभचिंतक हैं और उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। उन्होंने सत्याग्रह के संबंध में कहा था कि वह सत्याग्रह करने के लिये आज भी तैयार थे। लेकिन हम तो यह कहेंगे कि वह अपनी सत्याग्रह की शक्ति को जैसा कि वह कहा करते हैं कि देश में ब्लैक मारकेटिंग बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, उसकी तरफ लगायें तो हम उनको अपना सहयोग देंगे। मैं समझता हूं कि यदि वह ऐसा

करते तो १७ के बजाय कई आदमी यहां आगये होते। लेकिन जो कदम नहीं उठाना चाहिये उसे उठाने में कोई विशेष लाभ नहीं है। अब लाल बत्ती जल गई ह जिस लाल टोपी वाले भाइयों को विशेष प्रेम है अगर मैं अधिक कहूं तो उन्हें ऐतराज होगा। इसलिये अब मैं चलता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (ज़िला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना जाहता हूं कि किस का दोष है किस का नहीं है। इस समय सदन के सामने प्रश्न केवल यह है कि यह भुखमरी हो रही है इसमें क्या करना चाहिये और कैसे उसका निवारण हो। यह कि कोई इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाय और तीन आदमी मुकर्रर किये जायं वहां जायं और दरियाफ्त करें कि कौन मरा कौन नहीं मरा। इस से तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो यह कहूंगा कि इसकी बजाय एक रिलीफ कमेटी बनाई जाय और माननीय सदस्य खुद भी अपना चंदा दें, तो बहुत उत्तम होगा और जैसा कहा जाता है कि तन मन धन से और मनसा वाचा कर्मणा से आप यह काम करने के लिये तैयार हों।

हमारे यहां हर चीज की बहुत अच्छी सुविधा बतलाई गई है और हम पुराने तरीकों पर चलते नहीं हैं। पुराने तरीकों पर चलने से मेरा मतलब यह है कि अगर दो बातें होतीं यानी एक तो वर्षाऋतु होती और दूसरे इतनी तादाद में पेड़ न कटते, इन चीजों को रोकने के लिये हमारी सरकार ने प्राइवेट फारेस्ट्स प्रीजर्वेशन ऐक्ट पास कर दिया है। और कोशिश की है कि पेड़ न कटें। लेकिन आज जनता क्या कर रही है हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे राइट्स (अधिकार) और प्रिविलेजेज (सुविधाएं) बढ़ जायं।. परन्तु हमारी जो ड्यूटीज़ ऐंड रिस्पांसिबिलिटीज़ (उत्तरदायित्व) हैं उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते। सरकार से भी मैं यह कह देना चाहता हूं कि वह भी अपनी ड्यूटीज़ को जिस तरह से पूरा करना चाहिये पूरा नहीं करती। लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सारा दोषारोपण सरकार पर ही है, वह हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं। इस लिये मेरा यह सुझाव है। जैसा कि गीता में कहा है, उसी का मैं यहां आश्रय लेता हूं।

"योगः कर्मसु कौशलम्।" (कार्य दक्षता का ही नाम योग है।)

अन्न की जो कमी है इस मसले पर भी गीता में भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश दिया है :

"यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो, मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः।
भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्।।
अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्त संभव :
यज्ञाभ्रवार्त पर्जन्या, यज्ञः कर्म समुद्भवः।।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।।
एवं प्रवर्तितं चक्रं, नानुवर्तयतीहयः।
अधायुरिन्द्रिया रामो मोघं, सजीवनि।पार्थ

इनमें से दूसरे श्लोक का अर्थ यह है कि अन्न से ही प्राणी जीता है, वर्षा से अन्न होता है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, और शुभ कर्मों के करने के नाते यज्ञ करने का मौका मिलता है। हंसने की बात नहीं है, मगर आप वाक़ई सोचिये कि आपका जो कर्तव्य है उसे आप वास्तव में पालन करते हैं या नहीं। दूसरे में ऐब निकालना बहुत सरल होता है, परन्तु हम क्या कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिये इसके ऊपर तनिक भी हम ध्यान नहीं देते। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब हम उसके ऊपर दोषारोपण किया करते थे, अब तो हम ही लोगों की सरकार है, हम ही को सब करना धरना है तो हम अपनी

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज को कहां तक पूरा करते हैं इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये। म यह प्रार्थना करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि वह जल्दी से जल्दी एक रिलीफ कमेटी बना दें और वह स्वयं दौरा शुरू कर दें।

ब्लैक मार्केट की जो बात कही गई इसमें कोई शक नहीं कि ब्लैक मार्केट हो रहा है। ऐसे शुभ कामों में भी जो काम कर रहे हैं, वह भूखमरों के पैसे से भी कुछ पैसा बना लेते हैं। दस आदमी काम कर रहे हैं तो १५ आदमियों की हाजरी लिख दी तो इसका दोष क्या हम मंत्री महोदय पर डाल दें? यह तो बहुत ग़लत होगा। हम लोग वहां मुकामी आदमी ह। जिले के हाकिमों से बातचीत करके हम ऐसे आदमियों को निकलवा दें, न कि यहां पर आकर मंत्री जी पर दोषारोपण करें और मंत्री जी को भी चाहिये कि नई नई मोटरें। वायुयान पर चलना छोड़ कर मौके पर जाकर परिस्थिति का निरीक्षण करें। १ जुलाई को जमींदारी खत्म होने से अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पहले जमींदार राजा था, उसकी जिम्मेदारी होती थी लेकिन अब जमींदारी खत्म होने से सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे सुझावों पर सरकार विचार करे।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, आज यह बात सही है कि पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति गम्भीर हो चुकी है लेकिन जिस तरह से हमारे विरोधी दल के भाई प्रोपेगेंडा (प्रचार) कर रहे हैं या उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं वह तथ्य से परे है। जिस सत्याग्रह का उन्होंने जिक्र किया वह आज से दो वर्ष पहले किया गया था। वह सही माने में देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में जब ओला पड़ा था। वह एरिया १६ मील लम्बा है उसमें कुछ हानि हुई थी। उस समय माननीय खाद्य मंत्री और चरण सिंह जी वहां पर सलेमपुर की वास्तविक स्थिति को देखने के लिये गये थे। वह सत्याग्रह केवल राजनैतिक वजह से किया गया था। जब उनको सलेमपुर में सत्याग्रह करने के लिये आदमी नहीं मिले तो पडरौना ५० मील के फासले से आदमी इसके लिये लाये थे। और फिर भी जब सत्याग्रह नहीं चला तो उसको बन्द किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बात वहां पर है उसको हम भी मानते हैं और हमारे मंत्री जी भी मानते हैं। लेकिन इस बात को गम्भीर रूप देकर कि वहां पर अकाल पड़ा है कोई लाभ जनता का नहीं हो सकता है। इससे वहां के बनिया लोग अनाज मंगा कर नाजायज फायदा उठावेंगे। अगर वे सही माने में मदद करना चाहते हैं तो सरकार को सहयोग दें या कोई कमेटी बनाई जाय तो जनता का सहयोग प्राप्त करे और चन्दा भी लोगों से ले और जितनी भी संस्थायें हैं उन सब से सहयोग लिया जाय चाहे वह राजनीतिक संस्था हो या कोई धार्मिक संस्था हो। जो ईमानदार आदमी हों उनका सहयोग उसमें जरूर लिया जाय और तब वह उसमें काम करें तो बहुत लाभ हो सकता है।

मैं सरकार से २, ३ बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह है कि जिसने अपने बैल वग़ैरा बेंच कर अपनी खाद्य-स्थिति को सम्भाला है उनको तकावी उदारता-पूर्ण दी जाय। सरकार ने उनको तकावी दी है लेकिन और तकवी उनको दी जाय। साथ ही जो अपाहिज लोग हैं उनको भी रुपया देने की आवश्यकता है। भिखमंगों की हालत और भी खराब हो गई है। उनकी ओर भी ध्यान दिया जाय।

जिस तरह के आदमी यहां पर प्रदर्शन के लिये लाये गये हैं इस तरह के आदमी संसार के हर कोने में मिल सकते हैं और लाकर दिखाये जा सकते हैं। लखनऊ में तो अकाल नहीं पड़ा है लेकिन अगर इजाजत हो तो मैं लखनऊ से भी इस तरह के आदमी लाकर दिखा सकता हूं। हर जगह पर संसार में इस तरह के आदमी होते

हैं जो दुःखी होते हैं और बीमार होते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि पूर्वी जिलों की खाद्य-स्थिति गम्भीर है, शोचनीय है लेकिन अखबारों में बढ़ावा देने से या इस सदन में आकर बहुत बहस मुबाहसा करने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसको हल करने का उपाय तो यही है कि वहां चल कर इस बात को देखा जाय कि जो गल्ला वहां पर वितरण हो रहा है वह सही तरीके पर भी हो रहा है या नहीं। उसके अधिकारी किसी तरह से उसमें गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। जो रुपया अपाहिजों के लिये दिया जाता है वह ठीक रूप से दिया जा रहा है या नहीं। इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है। हर संस्था के आदमी का कर्तव्य है कि वहां पर पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार या हाकिम परगना जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और वहां पर काम कर रहे हैं वह अपना काम सही ढंग पर भी कर रहे हैं। यह सब बातें देखने की हैं। वहां पर स्थिति गम्भीर है हम सब इस बात को मानते हैं। अब वर्षा हो जाने से स्थिति उतनी गम्भीर भी नहीं रह गई है। केवल एक महीने का प्रश्न है। जो मरने वाले हैं वह तो मरेंगे ही और जितने पैदा हुये हैं वह सब ही मरेंगे लेकिन यह कहना कि अन्नाभाव के कारण वहां पर मृत्यु हुई हैं वह बिल्कुल असत्य है। वह दूसरे रोगों से मर रहे हैं। जो सब जगह पर मरते हैं।

गलत प्रोपेगेन्डा करने के लिये ही शिब्बनलाल जी अनशन कर रहे हैं। हां बात यह है कि जब बाहर से गाड़ी के जरिये से अन्न के आने में देर होती है तो कुछ देर हो जाती है और किसी समय लोगों को अन्न नहीं मिलता लेकिन मिल जरूर जाता है। वहां कष्ट है अन्न की कमी है इससे कोई इनकार नहीं करता है लेकिन अन्नाभाव से कोई मृत्यु नहीं हुई है। बस मुझे इतना ही कहना था कि आप लोग सहयोग दें, वहां की स्थिति को सम्भालें, वहां के लिये चन्दा इकट्ठा करें और वहां की देखभाल करें जिससे लोग नाजायज फायदा उससे न उठाने पायें। जय हिन्द।

बैठक के कार्यकाल में वृद्धि

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मेरा यह प्रस्ताव है कि सदन का समय २ घंटा बढ़ा दिया जाय।

उपाध्यक्ष—क्या सदन चाहता है कि एक घन्टा अधिक बैठा जाय?

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—मुझे इस समय व्याख्यान नहीं देना है मुझे एक घंटा बढ़ा लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

[सदन की अनुमति से कार्यकाल में एक घंटा की वृद्धि की गई।]

राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, माईक्रोफोन वर्क (काम) नहीं कर रहा है जब तक यह वर्क नहीं कर रहा है उस वक्त तक कोई ऐसे सदस्य बोलें तो अच्छा होगा जिनकी आवाज बुलन्द हो।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैंने बड़े ध्यान से विरोधी पक्ष के लोगों के बयान को सुना और उनके बयान पर बड़े आदर के साथ विचार करता रहा। ठीक बात हो तो उसे एक्सेप्ट (स्वीकार) करें लेकिन डिप्टी स्पीकर महोदय, आपके व्याख्यान में कोई नई बात नहीं है। (हंसी)।

अच्छा हुआ हमारे मित्रों ने थोड़ा सा हंस लिया लेकिन अगर इतना भी फालो न कर सकें (समझ न सकें) कि मेरा आप कहने का मतलब विरोधी वृन्द से है तो बड़े

[श्री सीताराम शुक्ल]

ताज्जुबकी बात है। मैंने दो एक खास बातें आज देखीं और सुनीं। एक तो यह कि गरीब बच्चों को लाकर यहां प्रदर्शन किया गया और दूसरे यह कि श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने अनशन कर दिया है इसलिये कि पूर्वी जिलों में गरीबी बहुत बढ़ गई है। जनाबवाला, मैं अर्ज करूंगा कि पूर्वी जिले तो पहले से ही ग़रीब हैं और पहले ही से उनकी हालत खराब है। मैं आपके सामने सन् ३८ की प्रोसीडिंग से कुछ पढ़ कर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने स्वयं अप्रैल सन् ३८ में प्रोसीडिंग में कहा है कि "स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान उन देहातियों की तरफ आकर्षित करता हूं जो इस चैत के महीने में भी जब कि अभी अभी नई फस्ल कटी है मगर उनके लिये खाने को कुछ नहीं है। इसलिये गोबर में से गेहूं निकाल कर किसान भाई खाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जाय कि जानवर के पाखाने में से गल्ला निकाल कर आदमी खाते हैं तो ग़लत नहीं होगा।" यह चीज पुरानी चली आ रही है। पूर्वी जिलों की यही बुरी हालत अंग्रेजी जमाने से चली आ रही है अंग्रेज निकाल कर बाहर कर दिये गये ताकि सबको भरपेट खाना और पहिनने को कपड़ा मिले। अब अंग्रेज चला गया है। सुधार होना बाकी है लेकिन अभी सुधार होने में वक्त लगेगा। हमारे दोस्तों ने गरीबी की तरफ अटेन्शन ड्रा की है। मैं कबूल कर चुका हूं कि वहां पर गरीबी जरूर है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।

आपने यहां ग़रीब बच्चों को बुलाया प्रदर्शन के लिये। मैं अर्ज करूंगा कि आपने बुलाया बड़ा अच्छा किया लेकिन जनाब वाला, आपने उन भूखे ग़रीबों के खाने पीने की भी खबर ली? कम से कम कुछ मिठाई वग़ैरा खिला कर पानी तो पिला दिया होता। लेकिन आपने कुछ खबर नहीं ली एक कांग्रेसी स्वयंसेवक ने तो उनको कुछ खिलाया वर्ना बेचारे भूखे ही रह जाते। रही शिब्बनलाल जी सक्सेना की बात। मैं अर्ज करता हूं अपने सोशलिस्ट भाइयों से कि जरा उनसे दोस्ती सोच समझकर जोड़ें। क्योंकि उन्हें शीघ्र लीडरी चाहिये और नेतृत्व बिना योग्यता के नहीं मिलती किन्तु योग्यता पैदा करने में समय लगता है इसलिये जल्दबाज लोग ऊधम मचाने लगते हैं किसी कवि के शब्दों में "घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासभरोहणं। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्॥ अर्थात् घड़ा फोड़ना कपड़ा फाड़ना गधे पर चढ़ के चलना किसी न किसी तरह मशहूर हों उसी दृष्टिकोण से आज कल लोग दूसरों की निन्दा, हड़ताल, अनशन करते रहते हैं फिर चाहे इस हरकत से किसानों और मजदूरों का नुकसान हो क्यों न हो मगर ग़ैर-जिम्मेदारी का काम जारी रखते हैं। जिस कांग्रेस ने उन्हें साधारण आदमी से बड़ा आदमी बनाया वह खुद उसी कांग्रेस से लड़ पड़े। उन्होंने कांग्रेस से और गांधी जी से ही विद्रोह किया तो यह वाजेह रहे कि आपकी भी उनसे दोस्ती बहुत दिन नहीं चलेगी। इसलिये उनसे दोस्ती जरा सोच समझकर कीजियेगा।

मैं मानता हूं कि पूर्वी जिलों में दिक्कतें है लेकिन सरकार ने वहां चीजें भेजी भी हैं। आप कहते हैं कि जांच पड़ताल होनी चाहिये। जांच पड़ताल तो वहां की जाती है जहां कोई गया न हो और जहां की बाबत कुछ मालूम नहीं हो। मगर यहां तो हमारे माननीय माल मंत्री, माननीय खाद्य मंत्री और दूसरे मंत्री हो आये हैं तब किस बात की जांच की जाय। हमारे माननीय भाई गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमारे माल मंत्री जी जब गये थे तो उनकी आंखों में आंसू आगये उन लोगों की ग़रीबी देख कर। फिर भी आप कहते हैं कि जांच की जाय, और पूर्वी जिलों के लिये कुछ हो ही नहीं रहा है। बजट आपके सामने है। जिस आइटम को आप कहें, वह काट कर वहां भेज दिया जाय। हमारे माननीय मंत्री वृन्द ने कहा है कि वहां रुपया अधिक से अधिक भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से अर्ज करूंगा कि वे सरकार का इस कार्य में पूरा पूरा सहयोग दें। प्रोपेगेंडा करने से काम आगे चलनेवाला नहीं है। अखबारों में अपना नाम निकलने ही से काम नहीं चल सकता।

काम तो वहां गल्ला पहुंचाने से चलता है। बहुत से लोग लीडरी के लिये जल्दी बहुत करते हैं और गिर पड़ते हैं किन्तु समझदार लोग धीरे धीरे चलते हैं और आगे पहुंच जाते हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी पी० सी० सी० के अन्दर पीछे बैठते थे लेकिन एक ही स्पीच के बाद उन्हें आगे स्थान दिया गया। हमारे माननीय गुप्ता जी और दूसरे माननीय मंत्री वृन्द सब पीछे बैठा करते थे और आज आगे आ गये हैं। उन्होंने झगड़ा नहीं किया, हल्ला नहीं मचाया। लेकिन—

तल्बे आशिके सादिक में असर होता है,
गो जरा देर में होता है, मगर होता है।

को चरितार्थ किया। अर्थात् थोड़ी देरी लगी मगर सफलता मिल गई। मैं अपने प्रतिपक्षी भाइयों से कहूंगा कि यदि लीडरी की इच्छा है तो जनता की सच्ची सेवा करें। कांग्रेस सरकार यदि नहीं कर रही है तो आप लोग स्वयं कीजिये, चन्दा इकट्ठा कीजिये और ग़रीबों में गल्ला बांटिये जैसे कि ब्रिटिश सरकार के ज़माने में भूकम्प, अथवा बाढ़ आने या सूखा आदि पड़ने पर कांग्रेस करती थी। मैं मानता हूं कि जितनी चीज़ सरकार ने पहुंचानी चाहीं वह वहां सारी की सारी नहीं पहुंचीं। कुछ रिश्वत खोर इन्सपेक्टर और कुछ मुनाफाखोर वैश्यों ने खा लिया। लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी याद रखिये कि अनेक जिम्मेदार अफसरान ने बड़ा काम भी किया है। माननीय मालमंत्री जी के साथ मैं अपने क्षेत्र हरैया दक्षिण-पश्चिम जा रहा था तो बस्ती के डी० एम० श्री रामकिंकर सिंह जी भी साथ थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी पानी कब बरसेगा। मैंने हंस कर कहा कि कुछ दक्षिणा दीजिए तब बताऊंगा। इस पर उन्होंने कहा कि जरूर देंगे तो मैंने कहा कि अवश्य बरसेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक डी० एम० को आज उतनी फिक्र है जो कि एक किसान को होनी चाहिये या होती है। किसान की परेशानी आज एक डी० एम० अपनी परेशानी समझते हैं। मगर मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता। उक्त बातें सब अफसरों की नहीं हैं। अपने पद का दुरुपयोग करने वाले लोग भी हैं। इनकी लापरवाही दूर करने का रास्ता यह है कि मंत्री वृन्द अपना रूप बदल कर जायें और किसी दूकानदार को यदि ग़लती करते हुये पकड़ लें तो सज़ा ऊंचे अफसरों को भी होनी जाहिये। डी० एम० भी शक्ल बदल कर जायं और देखें कि कौन ग़लती कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके गुप्तचर अफसरों पर भी निगाह रखें इस तरह से अगर कुछ लोगों को कुछ कष्ट भी हो जाय, तो उसकी उपेक्षा की जाय, इससे सारी रिश्वत चली जायगी। फलस्वरूप वह दिन दूर न होगा जब स्वराज्य की तरह यहां सुधार भी आपका हो जायगा।

श्री झारखंडे राय (ज़िला आज़मगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी का वक्तव्य मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको सुनने की भी कोशिश की तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि सचमुच जो उसमें लिखा हुआ है वही सही है। और फरेंदा तहसील में तथा पूर्वी यू० पी० के दूसरे ज़िलों में पूरी तौर से अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह चश्मा आंखों से उतर गया और जो कुछ स्वयं अपनी आंखों से फरेंदा तहसील में देखा था, वह सामने आ गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत ९ और १० अगस्त को मैंने १२५ मील का दौरा फरेंदा में किया और एक दिन में २० मील पैदल भी चला। वहां जाकर जो हाल मैंने देखा वह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। यों पुस्तकों से या वक्तव्यों से बंगाल के अकाल की गाथायें मैंने जेल में पढ़ी थीं। यह अंग्रेजी सरकार का जमाना था, जेल में ही मैंने १९ वीं सदी के कंपनी के राज्य में भुखमरी की बात भी पढ़ी थी लेकिन जो दृश्य मैंने अपने जीवन में उस तहसील के कुछ गांवों में देखा, वह मैं भूल नहीं सकता। उसके दृश्य जब मेरे सामने आते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी का वह कथन भी याद आ जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि आंकड़े ग़लत हो सकते हैं लेकिन

[श्री झारखंडे राय]

आंखों देखी बात ग़लत नहीं हो सकती। आज आंकड़ों के घटाटोप में असलियत को छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूं कि यह कोशिश एक दिन बेकार हो जायगी और असलियत परदा फाड़ कर सूरज की भांति आगे आ जायगी और तब मजबूर होकर आपको उसे मानना होगा। अभी तक सरकार की ओर से यह बात मानी नहीं जाती थी कि वहां की हालत खराब है लेकिन आज वे यह मानने लगे हैं कि वहां स्केअरसिटी है, अक्यूट स्केअरसिटी है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया। जब पिछली बार यहां गत १९ मई को बैठक हुई थी तब मैं फैजाबाद जेल में था और मैंने पढ़ा कि यू० पी० के पूर्वी जिलों की जो हालत हो रही थी उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया उस समय मैं सोचता था कि सरकार उस पर कोई कार्यवाही करेगी। लेकिन जब हालत बद से बदतर हो गई, ऐसी हो गई कि छिपाये नहीं छिप सकती तब कहा जाता है कि अक्यूट स्केअरसिटी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि सरकारी बेंचों की ओर से यह क्यों बार बार कहा जाता है कि हालत तो वहां की खराब है लेकिन एक भी मौत नहीं हुई। जब कि बाबा राघव दास और हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे आदमी जो कि कोई विरोधी बेंच की तरफ के नहीं हैं और जो कोई खतरनाक सिद्धन्त के मानने वाले भी नहीं हैं, उनके बयानात भी अखबारों में निकले। बीसों आदमी जो अखबारों से संबंधित हैं, जिनमें पत्रिका के सम्वाददाता श्री जोगलेकर जी भी हैं नेशनल हेराल्ड और दूसरे पत्रों के लोग भी वहां गये और वहां की हालत को अपनी आंखों से देख कर बयान दिये, लेख लिखे फिर भी सारी बात झूठी हो ही गयी। सिर्फ एक बात सही है कि आज तक एक आदमी भी भूख से मरा नहीं है। मुझे नहीं मालूम होता है कि सरकार इस बात पर क्यों तुली हुई है कि वह इस बात को नहीं ही मानेगी कि वहां भूख से कोई मरा भी हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लम्बा हाथ तो नहीं छिपा है जो कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के मुंह को सच्ची बात कहने से रोके हुये हैं? कहीं वाशिंगटन की वाल स्ट्रीट तो यहां नहीं काम कर रही है जो असलियत कहने से रोके रही है? सचमुच आज पूर्वी जिलों की हालत बहुत खराब है। खास कर महाराजगंज और फरेंदा तहसील में तो बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। मैं खुद २७ गांवों में गया हूं और मैंने उन घरों में जाकर पूछा, उन घरों की तलाशी ली उनके पास अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। मैं तो आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। अपनी कंस्टीटुएंसी के लिये तो मैं नहीं कहता कि वहां के लोग भूखों मर रहे हैं मैंने दो दिन तक कंस्टीटुएंसी का दौरा किया लेकिन वहां के लोगों ने बतलाया कि वहां भूख से अभी तक कोई नहीं मरा है लेकिन साथ ही साथ यह जरूर कहा कि अगर यही हालत रही तो एकाध महीने बाद लोग भूखों मरने लगेंगे। मैं अपनी कंस्टीटुएंसी को उन जातियों से मिला जो समाज में खेतिहर मजदूर और गरीब किसान तबका कहा जाता है, मैं हरिजनों के घरों में भी गया, और उन लोगों ने यही बतलाया कि यहां की हालत खराब होती जा रही है। लेकिन अभी तक भूख से यहां कोई नहीं मरा है। मैं जिस कंस्टीटुएंसी से चुन कर आया हूं वहां के लिये तो मैं कुछ नहीं कहता हूं लेकिन आज फरेंदा में सचमुच लोग मर रहे हैं। मैं शिब्बन लाल जी के इस दावे को झूठ मानता हूं कि सब जगह मिला कर अब तक दो हजार आदमी मरे हैं झूठ इस माने से कि वहां पर दो हजार आदमी ही नहीं मरे हैं बल्कि दो हजार तो केवल फरेंदा तहसील में ही मरे हैं। माननीय चरण सिंह जी भी वहां गये थे, मैं भी दो दिन तक पैदल चला लेकिन ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां कि इस बरसात के मौसम में नहीं जाया जा सकता है। वहां पैदल जाना बड़ा ही मुश्किल है। वहां की क्या हालत है। वहां का अन्दाजा किसी को नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुत से आदमी मर रहे हैं और मरे हैं। श्री शिब्बन जी सक्सेना ने मरने वाले के जो आंकड़े दिये हैं वे बहुत कम हैं। जिन गांवों में मैं गया मालूम हुआ कि उदितपुर में १ लखराजी, विशुनपुर में ३ दुर्गापुर में तीन आदमी मरे हैं, शिकारगढ़ में ५ आदमी मरे, छोटे लाल, बलभद्र, चिलकू,

घरहू, और जगई चमार, घरइया में दो आदमी डफाली और दादू मर्जाद चक में एक आदमी सुगई बीस वर्ष, कंचलपुर में एक आदमी आबिद ८ वर्ष हरैया में ३ आदमी, हबीब, मंगरू चमार और बनारसी की मां, बहादुरपुर में तीन आदमी झोरी, जुग्गुल, आधार, लेजम, महदेवा में १४ आदमी पुरन्दपुर में १ बिहारी की बीस वर्ष की लड़की बरगदही में एक ७ वर्ष का लड़का १० अगस्त को मरा और हरिनामपुर में दो आदमी मरे।

आज हालत तो यह है। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति में यह बात नहीं हो सकती है कि कोई आदमी भूख से मरता रहे और लोग उसे देखते रहें। लेकिन मैं कहता हूं कि यह हो रहा है, इसी हिन्दुस्तान में हो रहा है, इसी सभ्यता के अन्दर हो रहा है और हुआ है। इस पूंजीवादी और सामन्तवादी सभ्यता के अन्दर जो प्रोफिट मोटिव (लाभ के उद्देश्य) पर ही मुनहसर है, जो लाशों के अम्बार हड्डियों की ढेर और नर कंकालों पर भी मुनाफा कमाकर कायम है उस व्यवस्था के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आदमी भूखों मरते रहें और दूसरे लोग उन्हें न देखते हों। सन् १९४३ में ३५ लाख आदमी बंगाल के अन्दर इसी तरह ऐंड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गये जब कि कलकत्ते के सेठों के गोदामों में लाखों मन अनाज भरा हुआ था। लोगों का मरना वे देखते रहे लेकिन अपने गोदामों में से उनके लिये अन्न नहीं दिया। जिन गांवों में लोग मर रहे हैं, मैंने भी जाकर उन लोगों से पूछा कि जब लोग मर रहे हैं तो आप लोग उनको खाना क्यों नहीं दे देते हैं तो उन लोगों ने यही जवाब दिया कि जब हम खुद ही भूखों मर रहे हैं तो दूसरे के लिये कहां से दें?

जब एक-एक मुट्ठी अनाज का न मिलना जिन्दगी और मौत के बीच झूलना है, तो एक मुट्ठी अनाज की कीमत बहुत हो जाती है और एक मुट्ठी अनाज भी कोई छोड़ना नहीं चाहता यह वास्तविकता है, वस्तुस्थिति है इससे हम आंख नहीं मूंद सकते। एक गांव का मैं किस्सा बताऊं। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता। पुरन्दरपुर में थाना है। वहां पर स्टेशन है, कस्बा है। बड़ा बाजार है। आबादी बहुत बड़ी है। उस गांव में हम लोगों ने जा कर पूछा कि इस गांव में कोई भूखों मर रहा है। किसी को पता भी नहीं था कि कोई भूखों मर रहा है। एक लड़का मुसलमान का बारह तेरह बरस का था। उसने बताया कि चमरौटी में जहां चमार रहते हैं, हरिजन, रहते हैं, वहां पर एक औरत मर रही है। हम लोग उसके घर में गये। सचमुच, घर गिर गया था, एक कोठरी रह गयी थी, छप्पर चू रहा था, उसमें वह चिथड़ों से लिपटी हुई दम तोड़ रही थी। मेरा ख्याल है कि अब तक वह मर भी गयी होगी।

जब यह कहा जाता है कि एक कमेटी मुकर्रर की जाय जो जाकर वहां की जांच करे तो सरकारी बेंचेज से कहा जाता है कि जो वास्तविकता है असलियत है उसके लिये कमेटी की क्या जरूरत है। असलियत क्या सरकार तब मानेगी जब हजारों भूखों मरने लगेंगे, जब कि उनकी लाशों की दुर्गंध यहां तक पहुंच जायेगी, जब गिद्ध और कव्वे उनके एक एक मांस के टुकड़े के लिये आपस में लड़ेंगे, और उनके मांस के टुकड़े लाकर वे इस काउन्सिल हाउस के ऊपर डालेंगे तब आप मानेंगे कि सचमुच लोग मर रहे हैं। पूर्वी यू० पी० में आवाज उठी कि भुखमरी है क्या इंतजाम हुआ? जो बताया गया, जिसकी दुहाई माननीय खाद्य मंत्री ने भी दी है, हमारा तो अनुभव है उस तहसील में घूमने के बाद, कि जो सरकारी सहायता दी जा रही है अगर वह भी माकूल तरीके से उन लोगों के उचित पात्रों को मिल जाय तो बहुत हद तक भुखमरी रुक सकती है। लेकिन मेरा तो कहना है, एक-तिहाई नहीं बल्कि तीन-चौथायी हिस्सा सारे अनाज का ब्लैकमार्केट में चला जा रहा है। एक-चौथाई अनाज वहां पर पहुंचता है। जहां पर कार्ड बन गये हैं, उनको अनाज नहीं मिलता कार्ड बना है, इंट्री मौजूद है कार्ड में, लेकिन कभी भी अनाज नहीं मिला। इस तरह से कार्ड की दुर्व्यवस्था है। उससे परेशानी बढ़ी हुई है।

[श्री झारखण्डे राय]

जो टेस्ट'वर्कस' की बात कही जाती है उसको मैंने गोरखपुर की १० अगस्त को जन सभा में भी कहा था और यहां भी कहना चाहता हूं कि वह बिलकुल टेस्ट (Taste) वर्क्स हो गये हैं। एक चटनी की तरह लज्जत के लिये टेस्ट वर्क्स हैं। लोग काम पर जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में उनको काम नहीं दिया जाता। सौ में पंद्रह बीस रख लिये जाते हैं और बाकी को लौटा दिया जाता है। कहीं कहीं टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं। अगर सचमुच उस को 'वार फूटिंग' पर जैसा की अन्न मंत्री ने कहा था, इस समस्या का हल किया जाता, तो उसमें पूरा हाउस आपके साथ होता यह कहना कि वहां जाकर काम किया जाय। मैं तैयार हूं चलिये असेम्बली बन्द कीजिये। सरकार चलाने के लिये मिनिस्ट्रो को छोड़ दीजिये। बाकी सब लोग चलें। हम तैयार हैं इसके लिये। सरकार पूरी सहायता दे और सचमुच गांव-गांव में घूमकर अनाज दिया जाय।

तो इस तरह से जो 'टेस्ट वर्क्स' हैं बहुत ही थोड़ी जगहों पर हैं और उनमें भी आदमियों को काम नहीं दिया जाता, धांधली बहुत काफी है, पैसा दो-दो दिन के बाद दिया जाता है, पैसा न देकर गल्ला दिया जाय तो अधिक फायदा हो सकता है।

जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लैकमार्केट का काम काफी गरम है। कार्ड बनवाने के लिये बार बार आदमी को जाना पड़ता है, और हर एक कार्ड के लिये एक रूपया देना पड़ता है पटवारी को, तब कार्ड बनता है। राशन की दूकान पर धक्के खाने पड़ते हैं, गालियां सुननी पड़ती हैं तब अनाज मिलता है। यह उन लोगों की हालत है। जो चल नहीं सकते, जो कुदाल फावड़ा एक मरतबा उठाते हैं तो बैठ जाते हैं टेस्ट वर्क्स में जिनकी ऐसी हालत है पांच वर्ष के बच्चे से लेकर ६० साल के बुड्ढे तक काम पर जाते ह, और ६० वर्ष के स्कैनडिनेविया और नार्वे के बुड्ढे नहीं, वे लोग जिन्हें जिन्दगी भर भर पेट खाना नहीं नसीब हुआ है, जिन्हें जिन्दगी भर अच्छा खाना नहीं मिला है।

आज हिन्दू लोग अपने मुर्दे खर्चे के डर के मारे जलाते नहीं, उन को गाड़ रहे हैं इसलिये कि जलाने पर श्राद्ध करनी पड़ेगी जिसमें खर्चा करना पड़ता है और श्राद्ध न होने पर अधर्म होगा।

जो सवर्ण लोग कहे जाते हैं---ब्राह्मण, क्षत्री लोग---उनकी स्त्रियां आज टेस्ट वर्क्स में क म करती दिखायी पड़ती हैं। ऐसी हालत हो गयी है।

क्रय शक्ति की हालत यह है कि अनाज है तो जेब में पैसा नहीं है कि खरीद कर खा सकें।

फरेंदा के डिप्टी कलेक्टर बी० एन० राय, गाजीपुर के हैं और एक तहसीलदार हैं, मैं उनको कह सकता हूं कि वह नर राक्षस हैं, शैतान हैं जो २० फीसदी तकावी में से काट लेते हैं और आपस में दोनों बांट लेते हैं। हर मामले में ऐसा ही करते ह। मेरी प्रार्थना है कि सरकार कम से कम दोनों आदमियों को हटा दे और ऐसे आदमियों को भेजा जाय जिनमें कुछ सुहृदयता और उदारता हो।

अन्त में, चूंकि लाल बत्ती का खतरा मेरे सामने भी आ गया है, कुछ सुझाव देकर समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि काफी से काफी गल्ला तुरन्त भेजा जाय, उन क्षेत्रों में जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, और उसकी व्यवस्था ऐसी उचित की जाय की सचमुच भुखड़ों को अनाज मिल सके। टेस्ट वर्क्स व्यापक पैमाने पर खोले जायं और गांव के करीब हों ताकि गांव के भूखे आदमी जो बहुत दूर नहीं चल सकते हैं, वह मजदूरी पा सकें। टेस्ट वर्क्स की मजदूरी एक रुपया बढ़ा दी जाय। १० आने मजदूरी सन् १९०४ के सड़े गले हुये अंग्रेजों के बनाये कानून के मुताबिक है जिसको अब भी कांग्रेसी मंत्री ढोये चले जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह कौन सी मनोवृत्ति है। मेडिकल दस्ते वहां भेजे जायं जिसके पास काफी सामान और

काफी पौष्टिक पदार्थ हों और भूखे आदमियों को ग्लूकोज आदि देकर उनकी दवा करे। उसके बाद बजड़ा मिला गेहूं और चावल भेज सकते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष जी महोदय, आज यह समय स्तुतिनिन्दा का नहीं है। सरकार भी इसलिये मुहताज नहीं है कि हम उसकी केवल स्तुति करें और साथ ही साथ अपने साथी शिब्बन लाल जी की निन्दा करें। हमको तो चाहिये कि इस प्रांत में क्या वस्तुस्थिति है उस पर गम्भीरता से विचार करें। वस्तुस्थिति के संबंध में समय समय पर इस सदन में चर्चा मैंने भी की है और आदर्णीय सदस्य लोगों ने भी की है और उसका यह प्रतिफल हुआ है कि जब जब हमने अन्न कष्ट निवारण की मांग की, जैसी शक्ति सरकार की रही है उसने उसको पूरा करने के लिये कोशिश की है। यह हमारे लिये अनुचित होगा कि अगर हमारे साथ उपकार किया जाय तो हम उसको झुठलायें और इन्कार करें। यह बात जरूर हम कह सकते हैं कि जैसी विकट और गम्भीर परिस्थिति हमारे इन पूर्वी जिलों की, विशेषतः देवरिया, आजमगढ़ और गोरखपुर तथा बस्ती की, आज है उसमें जो कुछ धन दिया जा सकता है प्राप्त किया जाय और जो खाद्य मंत्री महोदय ने आंकड़े हमारे सामने पेश किये हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। मुनासिब तो यह होता कि वह आंकड़े हमारे सामने न होते। उन आंकड़ों के देखने से और वहां की स्थिति की अगर हम तुलना करें तो वह नहीं के समान है। जब हम पूर्व के इतिहास को देखते हैं कि जब जब इस किस्म की संकटपूर्ण स्थिति आई है इस उत्तर प्रदेश में और इस देश में करोड़हा रुपये खर्च किये गये। तो चन्द लाख रुपया अगर खर्च किया गया हो और उस पर हमको गुमान हो कि हमने बहुत बड़ा काम किया है वह हमारे लिये उचित नहीं होगा। हम जानते हैं कि यह जो आज हम रणक्षेत्र बनाये हुए हैं और गरीबों की लाश पर वाद विवाद में पड़े हुये हैं भुखमरों के संबंध में उसे स्पष्ट करना चाहिये। हमारे सामने असली दृष्य असलियत का नहीं आता। मुझे इस अवसर पर एक बात याद आती है, वह यह कि हमारे श्री अयोध्या सिंह जी उपाध्याय ने एक महाकाव्य की रचना अपने काल में की थी, जिसका नाम है महाकाव्यग्रंथ "प्रिय प्रवास"। उसमें यह चित्रण दिया गया था कि गोपिकायें कृष्ण के वियोग में जल रही हैं और परेशान हैं। यदि कृष्ण भगवान चाहते उनकी मुलाकात हो सकती थी गोपिकायों से, या गोपिकायें चाहती तो उनकी मुलाकात हो सकती थी कृष्ण भगवान से। यही कथन आलोचकों का है कि यह महाकाव्य की कोटि में नहीं देवरिया, महाराजगंज, तहसील बस्ती बांसी और डोमरियागंज बहुत दूर नहीं हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय वहां तशरीफ ले गये थे और एक दो रोज दौरा करते रहे। यह अवधि काफी नहीं रही। बहुत से लोग जो पूर्वी जिलों के हैं उनको संभवतः आज के समाचार पत्रों में अवलोकन करने को मिला होगा कि मैंने यह कहा है कि जिस प्रकार विषम स्थिति बढ़ती जा रही है उसके लिये मुनासिब है कि मंत्रियों में से कोई सज्जन गोरखपुर को केन्द्र बनाकर के स्थिति को देखें और सही मांपदंड से उनको नापें ताकि जो समाचार पत्रों में इस प्रकार की भयावह स्थिति दिखायी पड़ती है और चर्चा होती है उसका ठीक पता लगाया जा सके। श्री गेंदा सिंह जी कहीं दूसरी जगह से नहीं आये हैं उन्होंने बहुत समय तक हमारे साथ काम किया है, अगर वे मुबालिगे के साथ वहां की स्थिति का बयान करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि वे वहां के निवासियों के साथ और सरकार के साथ अन्याय करते हैं। अन्यथा सत्य को सत्य माना जाय। मैंने उस लेख में यह भी चित्रण किया है कि सेंट्रल असेम्बली में महामहिम मालविया जी ने पूर्वी जिलों की गरीबी का इजहार करते हुये आंसू बहाये थे और अगर उसका समर्थन हमारे माननीय माल मंत्री जी ने किया तो अच्छा किया क्योंकि सैकड़ों वर्ष से वहां की ऐसी दुखद स्थिति रही है। आज जो भूखे व्यक्तियों का प्रदर्शन किया गया उसके संबंध में मैंने अपने मित्रों से कहा कि एग्जिबिट (प्रदर्शन वस्तु) जो उपस्थित है वह नामुकम्मल है, मैं उससे भी बदतर स्थितिका एग्जिबिट ला सकता हूं। आज इसके विपरीत यह मुनासिब था कि पीड़ित क्षेत्र में कपड़ा बांटा जाता, अन्न बांटा जाता। सक्सेना जी के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग उनकी निन्दा भले ही करें परन्तु मैं तो उनकी स्तुति

[श्री रामकुमार शास्त्री]

करता हूं। अगर उन्होंने अनशन किया है तो वे उसे निकट भविष्य में अवश्य ही तोड़ेंगे। अनशन करने का उनका मतलब हमेशा यही रहा है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करें और सरकार के सामने अन्य व्यक्तियों के द्वारा वस्तुस्थिति की नुमायश करें। उनका केवल यही मतलब है और कोई दूसरा मतलब नहीं है ऐसा मैं समझता हूं। इस तरह खामखाह के लिये अगर हम उनकी हर एक बात को बुरा समझने लगेंगे तो वह उचित नहीं होगा

हमको सरकार ने अनुमानिक दृष्टि से बस्ती जिले में काफी रकम दी है और मैं इसके लिये सरकार का बड़ा अनुगृहीत हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को अपने जिले में निमंत्रित किया और वे कृपा करके हमारे बीच पहुंचे और उन्होंने वहां के किसानों को आश्वासन भी दिया अभी परसों मैंने मौखिक और लिखित निवेदन किया था कि हमारे यहां जो तकावी का वितरण हो रहा है उसमें वहां के पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार दिक्कत पैदा कर रहे हैं। उसके संबंध में मैंने एक पत्र भी लिखा था उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझको विश्वास दिलाया कि जो चाहियेगा वह देंगे। आज के कठिन समय में हम लोगों को इसी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया ले करके हम अभावग्रस्त क्षेत्रों की सेवा करें। मैं यह भी कहूंगा कि आज हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब संख्या में एक दो नहीं हैं बल्कि कोडियों में नजर आते हैं। वे यहां केन्द्र पर बैठ करके जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। उनको चाहिये कि जहां कहीं किसी पटवारी या कानूनगो की शिकायत हो वहां पहुंचें और उसकी जांच करें। जो तकावी के लिये रुपया दिया गया है उसमें से अगर दस रुपये में से एक रुपया निकल जाता है तो उसकी जांच करें और ऐसी दिक्कतों को रफा करने की कोशिश करें। मैं यह भी कहूंगा कि जहां पर सरकार का दोष है वहां पर हमारा भी दोष है। चाहिये यह था कि हम अपनी कांस्टीटुएंसी में दौरा करते औरजो भी हमारे पास साधन उपलब्ध थे या जो भी रकम सरकार ने दी थी उसका हम सदुपयोग करते। मैं १७ तारीख के एक बजे दिन तक अपने जिले में बांध बन्धवा रहा था। इस प्रकार यदि हम काम करना चाहें तो जितने भी साधन हमारे पास उपलब्ध हों उतने से ही हम किसान का भरोसा बढ़ा सकते हैं। मैं तो विनम्र निवेदन यही करूंगा कि सरकार से और अपने भाइयों से भी चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, यहां कोई दलबन्दी का इसमें काम नहीं है, यह कोई डिबेटिंग सोसायटी नहीं है यहां तो केवल देखना यह है कि पूर्वी जिले के निवासी भखे हैं नंगे हैं, चिथड़ों में हैं हम उनको किस तरीके से बचावें। मुख्य मंत्री जी सदा से उदार रहे हैं और इस साल भी उदार रहेंगे। और अपने खजाने में से जितना पैसा वह बचा सकें, उनके पास पहुचकर उस संचित धन में से रुपया लेकर हम अपने यहां के पीड़ित निवासियों को जिनके बारे में अखबारोंमें जो विडंबना छपती है, मदद पहुंचाने की कोशिश करें। आखिर यही प्रदेश नहीं है, यहीं तक यह विडंबना सीमित नहीं रहेगी। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अब हमारा इतना घनिष्ट संबंध हो गया है कि अगर हम अपने घर की बुराइयों को ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। संक्षेप में, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा रकम हम मुख्य मंत्री जी से लें ताकि हम भी उन गरीबों के बीच जब जायं तो अपने मुंह को उज्जवल कर सकें।

श्रीमान्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी वजह से हमारी जनता में थोड़ी बहुत विडंबना होती है। यहां से तो हम लाखों रुपये ले जाते हैं लेकिन यदि पांच आदमियों को भी रेकमेंड कर दें तो उनको सहायता नहीं मिलेगी। आपके पटवारी तो सर्वेसर्वा हैं। लेकिन अगर हम यहां के प्रतिनिधि हैं और इत्तिफाक से हमें ऐसे आदमी मिलें जो वाक़ई पीड़ित हों, हलांकि यह हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर तृषित जनों को हम देखें और उनको रेकमेंड करें तो उनको सहायता नहीं दी जायेगी। यह मेरा अनुभव है। आपके अहलकारान तो मालूम होता है कि षडयंत्र बनाकर बैठे हुये हैं कि अगर ये लोग सिफारिश करें तो कोई कार्यवाही न की जाय। यहां तो मुख्य मंत्री जी हम से कहते हैं कि जाओ, जो कुछ सरकार से हो सकता है करेगी;

लेकिन वहां होता कुछ और ही है और मुख्य मंत्री जी को मालूम भी नहीं होता। मालूम भी कैसे हो सकता है क्योंकि एक ही कड़ी की तरफ उनकी निगाह जा पाती है? यह भी कहना हमारे लिये उचित न होगा कि हम उपेक्षित हैं। हम मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहते हैं कि इसकी तरफ भी सतर्क होना होगा कि अब यह हमारे पांच डिप्टी मिनिस्टर्स पूर्वी जिलों में इस समय जायेंगे तो क्या कमाल करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर बुलन्दशहर के डिप्टी मिनिस्टर साहब पहुंचकर देवरिया में काम करने लगें तो सम्भव है कि उतनी अच्छी तरह से काम न कर सकें जितनी जरूरत है। मेरी समझ में मुनासिब यह है कि स्थानीय एम० एल० एज० उनके साथ में हों और डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्त्ता भी उनके साथ में हों ताकि ठीक तरह से काम हो सके। जब इस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है और कहा जाता है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश कई तरफ से की जा रही है तो सरकार का यह धर्म है कि बैग ऐंड बैगेज हम लोग वहां पहुंचें ताकि हम उन लोगों की सेवा कर सकें और अपने कर्त्तव्य का पालन करें।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस मजमून पर बहस हो रही है उसके बारे में हम अखबारों में दो महीने से बहुत जोरों के साथ सुन और पढ़ रहे हैं। शिकायत यह भी रही कि गवर्नमेंट खाद्य की स्थिति पर विचार करने का अवसर विरोधी पक्ष के लोगों को देना नहीं चाहती है। लेकिन उसकी तफ़सील में मैं न जाकर केवल यही कहना चाहता हूं कि कभी सरकार की तरफ से खाद्य की स्थिति पर बहस टालने की बात या उसको छिपाने की बात हर्गिज नहीं की गयी और न उसकी कोशिश की गयी। आज दो बड़े इल्जाम खाद्य स्थिति के सिलसिले में लगाये गये हैं। एक तो यह कि उसकी गम्भीरता को छिपाने की कोशिश की गई है। दूसरे यह कि जितने उपाय होने चाहिये थे उतने उपाय नहीं किये गये हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कुछ सच्चाइयां, कुछ घटनायें और कुछ तथ्य इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और फिर सदन और बाहर के जो लोग अखबार पढ़ने वाले हैं उन पर छोड़ता हूं कि उनमें कहां तक सच्चाई है।

जहां तक सच्चाई के छिपाने की बात कही गई है, यह तो सब पर जाहिर है कि मार्च १९, सन् १९५२, को पूर्वी जिलों के जिलाधीशों को बुला कर माननीय मुख्य मंत्री ने परामर्श किया कि किस प्रकार जो स्थिति दो साल से बारिश न होने के कारण धीरे धीरे पैदा होती जा रही है उसका मुकाबला किया जाय। इस सिलसिले में जो फैसले किये हैं मुमकिन है माननीय मुख्य मंत्री स्वयं उसका संकेत करें। लेकिन जहां तक छिपाने की बात है तो यह छिपाने की कोशिश का सबूत नहीं है बल्कि यह तो उजागर करने का सबूत कहा जा सकता है। सब आफिसरों को बुला कर मीटिंग की गई और अखबारों में उसकी खबर दी गई और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री स्वयं पूर्वी जिलों में, यानी मिर्जापुर, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती वग़ैरा गये और शहरों में ही होकर नहीं लौटे बल्कि देहातों में भी गये। यह अप्रैल और मई का वाक़या है। इसके बाद जून के महीने में जब माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को और मुझे लिखा तो मैंने जो जवाब उनको दिया है उसमें मैंने तस्लीम किया है कि बेशक अभाव की स्थिति किन्हीं प्रकृति जन्य कारणों से पैदा हो गई है और हम उसका मुकाबला करने के लिये पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जरूरत हुई तो ज्यादा भी कोशिश करेंगे। वह खत मैंने एक सोशलिस्ट भाई को लिखा, इसमें भी कोई छिपाने की बात नहीं है।

फिर ११ जुलाई को बजट पर तकरीर करते हुये मैंने इस बात को तस्लीम किया कि स्केर्सिटी कंडीशन्स हैं, अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन यह कहना कि भूख से मौतें हो रही हैं इससे मैंने इन्कार किया था और आज भी उससे इन्कार करता हूं। मैंने एक बहुत ही सम्मानित पत्र के सम्पादक के नोट में पढ़ा कि १० जुलाई को

[श्री चरण सिंह]

चरण सिंह ने यह बात कही थी और अब स्थिति को तस्लीम करते हैं । १० जुलाई को जो बात मैंने कही थी वह अक्षरक्षः सत्य थी और उसके बाद जो स्थिति बदली उसमें जो बात कही वह भी सत्य थी। यह हर्गिज नहीं था कि मैंने ९-१० जुलाई की बात इसलिये कही थी कि मुझे जाती जानकारी नहीं थी या मैं मौके पर नहीं गया था या आफिसरान ने धोखा दिया बल्कि १० जुलाई को जो स्थिति थी उसका वास्तविक वर्णन किया और सही बात थी ।

मैंने एक घटना का जिक्र किया वह यह है कि २० जून को जिलाधीश देवरिया ने एम० एल० एज० को बुलाया और उनसे मश्विरा किया कि टेस्ट वर्क्स की जरूरत है या नहीं। इसमें सोशलिस्ट एम० एल० एज० शामिल नहीं हुये और जो दो चार गये भी तो उनकी राय थी कि इनकी जरूरत नहीं है। इसके बाद वर्षा हो जाती है और सोशलिस्ट भाई सत्याग्रह स्थगित कर देते हैं। मीटिंग में शामिल नहीं होते और जो होते हैं वह कहते हैं कि टैस्ट वर्क्स की जरूरत नहीं है। जब वर्षा अच्छी हो गई उसके बाद मैंने कहा १० जुलाई की स्थिति अभाव की जरूर है लेकिन भुखमरी की बात तो दूसरी है, स्थिति गम्भीर नहीं है। वह बात सही है कि मैंने ऐलान किया था कि मैं १४ जुलाई को जिलाधीश देवरिया को बुला रहा हूं। इसलिये कि मैंने सब एम० एल० एज० से बातें कीं और इस बात का अहसास किया कि शायद जिलाधीश के बुलाने की जरूरत है। इसका भी मैंने सदन में ऐलान किया और कोई बात छिपाई नहीं। इसके बाद जैसे ही बजट के कामों से मुझे फुर्सत मिली और इस बीच में यह खबर जिलाधीशों से मिली कि बारिश न होने की वजह से स्थिति पहले की अपेक्षा कुछ अधिक संकटापन्न होती जा रही है, उसी वक्त मैं गया और एक सज्जन यहां मौजूद हैं जो कि एक सम्मानित पत्र को रिप्रेजेन्ट करते हैं। मैंने खुद उनको आफर किया कि अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की मंशा छिपाने की होती तो इस तरह का आफर करना तो दूसरी बात, किसी अखबार के संवाददाता के जाने की बात सुनकर उसको टालने की कोशिश करता लेकिन टालने की कोशिश तो रही दूर, मैंने अपनी तरफ से आफर किया चलने के लिये। दो सज्जन मेरे साथ गये और तीन जिलों में साथ रहे। उनसे इस बात की तहकीकात की जा सकती है कि उनसे कोई ऐसी कोशिश की गई हो कि एम० एल० एज०, कांग्रेसमेन या आफिसर्स से मैं मिला हूं और उनसे वह बात छिपाने की कोशिश की गई हो, या किसी जगह वह जाना चाहते हों और उनको किसी तरह की सुविधा की आवश्यकता हो और उसे मैंने देने से इन्कार किया हो, ऐसा नहीं किया गया। फिर कैसे कहा जा सकता है कि वास्तविकता को छिपाने की कोशिश की जाती है ? हर्गिज नहीं। छिपाने का कोई सवाल नहीं है। जहां तक छिपाने की बात है, मैंने जवाब दे दिया। सोचने की बात यह है कि आखिर हम छिपायेंगे क्यों। जिन लोगों पर संकट आया हुआ है क्या वह हमारे भाई नहीं हैं, क्या वह इस देश के रहने वाले नहीं हैं ? क्या उनसे हमको कोई मोहब्बत और हमदर्दी नहीं है ? फिर क्यों बात कही जाती है कि हम छिपाने की कोशिश करते हैं ? फिर क्या इतनी बुद्धि भी हमारे दिमाग में नहीं है कि जब हम जानते हैं कि यह ऐसा वाक़या है जो लाखों करोड़ों आदमियों से सम्बन्ध रखता है और अगर हम कोशिश भी करें छिपाने की तो क्या छिपाया जा सकता है ? नहीं छिपाया जा सकता । फिर यह बातें क्यों कही जाती हैं कि छिपाने की कोशिश की जाती है ? हर्गिज नहीं की जाती ।

फिर असली स्थिति क्या है उसको तो हमें भूलना नहीं चाहिये। असली स्थिति यह है कि यह इलाका ऐसा है, इसमें गोरखपुर और देवरिया में बस्ती, गोंडा और बहराइच के उत्तर का भी भाग है स्थित है, यह भाग क्रानिकली डेफिसिट (सर्वदा अभावयुक्त) रहा है। हमेशा से यहां इस प्रकार की विपत्तियां आती रही हैं, आज यह कोई नई

बात नहीं है। हमारे पास सन् १९०९ का गोरखपुर का गजेटियर मौजूद है। उस वक्त गोरखपुर और देवरिया एक ही जिला था। उसके पढ़ने से मालूम हो जायगा कि १८७३-७४ में बारिश न होने की वजह से वहां अकाल पड़ा, १८-७७७८ में चार साल बाद वही स्थिति फिर पैदा हुई। १८९६ में १८ साल बाद फिर वही स्थिति उत्पन्न हुई। तीनों बार वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा। १९०६ में वर्षा ज्यादा होने के कारण वह स्थिति हुई। कारण खैर जो कुछ भी रहे हों, और कारण भी किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती से यह इलाका ऐसा रहा है जहां कि अक्सर संकट आते रहते हैं। फिर यह बात नहीं कि उस संकट से वहां के लोग वाकिफ न हों, वहां की ग्रामीण जनता इस बात को स्वीकार न करती हो कि हमेशा एक प्रकार से उनका इलाका डेफि-. सिट कंडीशन में रहा है। जब मैं वहां गया तो मुझे यह सुनने को मिला कि सावन और भादों में परिन्दे भी वहां उपवास करते हैं। रबी की फसल वहां अच्छी नहीं होती, खरीफ की अच्छी होती है। सावन और भादों के महीने वहां हमेशा मुसीबत से कटते हैं और इस हद तक मुसीबत होती है कि परिन्दों को भी वहां खाने को कुछ नहीं मिलता। इस तरह से यह कहावत वहां हो गई है। यह दशा इस इलाके की है। अब के भी तीन साल से वहां वर्षा नहीं हुई। सन् ५०, अगस्त में बाढ़ आ गई, खरीफ की फसल नष्ट हो गई, उसके बाद एक बूंद पानी नहीं बरसा और रबी की फसल. बोई नहीं जा सकी। अब की वर्ष जून में जितना नार्मल पानी बरसता है उतना पानी नहीं बरसा, गोरखपुर, खास तौर से देव-रिया और आजमगढ़ में बहुत कम बारिश हुई, कुछ इलाके में आधी हुई, कुछ में एक चौथाई, और कुछ में उससे कम, तीन साल से बराबर वर्षा न होने के कारण यह स्थिति पैदा हो गई है। इसके अतिरिक्त कुछ और सर्कमस्टांसेज (स्थिति) भी पैदा हो गये। नैपाल से यहां अक्सर अन्न आता रहा है, लेकिन आज जो स्थिति है उस कारण से अन्न का वहां से आना बन्द हो गया। नार्मल ईयर्स में बंगाल और बर्मा वग़ैरह से खास तौर से देवरिया के इलाके में अन्न आता रहा है। लेकिन सारे देश में कंट्रोल वग़ैरह की स्थिति जो है उसके कारण उसका आना भी बन्द हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई अनहोनी नहीं हुई। सवाल यह है कि जहां स्थिति खराब हो जाया करती थी, हर साल लोग भूखे मरते थे वहां तीन साल के बावजूद वह स्थिति नहीं हुई जो १८७७-७८ और १८९६ और १९०६ में हुई थी।

कहा यह जाता है कि वहां अकाल पड़ा हुआ है। हम इस बात को तसलीम करते हैं। जहां तक अकाल का सम्बन्ध है, अकाल किसको कहते हैं? अकाल जब पड़ता है तो गांव से लोग लाखों की तादाद में शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अकाल जब पड़ता है तो यह स्थिति नहीं होती कि दस मील में हम टेस्ट वर्क पर काम करने नहीं जायेंगे, तीन मील के अन्दर टेस्ट वर्क होना चाहिये तब काम करने आयेंगे। १८९९ में पश्चिमी यू० पी० में २००, २०० मील लोग भाग आये थे। इसी प्रकार १८७७ में राजस्थान और दक्षिण में लोग अपने मवेशी ले लेकर निकल गये थे। अकाल जब पड़ा तो बंगाल में सड़कों पर, गांवों में और कस्बों में गलियों में हजारों लाशें रोज पड़ी रहती थीं। जब इस तरह की स्थिति होती है तो आदमी किसी की मदद नहीं करता। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने यह बात कही थी कि हमारी संस्कृति का यह तकाजा है और हमारी परम्परायें इस प्रकार की हैं और हमारा चलन इस प्रकार का रहा है, हमारी तहजीब इस प्रकार की है कि अगर कोई आदमी किसी को भूखा मरता देखे और उसके पास आधी रोटी है तो उसमें से भी वह टुकड़ा बांट लेगा। बंगाल में वह स्थिति बेशक नहीं थी। वहां देने को कुछ नहीं था लेकिन यहां स्थिति यह है कि ब्लैक में अन्न बिकता है। क्यों ब्लेक में बिकता है अगर किसी के पास खरीदने को पैसा नहीं है? अगर ब्लैक में जाता है तो साढ़े तीन सेर या चार सेर का दूकानदार खरीदता है, उससे कम पर ढाई या दो सेर का वह बेचता है। लेने वाले मौजूद हैं।

[श्री चरण सिंह]

कहा गया कि बारिश अच्छी हो जाय तो लोगों की स्थिति अच्छी हो जाय। मैंने कहा बारिश अच्छी हो जाय तो कैसे स्थिति अच्छी हो जाय? कहा गया कि सोहनी करेंगे, वीडिंग करने लगेंगे। उससे स्थिति कैसे अच्छी हो जायगी? मालूम हुआ इसलिये अच्छी हो जायगी कि मजदूर को मजदूरी पर पैसा नहीं मिलता है, गल्ला मिलता है। जिन किसानों के खेतों में वीडिंग का सवाल है उनके पास अगर गल्ला मौजूद है तो वह मजदूरी के तौर पर उसे दे सकते हैं। लिहाजा यह कहना कि बंगाल की स्थिति यहां पर मौजूद है, यहां पर अन्न नहीं है और यहां पर भूख से मर रहे हैं, यह गलत है और हमको मानना पड़ता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल की और यहां की स्थिति में किसी प्रकार से कोई कम्पेरीजन (मुक़ाबला) नहीं हो सकता। हां, एक बात को मैं तसलीम करता हूं और वह यह है कि वहां पर अन्न की कमी है और बहुत कमी है और उस कमी के कारण हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनको एक दिन अन्न न मिलता हो दो दिन अन्न न मिलता हो। मैं इस बात को मानता हूं कि अन्न की कमी के कारण वह भरपेट भोजन न खाते हों। ऐसे लोग हो सकते हैं कि अच्छी तरह से भोजन न खाते हों और न उनको मिलता हो और मालन्यूट्रीशन (अपुष्टि) की वजह से उनके अन्दर कमजोरी बढ़ गई हो। इस बात को हम मंजूर करते हैं लेकिन माल न्यूट्रीशन तो हमारे सारे देश में ही नहीं है। जब हम डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ की रिपोर्ट पढ़ते हैं और दूसरे देशों की भी हेल्थ पर रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमको अनुमान होता है कि हमारे देश के अन्दर माल न्यूट्रीशन का कितना अभाव है। हमारे देश में न घी है और न लोगों को मक्खन मिलता है और न हम लोगों को शकर मिलती है और अन्न की भी कमी है और दूध भी कम ही मिलता है। गर्ज यह है कि कमोबेश हमारे देश में इस तरह की चीज पाई जाती है।* आज अगर पूर्वी जिलों में बहुत हद तक मालन्यूट्रीशन बढ़ गया है तो मुझे इससे इन्कार नहीं है।

जहां तक इन बच्चों का सवाल है जो बाहर लाकर बिठाये गये हैं जिन्होंने इन बच्चों को लाकर बिठाया है उन्होंने केवल प्रोपेगन्डा के लिये बिठाया है। इन बच्चों से अगर सच्चे मायनों में उन बिठाने वाले साहब को हमदर्दी होती और कुछ तकलीफ होती और प्रोपगन्डा से कोई वास्ता न होता तो उनके घर पर ही इनकी मदद की होती और उनसे ज्यादा तकलीफ, जिन्होंने इनको लाकर बिठाया है, और किसी को न होती। इससे और ज्यादा आप क्या साबित करना चाहते हैं? जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा था कि किसी भी शहर में इस तरह के आदमी आपको मिल सकते हैं। पश्चिमी जिलों को कहा जाता है कि बहुत समृद्धिशाली है और पूर्वी जिलों से अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि वहां की हालत अच्छी है लेकिन वहां भी आप किसी गांव में चले जाइये ज्यादातर इस श्रेणी के आदमी मिल जायंगे। पेशतर जमाने में भी इस तरह के आदमी मिलते थे। तो इससे यह साबित नहीं होता कि वहां पर हजारों आदमी रोजाना मर रहे हैं। यह बिल्कुल सचाई से परे है। परसों १९ अगस्त के नेशनल हेरल्ड में शिब्बनलाल जी सक्सेना का एक पत्र छपा है जो उन्होंने रफी साहब को लिखा है उसमें वह लिखते हैं कि :

"This Government wants to live by falsehood and dares even to hide and deny totally the thousands of starvation deaths which are occurring every day even now."

[यह सरकार असत्य पर जीवित रहना चाहती है और उन सहस्रों क्षुधा मृत्युओं को जो अब भी प्रति दिन हुआ करती हैं, छिपाने की तथा उनसे बिल्कुल इन्कार करने की हिम्मत भी करती है।]

हजारों मौतें आज रोजाना हो रही है। तो जब वहां पर ६ हजार मौतें हो चुकीं तब हमारे दोस्त ने अपना अनशन शुरू किया और फिर पूर्वी जिलों की स्थिति पर विचार करना चाहते है! हमें दो बातों पर विचार करना है। उनमें से एक तो यह है कि पहले अंग्रेजों के जमाने में पुलिस स्टेट इसको कहते थे जिसका काम था टैक्स वसूल करना और अमन कायम रखना। ये दो उनके अहम फर्ज थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय राजस्व मंत्री को बोलते हुये १५ मिनट हो गये। अब अन्न मंत्री को बोलने का अवसर दिया जाय।

उपाध्यक्ष—वह अब समाप्त ही करने वाले हैं।

श्री चरण सिंह—दो पहलुओं की तरफ मैं आपकी इजाजत से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी जो पुलिस की स्टेट थी लेकिन वह जमाना तो बीत चुका उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि यह हमारे दुख दर्द में साथ देगी, यह हमारी तकलीफ को मिटायेगी, यह हमारे गांव में सड़क बनायेगी, गांव में अस्पताल बनायेगी, गांव में नहरें बनायेगी, यह स्कूल खोलेगी। हमने अंग्रेजों के जमाने में प्रचार किया था। आज हमारा ध्येय यह है कि हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट हो और हमारी यह कोशिश है और हमारा यह सपना है कि हमारे देश भर में अन्न, कपड़ा, फल और दूध आदि की कोई कमी न रहे, सब के लिये अच्छे मकान हों, सबके बच्चों की तालीम का अच्छा इन्तजाम हो, बीमारों के इलाज के लिये अच्छे अस्पताल हों और यहां किसी तरह की कमी न रहे। लेकिन इस सपने का जब हम जिक्र करते हैं। तो जनता यह नहीं समझती कि अभी तो हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह नहीं समझती कि अभी कोशिश हो रही है। वह उम्मीद करती है कि आज हमने शुरू किया और कल अगर वह पूरा नहीं होता तो सरकार की नाकाबिलयत है। यह तो मैंने जनता का और लोगों का दृष्टिकोण बतलाया। इसलिये जो तकलीफ पहले तकलीफ नहीं मालूम होती थी वही अब शदीद तकलीफ़ मालूम होती है। मैं नहीं कहता कि तकलीफ का अहसास नहीं करना चाहिये या तकलीफ का बयान नहीं करना चाहिये या उसका तक़ाजा नहीं करना चाहिये, जरूर करना जाहिये। मैं तो जो वस्तु-स्थिति है वह बयान कर रहा हूं कि जनता के दृष्टिकोण में तब्दीली हुई है और होनी चाहिये, ठीक हुई है। लेकिन जब हम सरकार के काम को और उसकी कोशिश को आंकते हैं तो इस बदले हुये दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिये। इस चीज पर भी नजर करनी चाहिये कि आजादी मिलने के बाद हमारे यहां डेमोक्रेसी कायम हुई जनतंत्र व्यवस्था आई जिसमें पार्टियां बनीं और अच्छा है पार्टियां बननी भी चाहिये। उन पार्टियों के अपने अपने ध्येय होते हैं लेकिन कुछ उनका कामन क्षेत्र भी होता है और ऐसी चीजें भी होती हैं जिनमें बहस या वादविवाद की गुंजायश नहीं होती और जिन पर सब लोग सर्वसम्मति से एक राय होते हैं मसलन अमरीका और इंगलण्ड में वैदेशिक नीति का जहां तक सम्बन्ध है घोर मतभेद का इजहार या प्रकाशन कभी कोई पार्टी नहीं करती या जब संकटापन्न परिस्थिति पैदा होती है, लड़ाई हो या इसी प्रकार खाद्य संकट हो, तो मतभेद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में तो सब लोगों को मिल जुल कर सरकार का हाथ बटा कर कन्धे से कन्धा मिला कर काम करने की आवश्यकता होती है। यह कोशिश करना कि कठिन स्थिति को और बढ़ा कर बताया जाय और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाय यह मुनासिब नहीं है। अव्वल तो जो परिस्थिति है वह जनता के सामने है उसकी आंखों से ओझल नहीं है। इस पर भी विचार करना चाहिये कि जो उपाय सरकार की तरफ से किये जा रहे हैं वह कौन कम किये गये हैं। सन् १९५२ तक की स्थिति का जब कि बजट पेश किया गया था मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था और सारे सूबे में जो कुछ हो रहा है उस पर सन्तोष था। उसके बाद जो टेस्ट वर्क

[श्री चरण सिंह]

भी खुले थे उनमें भी आदमी कम आने लगे और गोंडा-बस्ती में बारिश हो गई और लोगों को आशा बंध गई और बारिश नार्मल से अधिक हुई और खेत बोये जा चुके थे जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं उसके बाद बारिश न होने की वजह से ऐसी स्थिति डेवेलप हुई। जिलाधीश और अधिकारी उम्मीद करते रहे कि अब बारिश हो, अब हो और इसी तरह से हफ्ते दो हफ्ते उम्मीद ही उम्मीद में निकल गये। अन्दाज में यह ओवरशूटिंग हुई, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई कमी या कोई गफ़लत नहीं की गई है। आम तौर पर सरकार की तरफ से इसमें कोई अवहेलना नहीं की गई और जो काम किये गये वह माननीय गुप्त जी ने अपने बयान में बता दिये हैं। मैं अर्ज करूंगा कि ३२-३३ लाख मन अन्न वहां पहुंच चुका है और एक करोड़ से अधिक सबसीडी (सहायता) के तौर पर खर्च हो चुका है और जो उनके बोझ हैं उनको भी हल्का करने की कोशिश है। लगान, मालगुजारी, छूट, तकावी और सबसीडी वगैरा सब मिला कर ४ करोड़ के करीब आता है और आगे भी मदद तीन प्रकार से हो सकती है। एक तो यह कि टेस्ट वर्क से रोजगार दिया जाय। दूसरे जिनकी क्रय शक्ति घट गई है उनको भी इतना पैसा दिया गया कि जितना वह अभी तक खर्च नहीं कर पाये हैं।

दूसरे यह कि जहां टैस्ट वर्क नहीं कायम किये जा सकते हों या आदमी काम पर नहीं आ सकते हों तो वहां डिस्ट्रेस (संकट) तकावी १०,१२ रू० जैसा भी जिलाधीश चाहे, एक परिवार को या आदमी को १ महीने में दे सकता है। उसमें भी लाखों रूपया हमने दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अपाहज हों या नाबालिग या औरतें हों जिनके यहां कोई काम करने वाला न हो उनके लिये ग्रैचुइट्स रिलीफ (मुफ्त सहायता) भी लाखों रुपया का दिया हुआ है और बड़े जिलों में तो १,१ लाख रूपया दिया हुआ है। लेकिन ये लाखों और करोड़ों काउन्ट नहीं करते, जैसा कि माननीय रामकुमार जी शास्त्री ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं। परन्तु जैसा उन्होंने कहा कि यह बयान नहीं दिया जाता यह ठीक नहीं है। वस्तुस्थिति को सामने रखना चाहिये। जैसा मैंने कहा, ४ करोड़ रूपया खर्च हो चुका है। लेकिन यह ४ करोड़ रूपया भी कोई बिसात नहीं है जबकि लाखों मनुष्यों पर संकट आया हुआ है। मैंने चार जिलों की जनता से कहा और आश्वासन दिया, और आश्वासन ही नहीं बल्कि सरकार उस पर अमल करने को तैयार है, कि लाखों और करोड़ों की कोई बात नहीं है, यदि आवश्यकता हुई तो यह सरकार इस प्रदेश का सारा रूपया वहां खर्च करने के लिये तैयार है चाहे हमें कुछ विभाग बन्द भी करने पड़ें। यह नहीं हो सकता है कि कुछ भाग के लोग तो अधिक अन्न रखें और बाकी भूखों मरें। यों तो सारा भारतवर्ष ही एक कुटुम्ब है मगर जिस प्रकार एक छोटे से कुटुम्ब में एक आदमी दूसरे अपने भाई को भूख से नहीं मरने देगा उसी प्रकार यह सरकार एक आदमी भी भूख से नहीं मरने देगी।

अब देवरिया में मेरे जाने पर तो यह बात कही गई कि चरण सिंह की आंखों में आंसू आगये और वह रोने लगे, सो ठीक है। उन लोगों को देख कर मेरे दिल पर असर जरूर हुआ और उसका मेरे चेहरे पर भी इजहार हुआ मगर रोने की बात ठीक नहीं है। मैं तो जब यहां भी बाहर निकल कर जाता हूं और उन छोटे बच्चों को देखता हूं तो मेरे दिल में धड़कन पैदा होने लगती है। मुझे इससे इंकार नहीं है कि मैं एक जजबाती और भावुक आदमी हूं और शायद माननीय गेंदा सिंह जी ज्यादा मजबूत आदमी हैं। उनकी मजबूती पर उन्हें मुबारकबाद। रोने से जो बात सिद्ध करने की कोशिश की जाती है, एक तो यह कि एक्चुअली (वास्तव में) रोया हूं, यह जैसा मैंने कहा गलत है। मेरे साथ और लोग भी थे और अखबार वाले भी कुछ थे, वह कह सकते हैं। मगर यह जरूर मैं मानता हूं कि जुलाई महीने में उन लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ गयी थी। फिर मैंने देवरिया में सोशलिस्ट या कांग्रेसी में कोई भेद नहीं किया क्योंकि यह खाने का मामला पार्टीबन्दी से परे है। पडरौना

का जहां तक संबंध है, सारा मेरा प्रोग्राम सोशलिस्टों ने ही बनाया और जहां चाहा मुझे ले गये। मैंने कोई दिक्कत नहीं की मगर कुछ लोगों का यह खयाल जरूर है और उन्होंने मुझे कहा कि खासतौर से ऐसे लोगों को जमा करने की कोशिश की गई जो लागिर या दूसरों के मुकाबिले में ज्यादा कमजोर मालूम होते थे।

और मैं यह भी देखता था कि मेरे सामने कुछ पार्टियों के कार्यकर्त्ता आगे से पेशबंदी के तौर पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने चाहे एक गांव से इकट्ठा किया हो या १० गांव से उनको इकट्ठा किया हो, मैं यह मानता हूं कि वहां की हालत ऐसी थी कि उनको फौरन इम्दाद की जरूरत थी। जहां तक मेरे दुःख की बात है या आंसू बहाने की बात है, वह तो आज से नहीं हमेशा से, जब से मैंने कांग्रेस में कदम रखा हमें अपने देश की दशा पर दुःख रहा है और यह दुख तब तक कायम रहेगा जब तक कि देश की और देश के किसानों की तथा ग्रामों की स्थिति, उनका आर्थिक स्तर वैसा ही नहीं हो जाता जैसा कि आज दूसरे भाग्यशाली देशों का है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री अब बोलते ही रहेंगे और हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा ?

उपाध्यक्ष—अगर उनको ५, १० मिनट और दे दिये जायं तो बुरा न होगा।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त जो ऐतराज कर रहे हैं उनको यह तो मालूम ही होगा कि नुक्ताचीनी करना और ऐतराज करने बहुत आसन हैं। वह दो मिनट में की जा सकती है लेकिन तामीरी काम करना बहुत मुश्किल है। आप तो एक ऐतराज करके चले जाते हैं लेकिन एक ऐतराज का जवाब देने में २५ बातें कहनी पड़ती हैं।

माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि हम इसे राजनीति का प्रश्न बनाना नहीं चाहते लेकिन क्या यह वाकया है कि आप इसको राजनीति का प्रश्न बनाना नहीं चाहते ? और जैसा कि माननीय बनारसी दास जी ने प्रश्न किया मैं जानना चाहूंगा कि वहां नान आफीशियल रिलीफ के तौर पर, सरकारी मदद करने के तौर पर क्या किसी ने कुछ किया है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या मुझे आपकी इजाजत मिलेगी कि मैं उनको बतलाऊं।

श्री चरण सिंह—मुझको मालूम है कि मैं जब देवरिया गया था तो मेरे पूछने पर मुझको बतलाया गया कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है लेकिन जब १० अगस्त को एक मीटिंग में मैंने जब पूछा तो बतलाया गया कि पडरौना में ऐसी कोशिश की गई है। की होगी। लेकिन काम जब से और जितना करना चाहिये था उतना नहीं हुआ उतने पैमाने पर कोशिश नहीं हुई इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अगर वाकई गंभीर स्थिति थी तो उस तरह की कोई कोशिश होनी चाहिये थी। यह वाकई काम करने का ढंग था। और हमारा कदम बजाय यहां नुक्ताचीनी के उधर उठना चाहिये था। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई यहां हजारों लोग रोजाना मर रहे थे, जैसा कि आपके वकील कहते हैं कि हजारों आदमी मर रहे हैं और जिसके समर्थन में आपने यहां तकरीरें की हैं तो क्या जिन लोगों का यह दावा है उनका स्थान यह सदन है ? क्या उनका स्थान यह भवन है ? हरगिज नहीं। फिर जब मैं देवरिया और गोरखपुर में गया तो वहां जितने एम० एल० एज० और एम० पी० थे उनको मैंने अख्तियार दे दिया था कि वे फूड आफिसर की तरह होंगे और उनकी ही तरह से वे जितनी रिटेल शाप्स (फुटकर दुकानें) हैं उनका मुआयना कर सकते हैं और अगर ब्लैक मार्केटिंग साबित होती है तो उनकी रिपोर्ट पर उस दूकानदार का लाइसेंस कैंसिल हो जायगा। जब फूड आफिसर आप बनाये गये और उसको बने हुये २० रोज हो गये.....।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमान् . . . . ।

श्री चरण सिंह—मैं बैठने को तैयार नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष—जब वे बैठने को तैयार नहीं हैं तो आप बैठ जायं।

श्री चरण सिंह—जब २० दिन उस आज्ञा को हो गये तो अगर उसके बाद भी ब्लैक मार्केटिंग होती है तो फिर किसकी यह जिम्मेदारी है? सप्लाई अफसर ब्लैक मार्केटिंग नहीं रोक सका, गवर्नमेंट के आफिसर्स ब्लैक मार्केटिंग नहीं रोक सके लेकिन आपको रोकने का अधिकार दिया गया। और उस अधिकार को दिये हुये २० रोज हो गये। फिर भी ब्लैक मार्केट नहीं रोका जा सकता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? फिर इसी सिलसिले में हमें याद रखने की बात यह है कि वे लोग जो कि निहायत अनर्गल और निराधार इल्जामात लगाते हैं जो कि बजाहिर गलत है वे बराबर उन्ही इल्जामात को दोहराते रहते हैं। तो फिर हम कैसे मानें कि उनका यह कहना और उनके ये इल्जामात सही हैं? मैं उनकी नीयत पर हमला नहीं करता लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनको लोगों के संकट से कोई वास्ता नहीं है बल्कि उससे पोलिटिकल ऐडवांटेज (लाभ) उठाना है।

आप यकीन कीजिये कि जब मैं फरेंदा गया जिसके मुताबिक श्री झारखंडे राय जी ने अपनी तकरीर में कहा था तो मुझे वहां बतलाया गया कि तकावी देने में तहसीलदारों और पटवारियों ने २० प्रतिशत रुपया रिश्वत के तौर पर लिया है। जब मैं फरेंदा से देहात के लिये चला तो श्री शिवबन लाल जी सक्सेना, कुछ के० एम० पी० पी० के कार्यकर्त्ता और सौ आदमियों की भीड़ लेकर आये। मैंने उनको समझाया कि ऐसी विषम परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिये गवर्नमेंट क्या कर रही है। सब लोग शांत हो गये। उन्हीं में से एक सज्जन जो वहीं पर खड़े थे उन्होंने कहा कि तकावी बांटने में बड़ी बड़ी बेईमानियां हुई हैं और किसी किसी जगह तो रिश्वत लेकर स्त्री, पुरुष, पुत्र के नाम से तकावी भी दी गयी है, बाप दादों के नाम भी तकावी दी गयी है यानी एक ही खानदान में कई आदमियों को तकावी दी गई है। उस गांव का नाम मुझे इस वक्त याद भी नहीं है और उस वक्त भी मैंने उस के लिये विशेष खयाल नहीं किया लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं एक डेढ़ घंटे बाद देहात से लौटूंगा तब आप मुझे उनके नाम दीजियेगा जिन्होंने रिश्वत ली है। मेरा लौटना जरूरी भी था क्योंकि उस वक्त तक मैंने खाना नहीं खाया था। मैं दो गांवों में गया जहां पर पटवारियों ने तकावी बांटी थी, मेरे साथ बहुत से संवाददाता भी थे, बहुत से कांग्रेसमैन भी थे, बहुत से कांग्रेस विरोधी भी थे और आफिसर लोग भी मौजूद थे। जिन दो गांवों मे मैं गया वहां पर सब लोगों के सामने मैंने गांव के लोगों से पूछा कि क्या पटवारियों ने तकावी देने में रिश्वतें ली हैं? इस पर दोनों गांवों के लोगों ने इंकार किया। मैं यह नहीं कहता कि कोई पटवारी रिश्वत नहीं लेता। हो सकता है कि किसी ने एक आध रुपया दस रुपये में ले लिया हो, यह हो सकता है कि यह कहा जाय कि जिस गांव में मैं गया था वह रास्ते में था और उसके लिये पहले से कलक्टर ने कह सुन कर ठीक कर लिया हो लेकिन दूसरे रास्ते से जाने पर जो मुझे एक गांव मिला और जहां जाने का पहले से कोई विचार न मैंने जोर दिया कि मैं इस गांव में जाऊंगा, वहां मैं सबके साथ गया और वहां भी हीं था लेकिन मैंने लोगों से पूछा लेकिन किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं की।

मैं इस बात को नहीं कहता कि पटवारी लोग गलती नहीं करते हैं लेकिन अगर किसी ने जरा सी गलती कर दी हो उसके लिये सब पटवारियों पर इस तरह का इल्जाम लगाना और यह कहना कि तकावी देने में पटवारियों ने २० परसेंट रिश्वत ले ली है बिलकुल गलत है। और इस बात को मैं अपने तजुर्बे की बिना पर कहता हूं कि यह सही नहीं है।

जब मैं फरेंदा से गोरखपुर जाने लगा तो मेरे पास फिर ५० आदमी आये जिनके सामने मैंने ऐड्रेस (सम्भाषण) करने से इंकार कर दिया। जब मैं गाड़ी मे चलने लगा तब मैंने उस आदमी से पूछा कि अब आप बतलावें की किस पटवारी और तहसीलदारों ने रिश्वत ली है लेकिन उधर से कुछ जवाब नहीं मिला। तो इस तरह के इल्जामात जो प्लैटफार्म पर खड़े हो कर लगाये जाते हैं उससे मालूम यह होता है कि जैसे हमारे यहां कोई ईमानदार आफिसर ही नहीं है। फिर जिस रोज हम लोग महाराजगंज जा रहे थे उस रोज दो आदमी सड़क पर खड़े हुये मिले। वह गांव सेमरा था। बारिश हो रही थी लेकिन मने उन दो आदमियों को देख कर ही गाड़ी रोक दी। मैंने उनसे पूछा कि क्या यहां कोई मरा है। उन्होने कहा कि दो आदमी मरे हैं। तफसील में न जाकर मैंने आगे गाड़ी बढ़ायी। आगे बढ़ने पर मालूम हुआ कि उनमें एक आदमी के० एम० पी० पी० क थे। एक ने कहा कि दो आदमी मर रहे है। बाद में चौकीदार ने बतलाया कि मरा कोई नहीं है। गांव में जाने पर मालूम हुआ कि जिस आदमी को मरा हुआ बतलाया गया था उस नाम का आदमी उस गांव में था ही नहीं, और दूसरे की बाबत मालूम हुआ कि उसको बुखार की शिकायत है या और कोई बीमारी है। एक गांव के बारे में किसी ने कहा कि दो आदमी भूख से मरे हैं लेकिन पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह तो आदमी कमजोर तो जरूर हैं लेकिन वह अपने खेतों पर काम कर रहा है और कम से कम मुझसे हट्टा कट्टा तो जरूर ही था। दूसरे के बारे में उसकी स्त्री से पूछने पर मालूम हुआ कि वह कई रोज से चारपाई पर पड़ा है। उससे पिछले दिन उसनें खाना खाया भी था। तो यह कहना कि उसके मरने में दो चार घंटे की देर है या वह मर रहा है बिलकुल गलत था।

इसी तरह से लेजर महदेवा की बाबत है जिसकी आबादी श्री गेंदा सिंह जी ने ५ हजार बतलायी है। वहां पर मालूम हुआ कि ७ महींने में ३० मौतें हुई ह। गोरखपुर जिलेह में हजार में १६ की मौतें एवरेज पड़ती हैं। इस हिसाब से वहां साल भर में ८० आदमी को मरना चाहिये था, ६ महींने में ४० और ७ महींने में ४७ का हिसाब आता है। लेकिन वहां पर ३० मौतें ही ७ महींने के अन्दर हुईं।

बहुत से आदमी कहते हैं कि हजारों आदमी भूख से मर रहे हैं। फिर भी कहा जाता है कि इन लोगों की बातों पर यकीन कर लिया जाय। ऐसी बातें कह कर वे अपना राजनैतिक प्रश्न हल करना चाहते हैं। आपकी पार्टी ने धमकी दी थी कि हम २६ जून से सत्याग्रह करेंगे। फिर पहले आपने माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये क्यों नोटिस नहीं दी कि आप कांग्रेस के नेता भी हैं और इस सूबे के प्रधान मंत्री भी हैं, आप पी० सी० सी० और डी० सी० सी० को आदेश दें कि वे रात दिन हमारे साथ लगकर सहयोग करें? अगर कांग्रेस वाले दो हफ्ते में नहीं आये तो हम अकेले काम शुरू कर देंगे। यह नोटिस क्यों नहीं आयी? अब यह जो सत्याग्रह हो रहा है, क्या यह राजनैतिक महत्व को दृष्टि में रख कर नहीं हो रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने दो मिनट अधिक ले लिये। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे अखबारों के जरिये से चाहे तकरीरों के जरिये से चाहे एडजर्नमेंट मोशन (कार्यस्थगन प्रस्ताव) के जरिये से आप चाहे जो कुछ कहें, चाहे कितना ही लोगों को बहकायें, आज लोग इतने भोले नहीं हैं जो सच को न जान सकते हों या जिन को कांग्रेस के खिलाफ गुमराह किया जायगा कांग्रेस के खिलाफ भड़काया जायगा, तो आपका जो यह उद्देश्य है उसमें आप को हरगिज कामयाबी होने वाली नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब सूबे की खाद्य समस्या के ऊपर कुछ कहने को उठता हूं तो गला भर आता है और जब इसी कांग्रेसी राज्य में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन मेरे दिल पर जो चोट पहुंची थी उससे भी ज्यादा चोट छाती पर पत्थर रख कर इस सरकार के काले कारनामों को सुनने से मैं बर्दाश्त करता हूं और वर्तमान संकट से मरने वालों की खबर से दिल पर बड़ा आघात पहुंचता है।

[श्री राजनारायण]

आज मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री और माल मंत्री का भाषण हमने सुना और माननीय माल मंत्री का वह भी भाषण हमारे सामने उपस्थित है जो उन्होंने पूर्वी जिलों का दौरा करके लौटने के बाद दिया था। उन्होंने उस समय मुक्त कंठ से कहा था कि मेरी ९ जुलाई के पहले के जो विचार थे घटनास्थल पर जाकर परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद मैं इस चीज को कबूल करता हूं कि हमारा वह असेसमेंट गलत था। हमारे सामने उनके वक्तव्य की कटिंग मौजूद है।

अब मैं सोशलिस्टों के कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिये बहुत दूर नहीं जाना चाहता। जितनी बातें अखबारों में यहीं विद्यमान हैं आप उन्हीं को सामने रखें। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा कथन अन्न संकट के बारे में पूर्णतः सत्य था। जितने हमारे पत्रकार भाई बैठे हुये हैं उनसे भी निवेदन करूंगा और जितने भाई ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हुये ह उनसे भी निवेदन करूंगा कि उन्हीं तथ्यों को सामने रख कर वास्तविकता का विवेचन करें और देखें कि वास्तविकता किधर है।

बराबर कहा जाता है कि हम देर नहीं करते, हम वास्तविकता छिपाने की कोशिश नहीं करते। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि देर तो इतनी हुई है कि इस देर के लिये जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सजा इस सरकार के लोगों को दी जाय, थोड़ी होगी। ३१ मई से बराबर जोर दिया जा रहा है कि पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या के बारे में विचार किया जाय। जब हमारे माल मंत्री जाते हैं और घटनास्थल पर वास्तविकता का दिग्दर्शन करते हैं तो उनका असेसमेंट कुछ गलत होता है। इस बात को वह स्वीकार करते हैं। यहां पर जब गवर्नर महोदय आये थे उनसे निवेदन किया गया था कि पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या का सिंहावलोकन घटनास्थल पर चल कर कीजिये, तो क्या सरकार की तरफ से उन को रोका नहीं गया ? क्यों नहीं गये जब कि उनसे बार बार कहा गया ? यह दो महीने की देर क्यों की गयी ? अगर यह देर न की गयी होती तो पूर्वी जिलों की वास्तविकता कुछ पहले ही मालम हो गयी होती और सरकार तदनुसार कार्य करने की कोशिश करती यह सवाल है। इस का उत्तर मिलना चाहिये, कि क्यों कुछ महीने पहले मंत्री गण घटनास्थल पर जाकर गलत धारणा को नहीं बदले।

मैं सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की बात नहीं कहता। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने जो बार बार कहा है केवल वही बातें मैं माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा समय पर उदारता के साथ खयाल कीजियेगा।

बाबा राघवदास, मैं समझता हूं कि उनको कोई कह नहीं सकता कि वह सोशलिस्ट हैं। "लजार महादेवा में जिन घरों में कोई मरा है उनमें १६ घर वालों से बात-चीत हुई। ऐसा मालुम होता है कि उनके पास ए० पी० कार्ड मौजूद था। उस कार्ड पर जून में एक बार और जुलाई को १३ तारीख को कुल खरीद हुई। अब आगे बात चीत करने पर मालूम हुआ कि यह जो गल्ला खरीदा गया है यह घर वालों के पैसे से नहीं बल्कि गांव में जिनके पास पैसा था उन लोगों ने पैसा देकर गल्ला लिया और कार्ड के स्वामी होने के नाते रुपया पीछे पाव, डेढ़ पाव गल्ला गया।"

आगे पंचायत के पास जो मृत्यु रजिस्टर रहता है उसके संबंध में बाबा राघव दास ने बयान दिया है कि "पंचायत का जन्म मृत्यु का रजिस्टर" में १३ अप्रैल का नाम दर्ज किया गया है। उसके बाद से आज तक बिलकुल कोरा है। इससे मालूम हुआ कि मृत्यु के कारण के लिये जो खाना है उसमें "बुखार से लिखा हुआ है"।

बाबा जी आगे कहते हैं, "यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि भूख से या अन्नाभाव से जो मरता है वह तुरन्त नहीं मरता। वह धीरे धीरे क्षीण होता है। उसकी रोगों की

प्रतिकार करने की शक्ति घट जाती है। इस लिये किसी रोग का शिकार होकर वह मर जाता है।"

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतने अंश से मैं समझता हू कि हमारे माल मंत्री की जो दृष्टि इस समय छुपी हुई है, लुप्त है, वह खुलेगी। आगे मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि बार बार पत्रकार भाइयों की दुहाई दी गयी। पत्रकार भी साथ गये थे। मैं भी पत्रकारों से मिला करता हूं, उनके पास जाया भी करता हूं। आदरणीय मंत्री महोदय उनको बुलाते होंगे, मैं जाया करता हूं उनके पास। अभी बनारस गया था तो भी वहां जो पत्रकार तमाम जिलों से लौटे थे उनकी सेवा में उपस्थित हुआ था। तो पत्रकार की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और आपके द्वारा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

५ अगस्त, १९५२ "अमृत बाज़ार पत्रिका"—

"It is no good disputing words; you may call it acute scarcity as they call or you may call it famine as Shibban Lal Saxena insists. There is how-ever no gainsaying the fact that the situation calls for immediate and widespread relief."

[शब्द विषयक विवाद से कोई लाभ नहीं; आप चाहे इसे "अत्यन्त अभाव" कहें या "दुर्भिक्ष" कहें जैसा कहने के लिये कि शिब्बन लाल सक्सेना अनुरोध करते हैं। तथापि यह सब कोई मानेगा कि परिस्थिति को देखते हुये त्वरित और व्यापक सहायता की आवश्यकता है।]

इसी पत्रकार ने इसमें और बातें लिखी हैं, हमारे माल मंत्री तभी मानेंगे जब लाखों आदमी यहां विधान भवन के सामने आकर खड़े हों। पत्रकार लिखता है कि:—

"All along the route I came across villagers trying to cross through the Nepal border. I was told that every year villagers from these villages went to the Nepal borders but this year the exodus was on a far more greater scale than usual and sometimes it was as high as 50,000, from this tehsil alone."

[रास्ते भर मुझको ऐसे ग्रामीण लोग मिले जो नैपाल की सीमा को पार करने का प्रयत्न कर रहे थे। मुझको यह बताया गया कि इन गांवों से प्रतिवर्ष ग्रामीण लोग नैपाल की सीमा पर जाते रहे हैं परन्तु इस वर्ष बाहर जाने वालों की संख्या साधारण से अत्यन्त अधिक थी और कभी कभी तो ५०,००० तक व्यक्ति अकेली इस तहसील से बाहर गये हैं।]

केवल एक तहसील से ५० हजार से ज्यादा आदमी इसी अनुपात से सीमा पार करके नैपाल में जाते हैं।

और इसी में उसी पत्रकार ने अपनी आंखों देखी और अपने कानों सुनी बातें लिखी हैं मृत्यु के बारे में।

"And by the time I returned from Gorakhpur I saw only three persons who informed that two others had died in the village . . . . . during the last week from one form of starvation or other . . . . . ."

[और जब मैं गोरखपुर से लौटकर आया मैंने केवल तीन व्यक्ति देखे जिन्होंने मुझे सूचना दी कि अन्य दो व्यक्ति .....गांव में पिछले सप्ताह में किसी न किसी प्रकार की भुखमरी से मृत्यु को प्राप्त हुये.....]

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बातें हैं? क्या यह राजनीतिक गेम (खेल) सोशलस्टि खेलते हैं या ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए अवसर पाकर के कुछ नाजायज फायदा उठाने वाले लोग?

[श्री राजनारायण]

अब मैं आपके द्वारा बार बार यहां पर जो केवल स्थानीय कर्मचारियों के बारे में दोष दिय जाता है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि स्थानीय कर्मचारियों के भी बड़े दोष हैं। मगर स्थानीय कर्मचारियों से ज्यादा दोष तो इन मंत्रियों का है जो उनसे गलत काम करवाते ह, और उनसे ग़लत काम कराने के लिये उनको प्रेरित किया करते हैं। एक रिपोर्ट हमारे पास है, आंख की देखी है। एक एस० डी० ओ० साहब गोरखपुर के जिलाधीश के पास एक लिखित रिपोर्ट देते हैं, वे बाबा राघवदास जी के साथ भी गये थे। यह चीज़ अभी कहीं अख़बार में नहीं आयी है। लजार महदेवा में जो मरने वालों की रिपोर्ट थी, उसकी जांच के लिये एक एस० डी० ओ० वहां बाबा राघवदास जी के साथ गये। उन्होंने बंसराज, सुखराज और अशरफ के सम्बन्ध में क्या लिख करके दिया? वह एक टाइप्ड रिपोर्ट थी :

"The cause of death is mentioned as fever in the register. Some of the villagers present stated that they had gone to Nepal and came back out of terrific fear and died later. It is true that the purchasing capacity of the villagers has gone down considerably and they therefore seem unable to purchase grain offered to them. My impression is that there had been no death exclusively on account of starvation."

[पंजिका में मृत्यु का कारण ज्वर दिखाया गया है। उपस्थित ग्रामीणों में से कुछ ने यह बताया कि वे लोग नैप ल में गये थे और भीषण भय के कारण वापस आ गये और बाद में मर गये। यह सत्य है कि ग्रामीणों की क्रयशक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी। मालूम पड़ता है कि इसी कारण से वे उस अन्न को नहीं खरीद सकते जो कि लोग उन्हें देने को तैयार हैं। मेरा खयाल यह है कि ऐसी कोई मृत्यु नहीं हुई थी जिसका कारण केवल भुखमरी हो।]

यह एस० डी० ओ० की रिपोर्ट है जो उन्होंने वहां के कलेक्टर साहब को दी थी। इससे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसका दिग्दर्शन कराना चाहता हूं कि यह सरकार किस तरह से रन (कार्य) कर रही है? यह सरकार चाहती क्या है? इसी घटना को लेकर के अगर विश्लेषण किया जाय तो कोई भी बढ़िया दिमाग़वाला आदमी ईमानदारी के साथ उसी नतीजे पर पहुंचेगा जिस पर हम पहुंचे हुये हैं। जब वह (एस० डी० ओ०) लिखते हैं कि जो मृत्यु हुई वह एक्सकुलूसिवली स्टार्वेशन (केवज भुखमरी) के कारण नहीं हुई, तो जिलाधीश के मस्तिष्क में यह बात आती है उसी समय कि "केवल स्टार्वेशन के कारण या केवल अन्न संकट के कारण मृत्यु नहीं हुई" ये शब्द नहीं लिखे जा सकते नहीं तो यह उसमें शामिल हो जायगा कि अन्नाभाव से भी मृत्यु हुई हैं। इसमें टाइप कटा हुआ है और इसमें आगे शब्द काट करके यह लिखा जाता है :

"My impression is that there had been no death exclusively on account of starvation."

[मेरा खयाल यह है कि ऐसी कोई मृत्यु नहीं हुई थी जिसका कारण केवल भुखमरी हो।]

तो "एक्सकुलूसिवली" काट दिया गया और फिर रिपोर्ट इस तरह से गयी :

"My impression is that there had been no death on account of starvation as there is no famine."

[मेरा ख़याल यह है कि कोई मृत्यु ऐसी नहीं हुई थी जिसका कारण भुखमरी हो क्योंकि दुर्भिक्ष नहीं है।]

यह रिपोर्ट कलेक्टर साहब के एस० डी० ओ० साहब ने दी। एस० डी० ओ० साहब रिपोर्ट में लिखते हैं कि चूंकि वहां फेमीन नहीं है, इसलिये हम यह कैसे लिख सकते हैं कि स्टार्वेशन से मृत्यु हुई। उसका अर्थ सब अंग्रेजी के जानकार समझ सकते हैं कि कैसी भाषा लिखवाई गई।

श्री शिवनारायण—मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट श्रीमान् जी को कहां से प्राप्त हुई ?

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठा नहीं था, इसलिये उनको आप से इजाजत लेकर के बोलना चाहिये था।

उपाध्यक्ष—वे प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राजनारायण—बाद में पूछ लीजियेगा। I do not want interruption (मैं बाधाएं नहीं चाहता)। जहां तक माननीय माल मंत्री जी की बातों का सम्बन्ध था, मैंने उनका उत्तर दिया।

अब मैं अपने खाद्य मंत्री महोदय से आपके जरिये निहायत अदब के साथ अपील करना चाहता हूं कि बार बार माननीय मालमंत्री महोदय ने कहा कि मैं छिपाना नहीं चाहता, मैंने तो जिलाधीशों की मीटिंग कराई और माननीय मुख्य मंत्री और माननीय खाद्य मंत्री महोदय मिर्जापुर तक गये। ठीक है छिपा कर आप ले कहां जायंगे ? जो प्रतिक्रियावादी सरकारें होती हैं वे कहीं न कहीं अपनी चालों से फंसती हैं। जो वस्तु स्थिति है उसको छिपाने के लिये सरकार इधर उधर के शब्दों से काम निकालने के लिये अपना समर्थन करवा सकती है और नये नये शब्दों को गढ़ करके प्रतिक्रियावादी और कुंठित नीति से सरकार वस्तुस्थिति को छिपा रही है परन्तु इससे वह आगे बढ़ कहां सकती है ? आगे बढ़ेंगे तो हम बतायेंगे कि कैसे आगे नहीं बढ़ सकते। रिपोर्ट बड़ी अच्छी, सुन्दर, सुललित भाषा में खाद्य मंत्री जी के सामने प्रस्तुत है। जरा इसी को पढ़ा जाय और विश्लेषण किया जाय तो मालूम होगा कि हम ठीक कहते हैं या सरकार।

डिकंट्रोल (विनियन्त्रण) हुआ। बड़े तपाक के साथ घोषणा हुई कि कोई भी एक हफ्ता पहले जो हमारे यहां गेहूं का भाव था अगर उससे अधिक दाम बढ़ायेगा तो १४ रुपये मन में सारा स्टाक जब्त कर लिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी दिन मैंने निहायत अदब के साथ अपने खाद्य मंत्री से कहा था कि बलिया में जब १९४२ के आन्दोलन को एक्सप्लायट करना था तो जवाहरलाल जी ने कहा था कि ब्लैक मार्केटिंग करने वाले को कच्ची फांसी दी जायगी। मगर उनके राज्य में कोई एक भी ब्लैक मार्केटिंग करने वाला नहीं मिला। इसी तरह से खाद्य मंत्री के राज्य में कोई १६ रु० ८ आने मन से ज्यादा गल्ला बेचने वाला नहीं मिला। ठीक एक महीने के बाद बड़े नाटकीय ढंग से खाद्य मंत्री महोदय यहां आते हैं और जो व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने पहले से तय कर रखा था उस पर दस्तखत कर देते हैं साढ़े सत्रह रुपये मन वहां के लिये जहां सरप्लस है और साढ़े १९ रुपये मन वहां के लिये जहां कमी की शिकायत है। क्या इसी को पालिसी कहते हैं ? ऐसे तो एक खूनी भी अपनी सफ़ाई देता है।

मैं चाहता हूं कि अगर सचमुच वस्तुस्थिति का सामना करना है तो मैंने माननीय चरण सिंह जी से निवेदन किया था कि पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या के बारे में क्या आप वर्तमान हालत जानते हैं। उन्होंने कहा 'हां'। हमने कहा कि क्या सदन की कार्यवाही जो १८ तारीख से आरम्भ होने वाली है उ को कुछ समय के लिये आगे नहीं टाला जा सकता। उस समय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं थे। तो माल मंत्री जी ने कहा

[श्री राजनारायण]

कि बहुत काम कंधों पर पड़ा हुआ है, सब को खत्म करना है इसलिये बैठक तो स्थगित नहीं हो सकती। तो यह तो हमारी सिन्सीआरिटी है वहां जाकर काम करने के लिये। हम तो उनको सुझाव देते हैं कि अब एक महीने के लिये या दो महीने के लिये, जब तक वहां की हालत ज्यादा खराब है तब तक असेम्बली के सदस्यों को चाहिये कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काम करें। मगर सरकार की ओर से कहा जाता है, माननीय चरण सिंह जी कहते हैं कि नहीं, १८ अगस्त से होने वाली बैठक आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि उनका समय तो समाप्त हो गया। ५ मिनट में उनको और दिये देता हूं। इसके अन्दर पूरा करने का आप प्रयत्न करें।

श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह से भाषण के पहले कह दिया होता तो मैं पहले बोलने के लिये खड़ा भी नहीं होता और चला गया होता क्योंकि जब माननीय मंत्री श्री चरण सिंह जी के लिये इतना समय दिया कि वे तमाम बातें जो पचीसों बार कही जा चुकीं उनको फिर दोहरायें और जब हम नयी नयी बातें पेश करना चाहते हैं तो उसके लिये समय नहीं दिया जाता है। अफसोस! अब तो अन्तिम समय है।

खाद्य मंत्री जी जानते हैं कि हमने भी सन् १९४२ के अन्दोलन में कुछ किया था और अंग्रेजी सरकार जो वस्तुस्थिति छिपाना चाहती थी उसका भी पता हमारे गुप्त विभाग के लोगों को लग जाता था। इसी तरह से आज भी जो वस्तुस्थिति है और सरकार छिपाना चाहती है उसका पता हमें है। इस सरकार की ओर से एक नोट केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया। बड़ी विकट समस्या है। किदवई साहब की पालिसी चलेगी या यहां की पालिसी चलेगी। मैं नहीं जानता कि किसकी पालिसी चलेगी और किसकी नहीं। मगर मैं इतना जानना चाहता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री जी जो घोषणा करते हैं उस पर ठहरते हैं या उससे भाग खड़े होते हैं। इस एक ही बात का जवाब खाद्य मंत्री जी देंगे कि जब पहली जुलाई को उन्होंने ऐलान किया कि १६ रु० ८ आने से अधिक कोई गेहूं नहीं बेचेगा तो कैसे साढ़े १७ और साढ़े १९ रुपये का भाव क़रार दे दिया गया। यहां तो समय बहुत कम है मगर यह कहूंगा कि खाद्य मंत्री के भाषण के ऊपर श्री गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में जो आंकड़े दिये थे उनको ग़लत बताने की जो माननीय बनारसी दास जी ने चेष्टा की थी उसको मैं एक कुचेष्टा ही कहूंगा। यहां १६ जुलाई को एक सवाल का जवाब दिया गया है ७ मई, सन् १९५२ का कि १८ लाख मन गल्ला भेजा गया और वह ६३ लाख आदमियों में बांटा गया। बनारसी दास जी आकर हिसाब बतलायें कि कितना पड़ा। मैं चाहता हूं कि चाहे हमें आज रात्रि के ८ बजे तक बैठना पड़े या कल नानआफिशियल डे है इसलिये दोपहर तक समय लेलें लेकिन वस्तुस्थिति साफ हो जानी चाहिये। आज कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की दुहाई दी जाती है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं और अक्षरशः इस सत्य को साबित करने के लिये प्रस्तुत हैं कि यह सरकार निकम्मी है, लंगड़ी है, अंधी है और लूली है। वर्तमान सरकार गलत बयानी देने के लिये प्रेरित करके देश को अकाल के संकट में झोंक रही है। यह अपनी राजगद्दी सुरक्षित करना चाहती है। यह सरकार जो नीति बरतती है उससे अराजकता देश में फैलेगी और जब देश में अराजकता फैलेगी तो भुखमरी फैलेगी और फिर मास स्केल (बड़े पैमाने) पर जनता जनार्दन का स्वर्ग पुरी को प्रयाण होगा। मुझे नहीं मालूम उपाध्यक्ष महोदय, कि आपकी दृष्टि ५ मिनट कब पकड़ लेगी।

उपाध्यक्ष--मैंने लाल झंडी दिखाना मुनासिब नहीं समझा।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं मैंने माननीय मुख्य मंत्री को भी लिख कर भेजा है समय बढ़ाने के लिये क्योंकि मुझे काफी बातें कहनी हैं। बहुत दिनों के जज्बात भरे पड़े हैं, उनका विस्फोट हो जाने दीजिये, उनको सदन के सामने आने दीजिये और ईमानदारी से सफाई दीजिये। हम तो कदम कदम पर खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये तैयार हैं।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—ऐसी भाषा का कोई पत्र आपका मुझे नहीं मिला।

श्री राजनारायण—मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी मंशा समझते हैं और समय बढ़ा दें यह हमने मांग की है। मैं आप के द्वारा श्री गेंदासिंह जी की बात दोहराता हूं कि एक ऐसा आदमी लीजिये जो शरीर विज्ञान की बात समझता हो और एक ऐसा आदमी हो जो कानून की बात को अच्छी तरह से समझता हो क्योंकि हमारी सरकार के मंत्रीगण आदी हो गये हैं यह कहने के कि जो तुम्हारी इच्छा है वही हमारी भी इच्छा है लेकिन कानून नहीं बढ़ने देता है। कानून तो इंसान के लिये बनता है न कि इंसान कानून के लिये बनता है। इसलिये एक कमेटी बिठाई जाय। केवल माननीय गेंदा सिंह जी नहीं बल्कि सभी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य अगर उनकी यह बात सही नहीं है कि अन्नाभाव के कारण मृत्यु हो रही है तो सदन से जाने के लिये, इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं। हम बलिदान और कुरबानी को प्रतिष्ठित करने के लिये यहां आये हैं। इसलिये यहां नहीं आये हैं कि ग़लत आंकड़े देकर, ग़लत बयानी करके और शब्द जाल में सारे समाज को लेकर खंदक में, अग्नि की भट्टी में झोंक दें। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि यदि मैं ग़लत साबित हुआ तो मैं एक मिनट के लिये भी यहां बैठने के लिये तैयार नहीं हूं। जब तक सरकार की दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक वह सही क़दम नहीं उठा सकती है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री राजनारायण जी का भाषण मैंने सुना। मैं यह जानता हूं और यह मानता हूं कि हम लोग जो इधर बैठे हुये हैं, अधूरे हैं, हममें कमियां हैं तो इस कारण यदि उनको शिकायत है तो हो सकती है मगर हमारा दावा कभी अपनी कमियों के बारे में यह नहीं रहा कि नहीं हैं, न उनके छिपाने का उद्योग रहा है और मैं चाहता हूं कि हमारी कमी को हटाने का उपाय हमको व्यावहारिक रूप में मालूम होता रहे जिससे हम अपने को सुधार सकें। जहां तक अन्न की समस्या का ताल्लुक है यह तो एक मानव धर्म से संबंध रखने वाली बात है और इसके बारे में हम सबको मिल जुलकर ऐसे साधन निकालने चाहिये जिनसे यदि दुखी और व्यथित लोगों की सेवा सुश्रूषा जो हमसे हो सकती थी उसको करने में कोई कमी रही है तो वह कमी दूर हो सके या कम हो सके। इसलिये इस विषय में हमें एक रचनात्मक दृष्टि से बातों को देखना है और उनको देखकर क्या उपाय हो सकता है उन्हें निकालना है। मुझे खेद है कि मैं इस बात को नहीं मनता हूं कि भूख के कारण लोगों की मृत्यु हुई है। वैसे तो मैं रोज मानता हूं कि हमारे देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं, मैं इसको छिपाता नहीं बराबर कहता हूं, कि जिनको एक समय भी भरपेट अन्न नहीं मिलता है और उनकी रज़िस्टेंन्स (निवारण) की ताकत, जब कि उनको पूरी खूराक नहीं मिलती है, उतनी नहीं हो सकती है जितनी कि जिनको अच्छा खाना मिलता है उनकी होती है। परन्तु मैं इसलिये आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी मानवता मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं इस बात को मानूं कि सैकड़ों आदमी देवरिया या गोरखपुर में मरते हों और मेरे भाई इधर के या उधर के इतने अकर्मण्य हो जायं कि आदमी मरते रहें और हम सिवाय अखबारों में कोई लेख देने के या भाषण देने के सक्रियरूप से उनकी जरूरत के लिये अपने को खपा न दें। यह बात किसी तरह से मेरी कल्पना के अन्दर नहीं आती है। ७ जुलाई से हमारे यहां इस सदन का बजट सेशन रहे और उस बीच में अगर सैकड़ों मौतें हर रोज गोरखपुर या देवरिया में होती हों और वहां के सज्जन जो हमारे गोरखपुर या देवरिया से या

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

उसके पड़ोस के जिलों के रहने वाले भाई हैं उनको उसकी खबर न मिलती या उनकी खबर मिलने पर वह इतने उदासीन या इतने संगदिल हो जायं कि लोग सैकड़ों की तादाद में भूख से मरते रहें और वे यहां पर बैठे रहें और उनकी सेवा न करें। यह बात किसी तरह से मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये मेरा यह विचार है और विश्वास है कि क्या अब हम इतने गिर गये हैं और क्या महात्मा जी का हमारे ऊपर इतना ही प्रभाव हुआ है कि हम सैकड़ों लोगों को मरते हुये देखें, उनकी गाथाओं को रोज सुनें और सुनकर हम एक अक्रमण्य की तरह से मर्यादा को छोड़कर केवल एक बात को ही कहें और उसी पर अपना संतोष कर लें। यह बात मेरी समझ में नहीं आती और जब तक मैं समझता हूं कि मानवता और मनुष्यता कुछ भी हममें है तब तक मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि बहुत से भाई जो वहां के रहने वाले हैं उन्होंने क्या इस बात को देखा है कि लोग इस तरह से मरते रहें हों और वह बैठे रहें ? जहां तक उनसे हो सका संगठित रूप से देश में कुछ कार्य करने की कोशिश की है। मैं आपसे यह कह सकता हूं कि मैंने कोई अपील नहीं निकाली यह समझ कर कि जिस हद तक लोगों को तकलीफ हो रही है उसको दूर करने का इलाज हमको करना चाहिये और जब इस मात्रा तक तकलीफ है तो हमारा कर्त्तव्य है कि उसको हम दूर करें। हमारे देश में बिहार का अर्थक्वेक (भूकम्प) आया था। किसी सरकारी मदद से नहीं बल्कि हमारे देश की जनता ने और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने लाखों आदमियों के दुखी परिवारों को सुखी बनाया था मुझे भी बाल्यकाल से कुछ थोड़ा सा सेवा करने का अवसर कभी कभी मिला है और जब कभी दुर्भिक्ष या भूख की बात सुनी तो स्वयं जब हम सरकार से लड़ते थे और उपाय करने का प्रयत्न करते थे और यह हमसे नहीं हो सकता था कि सैकड़ों की तादाद में लोग मरते जायं और कोई उंगली न उठावे और यह कह कर बैठ जायं कि भुखमरी हो रही है और सरकार अपना कर्त्तव्य नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि इससे ही कर्त्तव्य पूरा नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं कि हम ने जानने की कोशिश की कि किस तरह से वहां भुखमरी हुई। क्या वहां इस बीच में मौतें मामूली से ज्यादा हुईं ? क्या वहां ऐसी बीमारियां आई या आस्पतालों में बीमार आये कि जिससे वहां का एवरेज डैथ रेट (औसत मृत्यु दर) बढ़ गया ? लेकिन मेरी जानकारी करने पर यह नतीजा निकला कि इस संबंध में वहां इस बीच में कोई असाधारण बात नहीं हुई। यह इतिमिनान की बात मालूम होती है बमुकाबिले ऐसी किसी बात के कहने के। क्या जितने लोग यहां बैठे हैं उनमें से किसी ने किसी को भूख से मरते और तड़पते देखा है और अगर देखा होता तो वह अपना कुर्ता बेचकर भी उसको जिन्दा रखने की कोशिश करता और मरने नहीं देता। यहां के किसी आदमी ने नहीं देखा और जो कुछ भी किसी ने कहा वह सुना हुआ कहा। सुनी हुई बात से परिणाम निकालना कि सैकड़ों हजारों आदमी मर गये यह कहां तक सही बात है ? इसलिये इस तरह की बात से कोई लाभ नहीं।

अखबारों की बातें कही गईं। आप के सामने खाद्य मंत्री जी ने अपने भाषण के साथ एक नक्शा दिया है उसमें कहा गया है कि कौन किस तरह से मरा है जिनके नाम फेहरिस्तों में या अखबारों में दिये गये हैं। एक अखबार में फेहरिस्त के नम्बर १ पर एक साहब का नाम दिया गया है। उसके बारे में रिपोर्ट है कि वह ७० साल का आदमी है और वह अब भी जिन्दा है, मरा नहीं है और उसको ग्रेचुटी रिलीफ १५ अगस्त को दिया गया है। आप साहबान को सबको यह नक्शा मिला है (आवाजें नहीं मिला)। मैं समझता हूं कि यह सब लोगों को मिल जाना चाहिये क्योंकि इसमें हर इनडिविजुअल (व्यक्ति) के बारे में इत्तिला है। पत्रिका में बहुत से नाम आये थे उनमें से हर एक के बारे में बतलाया गया है। एक का मैंने आप से जिक्र किया। दूसरे का लिखा है कि फार एबाउट····मैं ठीक पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि वह अच्छा टाइप नहीं है मगर इसमें यह नाम दिये हुये हैं और हर एक के बारे में

एक्सपलेनेशन है जिसको देखकर आप को इतिमिनान हो जायगा कि जो बातें कही गई हैं वह सही नहीं हैं। मैं नहीं कहता कि किसी ने इरादतन कहा क्योंकि किसी के इरादे में कोई आदमी छिपा नहीं होता लेकिन जिन्होंने कहा उन्होंने गलतफहमी से कहा और इसके ऊपर हम अपने को विचलित नहीं करना चाहते हैं। परन्तु मैं इससे इन्कार नहीं करता कि हमारे देश में अन्डर न्यूट्रीशन (कम खाद्य) है और माल नट्रीशन (कुखाद्य) है। हमारे यहां के आदमियों की औसत उम्र इतनी नहीं है जितनी कि अमरीका में है, स्वेडन में है, या स्केन्डेनिविया में है। यह कहना कहां तक ठीक हो सकता है कि हजारों आदमी गोरखपुर में रोज भूख से मरते हैं जब कि आप जानते हैं कि गोरखपुर का आदमी और लेबर सारे देश में काम करता है और उसको बाहर जाने में कोई झिझक नहीं होती। क्या यह हो सकता है कि वह घर में भूखा मर जाय और बाहर देवरिया तक भी वह काम करने के लिये न जाय जहां लाखों आदमी आज काम कर रहे हैं ?

वहां जो कैनिल बन रही है उसमें डेढ़ और दो रुपया तक मजदूरी मिलती है मगर उसके लिये आदमी नहीं मिलते हैं। बाहर से आदमी आकर काम करते हैं। तो यह बात समझ में आती है कि लोग वहां तो काम करें नहीं और आसाम और तराई में वहां के लोग जाकर काम करे ? यह बात मेरी तो समझ में आती नहीं है। हर शिकायत और मामला जो हमारे सामने आया हमने उसकी तहकीकात कराई और उसके बाद हमारे पास जो रिपोर्ट आई वह यह थी कि बाज तो मरे नहीं, बाज के बारे में काफी मुद्दत हो गई है और जो मरे हैं वे भूख से नहीं, बल्कि किसी और कारण से मरे हैं। मैं भूख से मरना उसे समझता हूं कि आदमी २०-२५ दिन तक भूखा पड़ा रहे रोजाना घटता चला जाय और आखिर में सूख कर मर जाय। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोगों के अन्दर पावर आफ रैजिस्टैंस (निवारण शक्ति) कम है। हम चाहते हैं कि हम अपने देश के लोगों को नीरोग बनावें। इस तरफ प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो यह समझना कि हम घबराहट में कोई काम करें यह नहीं हो सकता।

छिपाने की बात कही गई। मैं पूछता हूं कि छिपाने की बात किसलिये कही गई ? अगर राजनारायण जी वहां और मैं यहां बैठे हैं तो क्या यदि मुझे कोई बीमारी हो तो वे खुश होंगे या उन्हें हो तो मैं खुश हूंगा ? नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर हमारे यहां कोई मरता है तो क्या उसे छिपाकर मुझे या मेरे साथियों को कोई संतोष मिलता है ? मैंने १८ मार्च को कानफ्रेंस बुलाई इसलिये कि किसी को तकलीफ न पहुंचे और इसके लिये अभी से इन्तजाम किया जाय। ईस्टर्न (पूर्वी) जिलों से जिलाधीशों को, चीफ इंजीनियर को और डाइरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज को बुलाया और कहा कि भाई अभी से तैयार रहो। जो कुछ मैंने उस वक्त कहा उसका जो आफिशियल रेकार्ड है वह मैं पढ़ कर सुना दूं ताकि कोई शंका न रहे। १८ मार्च को जो मेरी कांफ्रेंस हुई उसका आफिशियल रेकार्ड यह है।

"The Chief Minister addressed the Conference. He stressed the importance of taking prompt action in relieving the distress in the scarcity affected areas and of avoiding inconvenience to the people. He said that gratuitous relief should be given to infirm people and children who have no means of support ; but others should be given employment on the various public utility schemes which should be speeded up. In taking up such schemes special attention should be paid to the fact that the works when concluded should be of some permanent utility which may improve the countryside economy and at the same time provide employment to a large number of people. He suggested that the District Planning Committee should be associated with various workers and that conciousness should be created in the public so that they may not only know of what the Government is doing for them to improve their lot but should also feel that they themselves have to exert themselves

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

to improve their conditions. A sense of collective responsibility and self-respect should also be created in the masses. In addition to taking up various works, the Chief Minister also asked the District Officers to explore the possibility of starting small industries in the scarcity affected areas."

[मुख्य मंत्री ने कांफ्रेंस के सम्मुख सम्भाषण किया। उन्होंने अभावग्रस्त क्षेत्रों में कृषि निवारण के हेतु त्वरित कार्य के महत्व पर तथा जनता की असुविधाओं के निवारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कमजोर मनुष्यों को तथा पालन पोषण के साधनों से रहित बच्चों को तो अहेतुक सहायता देनी चाहिये तथा अन्य लोगों को जनतोपयोगी विभिन्न योजनाओं में, कार्य देना चाहिये और उन योजनाओं को चालू करने में शीघ्रता करनी चाहिये। इन योजनाओं का कार्यारम्भ करने में इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि वे कार्य, पूर्ण हो जाने पर स्थायी लाभ के कार्य हों जो ग्राम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के साथ साथ बहुत से लोगों को काम दे सकें। उन्होंने यह सुझाव दिया कि जिला नियोजन समिति का विभिन्न कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क रहे और जनता में जागृति उत्पन्न की जाय ताकि लोग यह जान सकें कि सरकार उनके भाग्य को सुधारने के लिये क्या क्या कर रही है और साथ ही साथ लोग यह भी महसूस करें कि अपनी अवस्था में सुधार करने के लिये उन्हें स्वयं प्रयत्न करना होगा। जनसमुदाय में समाहृत उत्तरदायित्व तथा आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने जिला अफसरों से प्रार्थना की कि निर्माण-कार्यों को आरम्भ करने के अतिरिक्त इस बात का भी पता लगावें कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में छोटे उद्योग प्रचलित करने की सम्भावना कहां तक है।]

आप देखेंगे कि मैं शुरू से ही फैमिन कोड से बहुत आगे जाना चाहता था--

"He also said that the provisions of the Famine Code were out of date and he was prepared to relax them if it were necessary to spend larger sums on the various schemes of permanent utility. Rules need not bind us in taking up such schemes which can go a long way in ameliorating the condition of the masses."

[उन्होंने यह भी कहा कि फैमिन कोड (दुर्भिक्ष विधान) के उपबन्ध कालातीत हो गये हैं और चिर उपयोगिता की विभिन्न योजनाओं पर यदि अधिकतर धनराशियां व्यय करना आवश्यक हो जाय तो वे उन उपबंधों को ढीला करने को तैयार हैं। जनता की अवस्था सुधारने में बहुत कुछ सहायता देने वाली योजनाओं को आरम्भ करने में यह आवश्यक नहीं कि हम लोग नियमों से जकड़े रहें।]

इसमें यह कहना कि इसमें हम कामयाब नहीं हुये यह तो किसी हद तक ठीक हो सकता है लेकिन यह कहना कि हमारी इच्छा नहीं थी कि हमने उद्योग नहीं किया, या हमारी ख्वाहिश नहीं थी, यह बिलकुल भ्रम की बात होगी। इस मीटिंग के बारे में तो अखबारों में दूसरे ही दिन आ गया था कि कांफ्रेंस हुई और उसमें यह हुआ। अप्रैल में मैं मिर्जापुर गया, बहराइच गया और बस्ती गया। और मैंने पाया कि वहां की हालत बुरी है और वहां सबको तकलीफ है और हामारा यह फर्ज था कि हम यह ऐलान करते कि हम एक भी आदमी को मरने नहीं देंगे। हमने इस प्रतिज्ञा को शुरू से ही किया था। हमने यह भी कहा कि यदि कोई भी ऐसी बात होगी या जो ईमानदारी के खिलाफ करेगा तो वह मनुष्यता के नाते सहन नहीं की जा सकती है। उस वक्त तक तो किसी की आवाज भी नहीं उठी थी जिस वक्त हमने यह आवाज उठायी थी। आपने यहां जिन बच्चों को देखा मैंने मिर्जापुर में जा कर जो हालत देखी तो उनकी हालत इनसे भी बुरी मैंने देखी। क्या करें इस देश का दुर्भाग्य है, आपका और मेरा दुर्भाग्य, लेकिन भगवान ने हमें इसलिये नियत किया है कि अगर हो सके तो

इनके कष्टों का हम निवारण करें ताकि उनके शरीर अच्छे हों, और उनकी आत्मा उन्नति करे। मुझे उनकी हालत का दुख भी है और साथ ही साथ हमें धर्म के साथ अपने कर्तव्य को निबाहने का अवसर भी है, लगन से काम करने का हमें अवसर मिला है। यह काम व्यक्तिगत तौर पर या घबराहट से नहीं हो सकता। केवल कल्पना से या दुख के साथ कोई बात कहने से कोई चीज हो नहीं सकती। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को हम बुनियादी तरीके पर देखें। हमने इस सिलसिले में ४ करोड़ ३५ लाख रुपया अभी तक सीधे और रेमीशन के जरिये से खर्च किया है।

यह कहा गया कि गल्ला जो दिया गया वह पौन छटांक दिया गया। लेकिन हमने जो सहायता दी वह १५ लाख, फिर २० लाख और फिर २५ लाख दी, ७० लाख तक की फिगर्स हैं और फिर उसमें यह कि उसमें सीजनल तरीके पर प्राविजन होता है। जिस वक्त फसल होती है उस वक्त कुछ भी नहीं दिया जाता इसके अलावा, गो यह दुख की बात है, लेकिन बाजी जगह ऐसी हैं जहां मैं मानता हूं कि आधे पेट लोग रहते हैं। अगर हम इस बात को देखें तो हमें मालूम होगा कि उनका औसत ३ छटांक रोजाना का है। जिस चीज का कोई अरिथमैटिक (हिसाब) हो उससे कोई भ्रम में नहीं पड़ सकता। यह तो मानना ही पड़ेगा कि आखिर गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, सब जगह एक सी हालत नहीं है और गोरखपुर में सिवाय फरेंदा और महाराजगंज के कहीं ऐसी हालत नहीं है। देवरिया के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया और मैं माननीय गेंदा सिंह जी के वहां रहते हुये यह असंभव समझता हूं कि वहां कोई आदमी भूखों मर जाय। यह बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं। सही बात कह रहा हूं। अगर वहां ऐसा होने की नौबत आयेगी तो वे अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और ऐसी कोई बात हमें न होने देनी चाहिये। हमारा यह कर्त्तव्य है कि जब तक हम जीते हैं तब तक ऐसी कोई भी बात न होने पायेगी।

श्री गेंदा सिंह—लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद तो प्राप्त नहीं है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं आपके पास आऊंगा। उसके बाद जो आपका आशीर्वाद होगा वह मैं लूंगा और मैं भी आपको दूंगा। इसमें किसी तरह की कोताही न होगी।

संदेह का जिक्र किया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं गो यह मेरे लिये बड़े दुख की बात है कि गेंदा सिंह जी पर कोई मुकदमा लगे। यह किसी को अच्छा नहीं लग सकता परन्तु करें क्या शांति कैसे रखें। उस वक्त एक सत्याग्रह हुआ था। कारण यह हुआ था कि देवरिया जिले के कुछ देहात में ओले पड़ गये थे, बारिश कम हुई थी और ओलों की वजह से नुकसान बहुत हो गया था। वहां के लोगों का यह कहना था कि वहां का सब लगान माफ कर दिया जाय। हमारा कहना था कि केवल ३६ गांव ऐसे हैं जहां ऐसा होना चाहिये। इन ३६ गांवों के अलावा जो हमने जांच कराई उससे यह नतीजा निकला कि इनके अलावा और स्थानों पर हालत ऐसी नहीं है कि छूट दी जाय इस लिये छूट नहीं दी गई। अब मैं गेंदा सिंह जी से कहूंगा कि उनको स्वीकार करना चाहिये कि उनका तखमीना और पैमाना ग़लत था और हमारा सही था क्योंकि सब ने लगान बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी जोर जबरदस्ती के उस साल उतना ही दिया जितना कि और साल देते थे। कोई मुकदमा न करना पड़ा, कोई प्रोसेस न करना पड़ा, जैसी उनकी लाइफ (जीवन) होती थी सब वैसी ही रही। तो कम से कम अब तो उनको मानना चाहिये कि हमारी बात ग़लत नहीं थी। उनको लोग कोमल हृदय होने की वजह से भ्रान्त कर देते हैं। इसलिये अभी वे हमारी बातें भले ही न स्वीकार करें लेकिन आशा है कि वे पीछे हमारी बात अवश्य स्वीकार करेंगे। अभी उनको हमारी बातों से इत्मीनान होता नहीं है। मुझे आशा है कि उनको इत्मीनान कराने में हम आगे सफल होंगे।

कुछ बातें और भी यहां कही गयीं। तकावी के बारे में कही गयीं, टेस्ट वर्क के बारे में कही गयीं, कुछ ए० पी० स्कीम के बारे में भी कही गयीं। आपको यह मालूम होगा कि बहुत वक्त तो ऐसा था कि ए० पी० की दूकानों से आफ टेक (ग्रहण)

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

बहुत कम रहा। लोग लेते ही नहीं थे। क्योंकि उनको जरूरत की चीजें जिनको वे पसन्द करते थे बाजार से मिल जाती थीं। ए० पी० शाप में जो सामान मिलता है वह तो गरजमन्द लोगों के लिये जरूरत की चीजें पूरी करने के लिये मिलता है। लेकिन जो चीजें उनको खुले बाजार में मिल जाती हैं उनको वे उन दूकानों से नहीं लेते हैं। इसलिये देवरिया में मसलन दो तीन महीने पहले तक चीजों की वही कीमत थी जो पारसाल बारह महीने पहले थी। नतीजा यह था कि लोग ए० पी० की दूकानों में से सामान नहीं लेना चाहते थे। क्योंकि वे लोगों को मिल जाती थीं। ऐसी हालत में जितना आफ टेक होना चाहिये उतना नहीं होता था। आप को मालूम होगा कि देवरिया में गन्ने की बहुत सी मिलें हैं। उन मिलों में इस साल हर साल से बहुत ज्यादा गन्ना पेला गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि किसानों को गन्ने की कीमत से करीब ७ करोड़ रुपया मिला है जिसमें से एक करोड़ रुपया वहां के लोगों को मजदूरी में मिला है। इसलिये वहां की वस्तुस्थिति को हमें देखना चाहिये। वस्तुस्थिति को देखना हम सबका कर्तव्य है। यदि आप विचार करेंगे तो मालूम होगा कि इसमें हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं रही। और अपनी तरफ से हमने कोशिश की है। मगर फिर मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इसके मानी यह नहीं हैं कि अगर हमारी तरफ से कोताही नहीं हुई तो कहीं पर कोताही नहीं हुई, फिर भी कोताही हो सकती है, फिर भी कमी हो सकती है। लाखों का इन्तजाम करना है। सब पटवारी ईमानदार नहीं हैं, सब दूकानदार ईमानदार नहीं हैं, सब अफसर बराबर जोशीले नहीं हैं और इसलिये कमियां रह सकती हैं बावजूद हमारी हिदायतों के। उसके लियेहम सबको मिल कर ऐसी कोशिश करनी है जिससे कमियां न रहें, जिससे हम वहां की दिक्कतें दूर कर सकें। हमें अपने देश का पुनर्निर्माण करना है। पर जब भूख से लोग मरने लगें तो सारे काम को स्थगित करके उनको जीवित रखना हमारा सब से प्रथम कर्तव्य है। इसलिये आज भी कहता हूं कि चाहे तकावी के रूप में, चाहे टेस्ट वर्क्स के रूप में, चाहे आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम बढ़ाने से, किसी भी ढंग से, जो हमारा संकल्प है, हमारा उद्योग है, हमारा प्रयत्न है एक भी आदमी भूख से मरने नहीं पायेगा। और उसके लिये हम यत्न करेंगे और आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें इसमें सफल करे और हमारे देश को इतना बढ़ा दे कि ऐसी आपत्तियां इसके ऊपर भविष्य में कभी न आयें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री को जो चैलेंज (चुनौती) दिया था कि एक कमेटी बनायी जाय, जिसमें एक फिजिशियन, जे० सी० कुमारअप्पा और एक हाई कोर्ट का जज हो उसके बारे में नहीं सुना?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं तो समझता था कि जो कुछ मैंने कहा उससे यह सबको सूझेगा कि काम इस वक्त लोगों को भूख से बचाने का है। इस वक्त, दिल के अन्दर जो गुत्थियां हो गयी हैं उनको सुलझाने में अपना समय नहीं लगाना है। बल्कि वास्तविक व्यवहरिक कार्य करके लोगों को मौत के मुंह से और जबड़े से बचाना है।

जहां तक कमेटी की बात है मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा उस पर विचार करने के बाद आपको स्वयं यह लगेगा कि यह मांग ठीक नहीं है और आपको आगे नहीं रखना चाहिए।

(इसके बाद सदन ६ बज कर ३ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ अगस्त, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिये २१ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

नं०	विवरण	१९४७–४८	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२
१	योजना के अन्तर्गत जिले	३३	३९	४५	४०	३४
२	ग्रामों की संख्या जहां योजना ने काम किया	५,०००	५,०००	८,०००	६,०००	४,०००
३	अवैतनिक कार्यकर्ता जो शिक्षित किये गये	२००	२६३	६००	४५	५१
४	संख्या अच्छे कोल्हुओं की जो चलाये गये ...		९४५	१,९४१	५०५	७९१
५	संख्या कढ़ाओं की जो चलाये गये ...		५१	१,५०२	१३५	२७९
६	संख्या अच्छी भट्टियों की जो बनवाई गई	४,८०७	१०,०००	२०,०००	१६,९४९	१७,७५७
७	उन्नत गुड़ जो बना— (अ) साधारण ...		१ लाख मन	१.५ लाख मन	१,५९,१६२ मन	३,०२,३३९ मन
	(ब) कारबन ...		१,००० मन	५०० मन	७२१ मन	१३० मन

अविभाजित सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये २१ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर)

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक योजनाओं के व्यय का विवरण

क्रम सं० योजनाओं के नाम	१९४५-४६	१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
१—करघा योजना ..	१,३३,४६३	१,७९,८५७	१,८२,८०७	१,२२,०३३	१,९१,६५६	१,६९,७५०	१,५६,५२१
२—क्रय विक्रय उत्तर प्रदेश की दस्तकारियां ..	..	८२,१४४	८५,६३१	२,२८,७२९	३,१५,०७३	२,४१,९८७	२,४३,९४२
३—मिट्टी के वर्तन बनाने का उद्योग ..	..	९,९०९	११,०८४	१३,१८५	१८,९१५	१३,२२१	३०,९४९
४—तेल का घरेलू उद्योग ..	७,३९४	११,६६३	२१,०५८	२६,१७४	७१,२६१	४९,९१९	४२,५५६
५—रिनीक्षण डिपो ..	..	..	..	..	१०,९२८	२८,९३८	४८,८२५
६—अलीगढ़ में ताला उद्योग ..	..	..	..	..	३५,२०३	१९,७८६	१९,३२२
७—ऊन का उद्योग ..	२,४९,६९८	१,८०,६३७	१,५४,७५४	१,२६,७७२	२,१३,८३९	२,०४,१८५	१,८०,८२१
८—हाथ से कागज बनाने का उद्योग ..	९,५१०	९,६०२	५३,४६२	६६,५७५	४८,८४३	३१,४०३	१७,७१०
९—पटसन रेशों का उद्योग ..	३,९५१	४,४८१	४,२३८	७,९८२	६५,२२१	२३,२६४	१४,८३७
१०—अलसी के रेशे की योजना ..	..	..	..	..	..	९५,१४१	७५,०७०
११—पढ़ाई की कक्षाओं के विकास की योजना ..	..	..	४,०२,९८०	५,४८,८४२	९,१८,७६९	९,३८,९३७	८,८८,८५९
१२—चिकन कसीदा के काम के विकास के लिये योजना ..	..	..	१०,९११	११,९४४	११,५७५	११,०९५	१४,८१७
१३—खादी की उन्नति की योजना ..	..	..	२,०८,८६३	२,६७,३७२	४,३८,३२६	२,९६,७५५	२,६८,१८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१४—रेशम के कीड़ों को पालने का उद्योग	..	२०,८२४	४५,७४५	३५,५७५	३०,५५५
१५—गुड़ उन्नति योजना	८४,३२५	२,८३,८९०	४,१८,९३२	३,११,७११	२,७६,८८०
१६—फल संरक्षण और डिब्बों में रखने की योजना	..	..	१२,५५३	३४,५९७	४४,८२९
१७—प्रदर्शनार्थ करघा फैक्ट्रियां	..	१,५२,६८०	८३,६१२	७५,७९७	५५,४२९
१८—लौह रहित धातुओं की योजना	..	..	..	६,५२०	१३,६७१
१९—विविध योजना (इशेन्शियल आयल)	..	..	१,०४,९६३	४१,२३४	३८,३६६
२०—टेकनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में इलेट्रोप्लेटिंग की ट्रेनिंग ..	..	..	..	..	..
२१—सरकारी व्यवसायिक इन्स्टीट्यूट	..	..	५८,६६६	१,१७,७६५	१,७१,२८०
२२—ग्रामीण क्षेत्रों में पाइलट वर्कशापों की स्थापना	..	..	..	५१,०८१	४१,२५४
२३—बढ़िया किस्म की कटलरी बनाने के लिये फैक्ट्री खोलना	..	..	..	..	३०,६०३
२४—गवर्नमेंट पालिटेकनिक श्रीनगर (गढ़वाल)	..	..	३०,४८५	२८,६०५	३४,६९६
२५—बुनकर सहकारी समितियों की योजना	..	..	..	६३,१६३	१,०२,६०५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये २१ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर)

व्यय का ब्योरा

वर्ष	व्यय रुपया
१९४७-४८	८४,२५१
१९४८-४९	२,४८,३३३
१९४९-५०	३,२६,४४७
१९५०-५१	२,५५,६०२
१९५१-५२	२,३२,२१७

कार्यों का वार्षिक ब्योरा

विवरण	१९४७-४८	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
१—योजना के अन्तर्गत जिले	३३	३९	४५	४०	३४
२—ग्रामों की संख्या जिनमें योजना द्वार कार्य हुआ	५,०००	५,०००	८,०००	६,०००	४.०००
३—अवैतनिक कार्य कर्त्ताओं की संख्या जो शिक्षित हुये।	२००	२६३	६००	४५	५१
४—संख्या उन्नत कोल्हुओं की जो चालू किये गये।	...	९४५	१,९४१	५७५	७९१
५—संख्या उन्नत कढ़ाओं की जो चालू किये गये।	...	५१	१,५४१	१३५	२७९
६—संख्या उन्नत भट्टियों की जिन्हें अवैतनिक कार्य कर्त्ताओं और कर्मचारियों ने बनाया।	४,८०७	१०,०००	२०,०००	१६,९४९	१७,७५७
७—गुड़ जो बनाया गया					
(अ) साधारण १ लाख मन		१.५ लाख मन	१,५९१६२ मन	३,०२२३९ मन	
(ब) कारवन १,००० मन		५०० मन	७२१ मन	१२९ मन २४ सेर ४ छ०	

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३११ पर)

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५२

१८७० का ऐक्ट ७।

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, को उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में उक्त ऐक्ट में और संशोधन करने का

विधेयक

१८७० का ऐक्ट ७

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है : अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१), इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करें।

१८७० के ऐक्ट ७ की धारा ४ में संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में संशोधित कोर्ट फीस १८७० (जिसे यहां आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण (expalnation) जोड़ दिया जायगा :—

"*Explanation.* Where the amount of fee prescribed in the Schedules contains any fraction of a rupee below four annas, or above four annas but below eight annas, or above eight annas but below twelve annas, or above twelve annas but below one rupee, the proper fee shall be an amount rounded off to the next higher quarter of a rupee as hereinafter appearing in the said Schedules."

१८७० के ऐक्ट ७ धारा ६ में संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में

(क) दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द "than" और शब्द "that" के बीच में शब्द "one and one-fourth of" रख दिये जायेंगे।

(ख) दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"*Explanation*—Where the amount of fee prescribed in the Schedules contains any fraction of a rupee below four annas, or above four annas but below eight annas, or above eight annas but below twelve annas, or above twelve annas but below one rupee, the proper fee shall be an amount rounded off to the next higher quarter of a rupee as hereinafter appearing in the said Schedules."

१८७० के ऐक्ट ७ की धारा ७ में संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ७ (४-बी) के दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य में संख्या "200" के स्थान पर संख्या "250" रख दी जायगी।

१८७० के ऐक्ट ७ की धारा १८ में संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १८ में शब्द "fifteen annas" के स्थान में शब्द "one rupee" रख दिया जायगा।

१८७० के ऐक्ट ७ की अनुसूची १ संशोधन।

६—मूल अधिनियम की अनुसूची १ (Schedule I) में

(क) शीर्षक "Ad valorem fees" के नीचे शब्द "See Explanations to sections 4 and 6(1)" रख दिये जायंगे।

(ख) तृतीय स्तम्भ में—

(१) अनुच्छेद (article) १ में शब्द "fifteen annas", "one anna", "nine annas", "six annas", "two annas" और "forty six rupees fourteen annas", के स्थान पर, क्रमशः शब्द, "one rupee", "four annas", "twelve annas", "eight annas", "four annas", और forty seven rupees". रख दिये जायेंगे।

(२) अनुच्छेद ६ और ७ में शब्द "fifteen annas" और "One rupee fourteen annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee" और "two rupees" रख दिये जायेंगे।

(३) अनुच्छद ८ और ८-ए में शब्द "fifteen annas" के स्थान पर शब्द "one rupee" रख दिये जायंगे।

(४) अनुच्छेद ९ में शब्द "ten" के स्थान पर शब्द "twelve" रख दिया जायगा।

(५) अनुच्छेद ११ में शब्द "three and one-eighth", और "eight and one-eighth" के स्थान पर क्रमशः शब्द three and one-fourth"," eight and one-fourth" रख दिये जायंगे।

(६) अनुच्छेद १२ में शब्द "three and one-eighth", "four and eleven sixteenth", "five and five eighth", "nine and three-eighth", "eight and one-eighth", "ten and five sixteenth" के स्थान पर क्रमशः शब्द " "thirteen and one-eighth" "three and one-fourth", "four and three-fourth", "five and three-fourth' "nine and one fourth" "eight and' one fourth,' ten and one—half," और "thirteen and one-fourth" रख दिये जायंगे।

(७) अनुच्छेद १२-ए में शब्द "three and one-eighth" के स्थान पर शब्द three and one-fourth" रख जदिये यंगे।

(ग) वादों के निवेशन (Institution of suits) पर आदेय मूल्यानुसार शुल्क (ad valorem fees) दरों की सारणी (Table) के स्थान पर, इस अधिनियम की अनुसूची में दी गयी सारणी रख दी जायगी।

१८७० के ऐक्ट ७ की अनुसूची २ का संशोधन)

७—मूल अधिनियम की अनुसूची २ (Schedule II) के तीसरे स्तम्भ में :

(१) अनुच्छेद १ में शब्द "three annas", "fifteen annas" और "one rupee, fourteen annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "four annas", "one rupee" और "two rupee" रख दिये जायंगे।

(२) अनुच्छेद १-ए में शब्द "seven" और अक्षर 'd' के स्थान पर क्रमशः शब्द "eight" और अक्षर "e" रख दिये जायंगे।

(३) अनुच्छेद २ और ४ में शब्द "ten" के स्थान पर शब्द "twelve" रख दिया जायगा।

(४) अनुच्छेद ५, ६ और ७ में शब्द "fifteen annas" के स्थान पर शब्द "one rupee" रख दिया जायगा।

(५) अनुच्छेद १० में शब्द "fifteen annas" और "one rupee fourteen annas" के स्थान पर शब्द "one rupee" और "two rupees" क्रमशः रख दिये जायंगे।

(६) अनुच्छेद ११ में शब्द "fifteen annas" के स्थान पर शब्द "one rupee" रख दिये जायंगे।

(७) अनुच्छेद १४ में शब्द "six" के स्थान पर शब्द "eight" रख दिया जायगा।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

SCHEDULE

(*See section* 6(*c*))

Table of rate of *ad valorem* fees lieviable on the institution of suits

Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee		Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee	
Rs.	Rs.	Rs.	a.	Rs.	Rs.	Rs.	a.
	5	0	8	180	190	19	0
5	10	1	0	190	200	20	0
10	15	1	8	200	210	21	0
15	20	2	0	210	220	22	0
20	25	2	8	220	230	23	0
25	30	3	0	230	240	24	0
30	35	3	8	240	250	25	0
35	40	4	0	250	260	26	0
40	45	4	8	260	270	27	0
45	50	5	0	270	280	28	0
50	55	5	8	280	290	29	0
55	60	6	0	290	300	30	0
60	65	6	8	300	310	31	4
65	70	7	0	310	320	32	8
70	75	7	8	320	330	33	12
75	80	8	0	330	340	35	0
80	85	8	8	340	350	36	4
85	90	9	0	350	360	37	8
90	95	9	8	360	370	38	12
95	100	10	0	370	380	40	0
100	110	11	0	380	390	41	4
110	120	12	0	390	400	42	8
120	130	13	0	400	410	43	12
130	140	14	0	410	420	45	0
140	150	15	0	420	430	46	4
150	160	16	0	430	440	47	8
160	170	17	0	440	450	48	12
170	180	18	0	450	460	50	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee	Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee
Rs.	Rs.	Rs. a.	Rs.	Rs.	Rs. a.
460	470	51 4	740	750	98 12
470	480	52 8	750	760	100 8
480	490	53 12	760	770	120 4
490	500	55 0	770	780	104 0
500	510	56 12	780	790	105 12
510	520	58 8	790	800	107 8
520	530	60 4	800	810	109 4
530	540	62 0	810	820	111 0
540	550	63 12	820	830	112 12
550	560	65 8	830	840	114 8
560	570	67 4	840	850	116 4
570	580	69 0	850	860	118 0
580	590	70 12	860	870	119 12
590	600	72 8	870	880	121 8
600	610	74 4	880	890	123 4
610	620	76 0	890	900	125 0
620	630	77 12	900	910	126 12
630	640	79 8	910	920	128 8
640	650	81 4	920	930	130 4
650	660	83 0	930	940	132 0
660	670	84 12	940	950	133 12
670	680	86 8	950	960	135 8
680	690	88 4	960	970	137 4
690	700	90 0	970	980	139 0
700	710	91 12	980	990	140 12
710	720	93 8	990	1,000	142 8
720	730	95 4	1,000	1,100	152 0
730	740	97 0	1,100	1,200	161 8

उत्तर प्रदेश सरकार

Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee		Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee	
Rs.	Rs.	Rs.	a.	Rs.	Rs.	Rs.	a.
1,200	1,300	171	0	4,100	4,200	446	8
1,300	1,400	180	8	4,200	4,300	456	0
1,400	1,500	190	0	4,300	4,400	465	8
1,500	1,600	199	8	4,400	4,500	475	0
1,600	1,700	209	0	4,500	4,600	484	8
1,700	1,800	218	8	4,600	4,700	494	0
1,800	1,900	228	0	4,700	4,800	503	8
1,900	2,000	237	8	4,800	4,900	513	0
2,000	2,100	247	0	4,900	5,000	522	8
2,100	2,200	256	8	5,000	5,250	541	4
2,200	2,300	266	0	5,250	5,500	560	0
2,300	2,400	275	8	5,500	5,750	578	12
2,400	2.500	285	0	5,750	6,000	597	8
2,500	2,600	294	8	6,000	6,250	616	4
2,600	2,700	304	0	6,250	6,500	635	0
2,700	2,800	313	8	6,500	6,750	653	12
2,800	2,900	323	0	6,750	7,000	672	8
2,900	3,000	332	8	7,000	7,250	691	4
3,000	3,100	342	0	7,250	7,500	710	0
3,100	3,200	351	8	7,500	7,750	728	12
3,200	3,300	361	0	7,750	8,000	747	8
3,300	3,400	370	8	8,000	8,250	766	4
3,400	3,500	380	0	8,250	8,500	785	0
3,500	3,600	389	8	8,500	8,750	803	12
3,600	3,700	399	0	8,750	9,000	822	8
3,700	3,800	408	8	9,000	9,250	841	4
3,800	3,900	418	0	9,250	9,500	860	0
3,900	4,000	427	8	9,500	9,750	878	12
4,000	4,100	437	0	9,750	10,000	897	8

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee		Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	proper fee	
Rs.	Rs.	Rs.	a.	Rs.	Rs.	Rs.	a.
10,000	10,500	925	12	30,000	32,000	1,875	0
10,500	11,000	954	0	32,000	34,000	1,912	8
11,000	11,500	982	4	34,000	36,000	1,950	0
11,500	12,000	1,010	8	36,000	38,000	1,987	8
12,000	12,500	1,038	12	38,000	40,000	2,025	0
12.500	13. 000	1,067	0	40,000	42,000	2,062	8
13,000	13,500	1,095	4	42,000	44,000	2,100	0
13,500	14,000	1,123	8	44,000	46,000	2,137	8
14,000	14,500	1,151	12	46,000	48,000	2,175	0
14,500	15,000	1,180	0	48,000	50,000	2,212	8
15,000	15,500	1,208	4	50,000	55,000	2,259	8
15,500	16,000	1,236	8	55,000	60,000	2,306	8
16,000	16,500	1,264	12	60,000	65,000	2,353	8
16,500	17,000	1,293	0	65,000	70,000	2,400	8
17,000	17,500	1,321	4	70,000	75,000	2,447	8
17,500	18,000	1,349	8	75,000	80,000	2,494	8
18,000	18,500	1,377	12	80,000	85,000	2,541	8
18,500	19,000	1,406	0	85,000	90,500	2,588	8
19,000	19,500	1,434	4	90,000	95,000	2,635	8
19,500	20,000	1,462	8	95,000	1,00,000	2,682	8
20,000	21,000	1,500	0	1,00,000	1,05,000	2,729	8
21,000	22,000	1,537	8	1,05,000	1,10,000	2,776	8
22,000	23,000	1,575	0	1,10,000	1,15,000	2,823	8
23,000	24,000	1,612	8	1,15,000	1,20,000	2,870	8
24,000	25,000	1,650	0	1,20,000	1,25,000	2,917	8
25,000	26,000	1,687	8	1,25,000	1,30,000	2,964	8
26,000	27,000	1,725	0	1,30,000	1,35,000	3,011	8
27,000	28,000	1,762	8	1,35,000	1,40,000	3,058	8
28,000	29,000	1,800	0	1,40,000	1,45,000	3,105	8
29,000	30,000	1,837	8	1,45,000	1,50,000	3,152	8

उत्तर प्रदेश गजट

Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee		Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee	
Rs.	Rs.	Rs.	a.	Rs.	Rs.	Rs.	a.
1,50,000	1,55,000	3,199	8	2,90,000	2,95,000	4,515	8
1,55,000	1,60,000	3,246	8	2,95,000	3,00,000	4,562	8
1,60,000	1,65,000	3,293	8	3,00,000	3,05,000	4,609	8
1,65,000	1,70,000	3,340	8	3,05,000	3,10,000	4,656	8
1,70,000	1,75,000	3,387	8	3,10,000	3,15,000	4,703	8
1,75,000	1,80,000	3,434	8	3,15,000	3,20,000	4,750	8
1,80,000	1,85,000	3,481	8	3,20,000	3,25,000	4,797	8
1,85,000	1,90,000	3,528	8	3,25,000	3,30,000	4,844	8
1,90,000	1,95,000	3,575	8	3,30,000	3,35,000	4,891	8
1,95,000	2,00,000	3,622	8	3,35,000	3,40,000	4,938	8
2,00,000	2,05,000	3,669	8	3,40,000	3,45,000	4,985	8
2,05,000	2,10,000	3,716	8	3,45,000	3,50,000	5,032	8
2,10 000	2,15,000	3,763	8	3,50,000	3,55,000	5,079	8
2,15,000	2,20,000	3,810	8	3,55,000	3,60,000	5,126	8
2,20,000	2,25,000	3,857	8	3,60,000	3,65,000	5,173	8
2,25,000	2,30,000	3,904	8	3,65,000	3,70,000	5,220	8
2,30,000	2,35,000	3,951	8	3,70,000	3,75,000	5,267	8
2,35,000	2,40,000	3,998	8	3,75,000	3,80 000	5,314	8
2,40,000	2,45,000	4,045	8	3,80,000	3,85,000	5,361	8
2,45,000	2,50,000	4,092	8	3,85,000	3,90,000	5,408	8
2,50,000	2,55,000	4,139	8	3,90,000	3,95,000	5,455	8
2,55,000	2,60,000	4,186	8	3,95,000	4,00,000	5,502	8
2,60,000	2,65,000	4,233	8	4,00,000	4,05,000	5,549	8
2,65,000	2,70,000	4,280	8	4,05,000	4,10,000	5,596	8
2,70,000	2,75,000	4,327	8	4,10,000	4,15,000	5,643	8
2,75,000	2,80,000	4,374	8	4,15,000	4,20,000	5,690	8
2,80,000	2,85,000	4,421	8	4,20,000	4,25,000	5,737	8
2,85,000	2,90,000	4,468	8	4,25,000	4,30,000	5,784	8

अवर पंजीकृत प्रति

Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceeds	Proper fee		Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee	
Rs.	Rs.	Rs.	a.	Rs.	Rs.	Rs.	a.
4,30,000	4,35,000	5,831	8	5,70,000	5,75,000	7,147	8
4,35,000	4,40,000	5,878	8	5,75,000	5,80,000	7.194	8
4,40,000	4,45,000	5,925	8	5,80.000	5,85,000	7,241	8
4,25,000	4,50,000	5,972	8	5,85,000	5,90,000	7,288	8
4,50,000	4,55,000	6,019	8	5,90,000	5,95,000	7,335	8
4,55,000	4,60,000	6,066	8	5,95,000	6,00,000	7,382	8
2,60,000	4,65,000	6,113	8	6,00,000	6,05.000	7,429	8
4,65,000	4,70,000	6,160	8	6,05,000	6,10,000	7,476	8
4,70,000	4,75,000	6,207	8	6,10,000	6,15,000	7,523	8
4,75,000	4,80,000	6,254	8	6,15,000	6,20,000	7,570	8
4,80,000	4,85,000	6,301	8	6,20,000	6.25.000	7,617	8
4,85,000	4,90,000	6,348	8	6,25,000	6,30,000	7,664	8
4,90,000	4,95,000	6,395	8	6,30,000	6.35,000	7,711	8
4,95,000	5,00,000	6,442	8	6,35,000	6,40,000	7,758	8
5,00,000	5,05,000	6,489	8	6,40,000	6,45,000	7,805	8
5,05,000	5,10,000	6,536	8	6,45,000	6,50,000	7,852	8
5,10,000	5,15,000	6,583	8	6,50,000	6,55,000	7,899	8
5,15,000	5,20,000	6,630	8	6,55,000	6,60,000	7,946	8
5,20,000	5,25,000	6,677	8	6,60,000	6,65,000	7,993	8
5,25,000	5,30,000	6,724	8	6,65,000	6,70,000	8,040	8
5,30,000	5,35,000	6,771	8	6,70,000	6,75,000	8,087	8
5,35,000	5,40,000	6,818	8	6,75,000	6,80,000	8,134	8
5,40,000	5,45,000	6,865	8	6,80,000	6,85,000	8,181	8
5,45,000	5,50,000	6,912	8	6,85,000	6,90,000	8,228	8
5,50,000	5,55,000	6,959	8	6,90,000	6,95,000	8,275	8
5,55,000	5,60,000	7,006	8	6,95,000	7,00,000	8,322	8
5,60,000	5,65,000	7,053	8	7,00,000	7,05,000	8,369	8
5,65,000	5,70,000	7,100	8	7,05,000	7,10,000	8,416	8

Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee		Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee	
Rs.	Rs.	Rs.	a.	Rs.	Rs.	Rs.	a.
7,10,000	7,15,000	8,463	8	8,45,000	8,50,000	9,732	8
7,15,000	7,20,000	8,510	8	8,50,000	8,55,000	9,779	8
7,20,000	7,25,000	8,557	8	8,55,000	8,60,000	9,826	8
7,25,000	7,30,000	8,604	8	8,60,000	8,65,000	9,873	8
7,30,000	7,35,000	8,651	8	8,65,000	8,70,000	9,920	8
7,35,000	7,40,000	8,698	8	8,70,000	8,75,000	9,967	8
7,40,000	7,45,000	8,745	8	8,75,000	8,80,000	10,014	8
7,45,000	7,50,000	8,793	8	8,80,000	8,85,000	10,061	8
7,50,000	7,55,000	8,839	8	8,85,000	8,90,000	10,108	8
7,55,000	7,60,000	8,886	8	8,90,000	8,95,000	10,155	8
7,60,000	7,65,000	8,933	8	8,95,000	9,00,000	10,202	8
7,65,000	7,70,000	8,980	8	9,00,000	9,05,000	10,249	8
7,70,000	7,75,000	9,027	8	9,05,000	9,10,000	10,296	8
7,75,000	7,80,000	9,074	8	9,10,000	9,15,000	10,343	8
7,80,000	7,85,000	9,121	8	9,15,000	9,20,000	10,390	8
7,85,000	7,90,000	9,168	8	9,20,000	9,25,000	10,437	8
7,90,000	7,95,000	9,215	8	9,25,000	9,30,000	10,484	8
7,95,000	8,90,000	9,262	8	9,30,000	9,35,000	10,531	8
8,00,000	8,05,000	9,309	8	9,35,000	9,40,000	10,578	8
8,05,000	8,10,000	9,359	8	9,40,000	9,45,000	10,625	8
8,10,000	8,15,000	9,403	8	9,45,000	9,50,000	10,672	8
8,15,000	8,20,000	9,450	8	9,50,000	9,55,000	10,719	8
8,20,000	8,25,000	9,497	8	9,55,000	9,60,000	10,766	8
8,25,000	8,30,000	9,544	8	9,60,000	9,65,000	10,813	8
8,30,000	8,35,000	9,591	8	9,65,000	9,70,000	10,860	8
8,35,000	8,40,000	9,638	8	9,70,000	9,75,000	19,907	8
8,40,000	8,45,000	9,732	8	9,75,000	9,80,000	10,954	8

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does not exceed	Proper fee		Where the amount or value of the subject matter exceeds	But does uot exceed	Proper fee	
9,80,000	9,85,000	11,001	8	10,65,000	10,70,000	11,800	8
9,85,000	9,90,000	11,048	8	10,70,000	10,75,000	11,847	8
9,90,000	9,95,000	11,095	8	10,75,000	10,80,000	11,894	8
9,95,000	10,00,000	11,142	8	10,80,000	10,85,000	11,941	8
10,00,000	10,05,000	11,189	8	10,85,000	10,90,000	11,988	8
10,05,000	10,10,000	11,236	8	10,90,000	10,95,000	12,035	8
10,10,000	10,15,000	11,283	8	10,95,000	11,00,000	12,082	8
10,15,000	10,20,000	11,330	8	11,00,000	11,05,000	12,129	8
10,20,000	10,25,000	11,377	8	11,05,000	11,10,000	12,176	8
10,25,000	10,30,000	11,424	8	11,10,000	11,15,000	12,223	8
10,30,000	10,35,000	11,471	8	11,15,000	11,20,000	12,270	8
10,35,000	10,40,000	11,518	8	11,20,000	11,25,000	12,317	8
10,40,000	10,45,000	11,565	8	11,25,000	11,30,000	12,364	8
10,45,000	10,50,000	11,612	8	11,30,000	11,35,000	12,411	8
10,50,000	10,55,000	11,659	8	11,35,000	11,40,000	12,458	8
10,55,000	10,60,000	11,706	8	11,40,000	11,45,000	12,500	0
10,60,000	10,65,000	11,753	8				

उत्तर प्रदेश गजट

उद्देश्य और कारण

समय समय पर संशोधित तथा उत्तर प्रदेश में यथा प्रयुक्त कोर्ट फीस ऐक्ट १८७०, के अधीन जो शुल्क (fees) देय होते हैं उनकी गणना रुपये के विषय में भिन्नों (odd fractions) तक करनी पड़ती है इससे जनता को बहुत असुविधा होती है तथा हिसाब करने और जोड़ने में कठिनाई भी होती है। अतः ऐसे भिन्नों को रुपये के अगले चतुर्थांश तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है।

इस अवसर का उपयोग इस अधिनियम के अन्य छोटे मोटे दोषों को दूर करने के लिये भी किया जा रहा है।

यह विधेयक उपयुक्त उद्देश्यों पर ध्यान रखते हुये प्रस्तुत किया जाता है।

सैयद अली जहीर,
मंत्री, रजिस्ट्रेशन विभाग।

IN pursuance of Article 207(1) of the Constitution of India I, K. M. Munshi, Governor of Uttar Pradesh, recommend that the Uttar Pradesh Court Fees (Amendment) Bill, 1952 be introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly.

K. M. MUNSHI,
Governor,
Uttar Pradesh.

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७४ एल० ए०—१९५२—८५०